शुक्रवार,
२ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार, २ अप्रैल, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रबड़

***१५१६. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रस्तावित रबड़ गवेषणा संस्था स्थापित हो चुकी है ;

(ख) यदि ऐसा है तो कहां; तथा

(ग) सन् १९५३ में रबड़ की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ तथा स्वावलम्बता प्राप्त करने और निर्माण उद्योग की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उत्पादन की कितनी मात्रा अपेक्षित है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). मामला विचाराधीन है ।

(ग) सन् १९५३ में कच्चे रबड़ की उत्पादित मात्रा २१,१३६ टन थी । कच्चे रबड़ की अन्तर्देशीय मांग की मात्रा भी इतनी ही है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या किसी स्थान को चुना गया है ?

श्री करमरकर : जी नहीं । योजना अन्तिम रूप दिये जाने की अवस्था में है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या रबड़ निर्माता संघ से इस बारे में कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त हुआ है ?

श्री करमरकर : जी नहीं, हमें इस बारे में कुछ भी विदित नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह तथ्य नहीं है कि रबड़ निर्माता संघ ने प्रत्येक महत्व-पूर्ण केन्द्र में एक सेवा प्रयोगशाला खोले जाने की मांग की है ?

श्री करमरकर : मैं यह सूचना माननीय सदस्य से प्राप्त करता हूं ।

श्री वी० पी० नायर : त्रावनकोर-कोचीन राज्य में कच्चे रबड़ के उत्पादन की मात्रा कितनी थी ? छोटे बागानों अर्थात् दस एकड़ से कम वाले बागानों में उत्पादन का अभि-लेख्य कैसे लिया गया था ?

श्री करमरकर : सन् १९५२ में उत्पादन १९,८६० टन था; सन् १९५३ में यह २१,१३६ टन था तथा सन् १९५४ में अनुमानित उत्पादन २२,००० टन है । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह त्रावनकोर-कोचीन राज्य के बारे में जानना चाहते हैं। क्या रबड़ भारत में कहीं और भी पैदा होता है ?

श्री करमरकर : मेरे विचार से नहीं, परन्तु निश्चित होने से पहले मैं कोई वाग्बद्धता नहीं करना चाहता हूं ।

श्री ए० एम० टामस : निर्माण के प्रयोजनों से रबड़ के आयात की किसी आवश्यकता के न होने के सम्बन्ध में क्या सरकार ने स्थिति की जांच पड़ताल कर ली है ?

श्री करमरकर : इस समय तो कोई आवश्यकता नहीं है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या रबड़ की किसी मात्रा का निर्यात किया जाता है, तथा यदि ऐसा है, तो यह मात्रा कितनी है ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि रबड़ की किसी मात्रा का निर्यात नहीं किया जाता है ।

लोहा

*१५१८. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश में उत्पादित लोहे की किसी किस्म की कोई मात्रा हमारी आवश्यकताओं से बच भी रहती है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो ऐसी फालतू वस्तुओं का नाम तथा मात्रा क्या है ;

(ग) कितनी मात्रा का निर्यात किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : [से (ग). समूचे रूप से, सभी किस्म के लोहे तथा इस्पात का स्थानीय उत्पादन स्थानीय मांग से कम है, फिर भी अपनी स्वाभाविक मण्डियों को अपने हाथों में रखने के लिये ब्रह्मा, नैपाल तथा सिक्कम जैसे पड़ौसी देशों को लोहे का सीमित मात्रा में निर्यात किया जाता है । ऐसे देशों को प्रति वर्ष १५-१६ हज़ार टन लोहा तथा इस्पात के निर्यात करने की अनुमति दी जाती है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : नैपाल में कितना लोहा भेजा गया है ?

श्री करमरकर : सन् १९५३ में नैपाल के लिये २,२२७ टन का अलाटमेंट है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : इस विचार से कि देश लोहे की किसी भी किस्म के बारे में स्वावलम्बी नहीं है, क्या सरकार लोहे की सलाखें बनाने के लिये रोलिंग मिलों के चलाये जाने की उदारतापूर्ण अनुमति देने का विचार रखती है ?

श्री करमरकर : यह एक पृथक प्रश्न है जिस का मैं इस समय उत्तर देने के लिये तैयार नहीं हूं ।

दामोदर घाटी परियोजना (विद्युत प्रदाय)

*१५२०. **श्री बी० के० दास :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दामोदर घाटी परियोजना से विद्युत के विक्रय से कुल कितनी आय हुई है ; तथा

(ख) इस आय को पत्तीदार सरकारों में किस प्रकार बांटा गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) दिसम्बर १९५३ तक ९१,७०,१२६ रुपये ।

(ख) दामोदर घाटी निगम अधिनियम की धारा ३९ के उपबन्धों के अनुसार विद्युत के विक्रय से प्राप्त आय को इस समय विद्युत के अन्तर्गत पूंजीगत लागत के घटाने में प्रयोग

किया गया है। इस प्रकार से तीनों पत्तीदार सरकारों को एक समान लाभ पहुंचा है।

श्री बी० के० दास : तिलैया तथा बोकारो विद्युत स्टेशनों द्वारा क्रमशः कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया है ?

श्री हाथी : तिलैया स्टेशन की प्रतिष्ठापित सामर्थ्य ६,००० किलोवाट है जबकि पक्का सामर्थ्य ४,००० किलोवाट है। बोकारो की प्रतिष्ठापित सामर्थ्य १,५०,००० किलोवाट है ; इस समय एक सैट काम कर रहा है तथा वह ५०,००० किलोवाट का उत्पादन कर रहा है।

श्री श्री बी० के० दास : तिलैया तथा बोकारो के इन दो स्टेशनों से बिजली की कितनी मात्रा मिल रही है ?

श्री हाथी : लगभग ३७,००० किलोवाट।

श्री पी० पी० बोस : दामोदर घाटी परियोजना अर्थात् सरकार को विद्युत शक्ति के बेचने से कितनी आय हुई है तथा इसमें मध्यम व्यक्ति का कितना भाग है ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं ने कहा है, विद्युत के विक्रय का कुल मूल्य ९१,७०,१२६ रुपये है तथा इसे तीनों पत्तीदार सरकारों में बराबर बांट दिया गया है।

श्री मुनिस्वामी : क्या उत्पादित विद्युत का पूर्ण प्रयोग करने के लिए कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री हाथी : हां, श्रीमान प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा इस वर्ष के अन्त तक ७०,००० किलोवाट का वितरण हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह वित्तीय वर्ष है या पत्री वर्ष ?

श्री हाथी : मेरा आशय है दिसम्बर तक।

बाबू रामनारायण सिंह : तिलैया बांध में जितनी बिजली पैदा होती है , उसका कौन सा अंश गांवों में खर्च किया जाता है ?

श्री हाथी : इसे प्रायः हज़ारीबाग को दिया जा रहा है।

बाबू रामनारायण सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि शहर या व्यवसाय में जो बिजली खर्च होती है, उसके अलावा गांवों में कितनी खर्च होती है ?

श्री हाथी : सामान्यतः तिलैया तथा बोकारो से बिजली बिहार सरकार द्वारा थोक रूप में ख़रीदी जा रही है, तथा वह दूसरे विभिन्न उद्योगों तथा घरेलू कार्यों आदि के लिये इसकी बांट करती है।

श्री एस० एन० दास : क्या कोनार बांध पर बिजली के उत्पादन की कोई योजना है ?

श्री हाथी : प्रारम्भ के विचारानुसार कोनार पर विद्युत के उत्पादन की एक योजना है।

श्री एस० एन० दास : उस योजना का क्या बना—क्या सरकार बांध के पूर्णतः तैयार हो जाने पर विद्युत के उत्पादन का काम आंरम्भ करेगी ?

श्री हाथी : तत्काल तो नहीं।

भारत–काश्मीर करार

*१५२१. **श्री डी०सी० शर्मा :** (क) **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर सरकार ने अभी तक भारत-काश्मीर करार के किन-किन उपबन्धों को कार्यान्वित किया है ?

(ख) कौन कौन से उपबन्धों की कार्यान्विति अभी शेष है ?

(ग) इन्हें कब कार्यान्वित किया जायगा ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) करार के जम्मू तथा काश्मीर में राज्य प्रमुख सम्बन्धी उपबन्धों को नवम्बर, १९५२ में कार्यान्वित किया गया था।

(ख) करार के जिन उपबन्धों को अभी तक पूर्णतः कार्यान्वित नहीं किया गया है, उनमें नागरिकता तथा मूलभूत अधिकार ; राष्ट्रपति की क्षमा-शक्ति प्रविलम्बन आदि का प्रदान करना वित्तीय एकीकरण तथा राष्ट्रपति की आपात शक्तियां हैं ।

(ग) राज्य की संविधान सभा ने करार के इन उपबन्धों की कार्यान्विति के प्रश्न पर विचार किया है तथा जम्मू व काश्मीर सरकार ने इसकी सिफारिशों को भारत सरकार के पास भेज दिया है । यह प्रस्थापना की गई है कि राज्य संविधान सभा की सिपारिशों को कार्यान्वित करने के लिये संविधान के अनुच्छेद ३७० के अन्तर्गत राष्ट्रपति के आदेश को जारी किया जाय । आशा है कि एसा बहुत शीघ्र किया जायगा ।

श्री डी० सी० शर्मा: जम्मू तथा काश्मीर के भारत से पूर्ण एकीकरण में कितना समय लगेगा ?

श्री अनिल के० चन्दा : संविधान सभा ने अपनी १५ फरवरी, १९५४ की बैठक में मूल सिद्धान्त समिति की सिपारिशों को स्वीकार कर लिया था । इनमें दिल्ली करार के उन उपबन्धों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में प्रस्थापनाएं शामिल थीं जिन्हें अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है ।

श्री डी० सी० शर्मा : उस राज्य में सीमा शुल्क के समाप्त कर दिये जाने से वहां के सीमा शुल्क अधिकारियों की अवस्था क्या होगी ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस प्रश्न का उत्तर देना अभी समय से बहुत पहले की बात है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मंत्रणा अधिकरण को समाप्त कर दिया गया है तथा उसके क्षेत्राधिकार को उच्चतम न्यायालय में विहित किया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जम्मू तथा काश्मीर संविधान सभा की सिपारिशें इस समय अन्तिम फैसले के लिए मंत्रिमण्डल के सामने हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या देवनागरी लिपि में हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री एस० एन० दास : क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार से लोक-सभा के लिये प्रतिनिधियों के चुनाव के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना मिली है ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीमान्, यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती है ।

हीराकुड बांध

*१५२२. **डा० राम सुभगसिंह :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;

(क) अब तक हीराकुड बांध के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ; और

(ख) इस बांध के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) फरवरी १९५४ के अन्त तक लगभग २९ करोड़ रुपये ।

(ख) यह बांध जलाई १९५६ तक काफी पूरा हो जायगा और सिंचाई तथा बिजली के लिये इस से पानी मिलने लगेगा ।

श्री राम सुभग सिंह: अब तक जो काम पूरा हुआ है उस पर आरम्भ में कितना धन व्यय होने का अनुमान लगाया गया था ?

श्री हाथी : मैं ठीक ठीक यह नहीं बता सकता कि अब तक जो कार्य हुआ है उस पर

कितनी राशि व्यय की जानी थी ; किन्तु ६७ करोड़ रुपये का अनुमान बदल कर अब ७०·७० करोड़ रुपये हो गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : मूल अनुमान के बदल जाने के क्या कारण हैं ?

श्री हाथी : इस का मुख्य कारण औज़ारों और संयन्त्रों (लगभग ३ करोड़ रुपये) तथा मशीनिरी के पुर्ज़ों की विशेष व्यवस्था करना और मजूरी का बढ़ जाना है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या ग्रामीणों को उन के ग्रामों के पानी में डूब जाने के कारण दिया जाने वाला प्रतिकर भी इस में सम्मिलित है ?

श्री हाथी : नहीं, श्रीमान् ।

डा० राम सुभग सिंह : अब तक कितने ग्राम पानी में डूब चके हैं ?

श्री हाथी : अभी तक कोई ग्राम नहीं डूबा है; केवल बस्तियां, इत्यादि बनाने के लिये कुछ भूमि का अधिग्रहण किया गया है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सत्य है कि पहले जो लक्ष्य निश्चित किया गया था उसे बढ़ा दिया गया है और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

श्री हाथी : हां, श्रीमान् आरम्भ में यह अनुमान लगाया गया था कि यह परियोजना १९५५-५६ तक पूरी हो जायेगी । परन्तु हाल ही में, लगभग ६ या ८ मास पूर्व यह ज्ञात हुआ कि यह जून या जुलाई १९५६ तक काफ़ी तैयार हो जायेगी ; अर्थात् यह १९५५-५६ तक पूरी नहीं होगी । नये मुख्य इंजीनियर ने इसका कारण यह बताया है हैं कि मिट्टी का काम जिस तेजी से किया जा रहा था सम्भवत: उसे कुछ हद तक धीमा कर दिया जाये जिससे कि उसे पक्का किया जा सके । अत: ४ या ५ मास की कोई बड़ी बात नहीं है ।

श्री सारंगधर दास : क्या संशोधित प्राक्कलनों में डेल्टा सिंचाई पर किया जाने वाला व्यय भी सम्मिलित है ?

श्री हाथी : नहीं मेरे विचार में इस में यह सम्मिलित नहीं है ।

भारत आस्ट्रिया व्यापार

*१५२३. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथो उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत-आस्ट्रिया व्यापार करार के फलस्वरूप भारत का आस्ट्रिया के साथ व्यापार बढ़ गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं इस विषय में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता हूं । सभी द्विपक्षीय व्यापार सन्धियों के परिणामों का ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है । खैर, इस का परिणाम कुछ समय पश्चात् ही जाना जा सकता है ।

श्री एल० एन० मिश्र : हमने आस्ट्रिया को मुख्यतया कौन कौन सी चीजों का निर्यात किया है और आस्ट्रिया से मुख्यतया कौन कौन सी चीजों का आयात किया है ?

श्री करमरकर : मेरे पास निर्यात की मुख्य चीजों का ब्यौरा है । ये नारियल की जटा, नारियल की जटा की वस्तुयें, क़हवा, मसाले, रुई तथा रद्दी रुई, अलसी का तेल, अरन्डी के तेल, मूंगफली का बीज और कुछ और चीजें हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सत्य है कि आस्ट्रिया के साथ हुए इस करार में हमें तुलनात्मक दृष्टि से अधिक सुविधायें नहीं प्रदान की गई हैं ?

श्री करमरकर : मैं यह नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य का तुलनात्मक सुविधाओं से क्या तात्पर्य है । सभी सम्भव सुविधायें मिली हुई हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में क्या क्या सामान इम्पोर्ट होता है।

श्री करमरकर : मेरे पास यह इन्फार्मेशन मौजूद नहीं है, मैंने एक्सपोर्ट के बारे में बताया है।

श्री कासलीवाल : क्या इस करार होने से पूर्व आस्ट्रिया के साथ हमारे व्यापार का अन्तर लाभ का था या घाटे का था, और क्या इस करार के होने के पश्चात् इस में कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्री करमरकर : यह व्यापार करार जुलाई १९५२ से अर्थात्, लगभग दो वर्ष से लागू है। जुलाई १९५१ से जून १९५२ तक १९९ लाख रुपये के आयत हुए और ६९ लाख रुपये के निर्यात हुए थे ; जुलाई १९५२ से जून १९५३ तक २१३ लाख रुपये के आयात हुए थे और ४४ लाख रुपये के निर्यात हुए थे ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह करार जी० ए० टी० टी० की सलाह से किया गया था या जी० ए० टी० टी० की सलाह के बिना ही किया गया था ?

श्री करमरकर : श्रीमान् इन करारों से जी० ए० टी० टी० का कोई सम्बन्ध नहीं है।

दरों की मूल अनुसूची

*१५२५. **श्री संगण्णा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नदी घाटी परियोजनाओं के लिये दरों की मूल अनुसूची के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नियुक्त की गई समिति जांच के समय राज्य सरकारों से सलाह लेगी ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या यह उसकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है या उस के लिये अनिवार्य है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). यदि समिति अपने कार्य को पूरा करने के लिये राज्य सरकारों से सलाह लेना आवश्यक समझे तो उसे सलाह लेने की मनाही नहीं है।

श्री संगण्णा : क्या वर्तमान प्राक्कलनों को जो पारित किये जा चुके हैं समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, संशोधित किया जायेगा ?

श्री हाथी : वास्तव में यह समिति प्राक्कलनों को संशोधित करने के लिये नहीं बनाई गई है ; यह तो भविष्य के प्राक्कलनों के मार्ग दर्शन के लिये बनाई गई है।

श्री संगण्णा : इस समिति पर कितना व्यय होगा ?

श्री हाथी : इसके तीन सदस्य हैं और इससे प्राप्त होने वाले लाभ की तुलना में इस पर कोई अधिक व्यय नहीं होगा।

श्री एस० एन० दास : क्या समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कोई समयाविधि निश्चित की गई है ?

श्री हाथी : तीन मास का समय निश्चित किया गया है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या कम से कम कुछ राज्यों में कुछ मूल दरें प्रचलित हैं ? यदि हैं, तो क्या समिति इस बात का ध्यान रखने का प्रयत्न करेगी कि उसकी दरें मूल दरों से अधिक भिन्न न हों ?

श्री हाथी : मेरे विचार में समिति का एक यह काम भी होगा । निस्सन्देह, कुछ राज्यों में प्रचलित मूल दरों से तुलना करनी पड़ेगी और समिति उन पर विचार करेगी ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मूल दरों को निश्चित करने से पूर्व समिति के लिये राज्यों से परामर्श करना आवश्यक है ?

श्री हाथी : यह आवश्यक नहीं है, किन्तु समिति यदि आवश्यक समझे तो ऐसा कर सकती है ।

चल निष्क्रान्त सम्पत्ति

*१५२६. **श्री गिडवानी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार निष्क्रान्त व्यक्तियों को नक़दी या सोने-चांदी को स्वच्छन्दता से ले जाने की अनुमति देने के लिये सहमत हो गई है ; और

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार इस बात पर भी सहमत हो गई है कि जो निष्क्रान्त व्यक्ति चल सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने आयेंगे उन से आय-कर चुकाने का कोई प्रमाणपत्र नहीं मांगा जायेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) नहीं ।

(ख) स्थिति यह है कि पाकिस्तान आयकर विधि के अन्तर्गत उस देश में जाने वाले ऐसे लोगों को जो वहां एक वर्ष में एक बार में ३० दिन से अधिक और बार बार जाने पर कुल मिला कर ६० दिन से अधिक नहीं रहते हैं आयकर चुकाने का प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं । पाकिस्तान सरकार का यह विचार है कि जो निष्क्रान्त व्यक्ति अपनी चल सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान जायेंगे उनके लिये यह छूट की अवधि पर्याप्त होगी । उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कोई निष्क्रान्त व्यक्ति पाकिस्तान में रहते समय अपने लाभ के लिये कोई कार्य न करने लगे तो उसे पाकिस्तान में अधिक समय तक ठहरने पर छूट का प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

सम्भरण विभाग के क्रय

*१५२७. **श्री रामानन्द दास :** क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सम्भरण विभाग प्रति वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में जूते, चप्पल, चमड़े के थैले, पेटियां और बूट खरीदता है ;

(ख) १९५३ में इस प्रकार की वस्तुयें कुल कितनी मात्रा में खरीदी गई; और

(ग) क्या यह सत्य है कि इस प्रकार की वस्तुएं बड़े बड़े औद्योगिक सार्थों से खरीदी जाती हैं और कुटीर उद्योग की वस्तुएं नहीं खरीदी जाती हैं ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २३**]

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

श्री रामानन्द दास : इन वस्तुओं की कितनी मात्रायें बाटा, कानपुर और आगरा जैसे बड़े पैमाने के उद्योगों से और कितनी कुटीर उद्योगों के उत्पादों से खरीदी गई थीं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि यदि मैं कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों से की गई खरीद की प्रतिशततायें बता दूं तो माननीय सदस्य संतुष्ट हो जायेंगे । ऐसी खरीद कुल मूल्य का २४·५ प्रतिशत भाग है ।

श्री रामानन्द दास : क्या सरकार की नीति कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने और योजना आयोग के ग्यारह सूत्री कार्यक्रम के अनुसार कुटीर उद्योगों से सारी खरीदारी करने की है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस चीज़ के लिये हमें योजना आयोग के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिनांक २० जून, १९५२ के सरकारी संकल्प में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि सरकार का इरादा कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को मूल्य संबन्धी अधिमान देने का है, और उपयुक्त मामलों में सरकार विशिष्ट निर्देशों के सम्बन्ध में कुछ सीमा तक ढिलाई करने के लिये विचार करने को तैयार है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इन मात्राओं में से कोई विदेशों से आयात की जाती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इन ख़रीदारियों में से नहीं ।

श्री दाभी : खादी को कितना मूल्य सम्बन्धी अधिमान दिया जाता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह एक बिलकुल भिन्न प्रश्न है । जूतों, चप्पलों और खादी को एक साथ कैसे रखा जा सकता है ? फिर भी खादी के लिये मूल्य अधिमान सम्बन्धी नीति है, और जिस संकल्प का मैंने हवाला दिया उसके अनुसार भी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की योजना के अधीन दी जा सकने वाली तीन आने की छूट के अतिरिक्त मूल्य अधिमान २० प्रतिशत तक हो सकता है ।

एच० एन० मुकर्जी : क्या इन श्रेणियों की कोई ख़रीद विदेशों से की जाती है, और यदि हां, तो उसका अनुपात क्या है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी नहीं, इनमें से नहीं ।

सस्ते मकान बनाने की योजना

*१५२८. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सस्ते मकान बनाने की योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : सस्ते मकान बनाने की ऐसी कोई योजना तैयार नहीं है, जो अभी तक सरकार ने बनाई हो । कदाचित माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि सस्ते मकानों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में दिखाये गये नमूनों को लोक प्रिय बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का बिचार करती है; यदि ऐसी बात है, तो प्रदर्शनी के मैदान में बने हुए सभी नमूने के मकानों का, उनकी वास्तविक रहन सहन की उपयोगिता सहित, विविध दृष्टिकोण से विस्तृत अध्ययन करने और उसके बाद उसके परिणामों को सभी रुचि रखने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराने का विचार है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या सरकार सस्ते मकानों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के मैदान में दिखाये गये नमूनों के प्रकार के मकान भारत में कहीं पर भी बनाने के सम्बन्ध में कोई योजना अपनाने का विचार करती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे कहना पड़ता है कि मैं इस प्रश्न का सही तात्पर्य नहीं समझ सका हूं । यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या देश में कहीं पर भी मकान बनाने की सरकार की कोई योजना है या नहीं, तो मेरा उत्तर होगा—'हां' । सरकारी कर्मचारियों, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों, शरणार्थियों, कोयला खानों के श्रमिकों और अन्य कई प्रकार के लोगों

के लिये सरकार विभिन्न श्रेणियों के मकान बनवा रही है। यदि वह यह भी जानना चाहते हैं कि क्या सस्ते मकानों की प्रदर्शनी में दिखाये गये किसी भी माडल को सरकार अपनाने जा रही है, तो यह चीज़ उसी उत्तर में आ जाती है जिस में मैं बता चुका हूं कि एक विस्तृत अध्ययन किया जायेगा और यदि किसी स्थान विशेष के लिये इनमें से कोई माडल उपयुक्त होंगे तो उनको अपनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई जायेगी ।

श्री ए० एम० टामस : क्या सरकार माननीय मंत्री द्वारा बताये गये सुझावों को राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के द्वारा क्रियान्वित करने का विचार करती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मकान बनाने के लिये नहीं । यह निकाय गवेषणा और सामंजस्य के लिये है, निर्माण के लिये नहीं।

श्री ए० एम० टामस : मेरा तात्पर्य भवन निर्माण सम्बन्धी प्रविधिक बातों को लोकप्रिय बनाने से था ।

सरदार स्वर्ण सिंह : राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन निश्चय ही भवन निर्माण सम्बन्धी प्रविधिक बातों को लोकप्रिय बनायेगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि सस्ते मकानों की प्रदर्शनी देख कर लौटने वाले अधिकांश लोगों का यह विचार है कि यह सस्ते मकानों की प्रदर्शनी नहीं है बल्कि अधिक लागत वाले मकानों की प्रदर्शनी है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं । मेरा अनुभव इसके विपरीत ही है ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : प्रदर्शनी में बनाये गये नमूने के मकानों का सरकार क्या करेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : निरीक्षण के लिये मकानों को बनाये रखा जायेगा और कुछ समय बाद रहने के लिये उनका उपयोग किया जा सकता है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या सस्ते मकानों के निर्माण के लिये मुलायम लकड़ी का उपयोग करने के कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इन में से कई नमूने के मकानों में मुलायम लकड़ी का प्रयोग किया गया है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य लोगों के लिये दिल्ली में भी सस्ते मूल्य के मकान बनाने का विचार करती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जो मकान बन रहे हैं, उन में से कुछ वस्तुतः कम लागत के मकान कहे जा सकते हैं । वे किसी भी प्रकार अधिक लागत वाले मकान नहीं हैं । लागत को कम करने के सम्बन्ध में यदि कोई रूप भेद किये जा सकते हैं, तो उन्हें किया जायेगा ।

डा० सुरेश चन्द्र : जनता में सस्ते मकान बनाने की प्रवृत्ति को लोकप्रिय बनाने में यह सस्ते मकानों की प्रदर्शनी कहां तक सहायक सिद्ध हुई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस चीज़ को नापना बहुत कठिन है । परन्तु मैं समझता हूं कि लोगों ने इसका अच्छा स्वागत किया है और आम तौर पर किये गये प्रयत्नों की सराहना की गई है, उनको कुछ नये विचार प्राप्त हुए हैं, और उन्होंने प्रदर्शनी को बहुत पसन्द किया है ।

अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड

***१५३१. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आरम्भ से अब तक अखिल

भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड ने क्या काम किया है ;

(ख) अभी तक इस बोर्ड ने किन किन स्थानों का दौरा किया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को कोई अन्तरिम प्रतिवेदन या सुझाव दिये गये हैं ; तथा

(घ) यदि हां, तो क्या इनकी एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जा सकती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (घ): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २४]**

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक: क्या इस बोर्ड ने अपना प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया है ?

श्री करमरकर: मुझे एक मित्र से पता चला है कि यह प्रकाशित हुआ है, परन्तु मैं निश्चित रूप से पता लगाना चाहूंगा ।

श्री दाभी: क्या यह तथ्य है कि इस बोर्ड के हाल ही के एक संकल्प में कहा गया है कि चूंकि सरकार ने ग्रामीण घानियों को बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई आर्थिक सहायता मंजूर नहीं की है, अतः घानी वालों के द्वारा देश के बेकार लोगों की संख्या बढ़ जायेगी, और यदि हां, तो बोर्ड की सिफारिश के अनुसार सरकार ने उसे मंजूर क्यों नहीं किया है ?

श्री करमरकर : चूंकि मैंने स्वयं उस संकल्प को नहीं देखा है, अतः मैं इस सम्बन्ध मे कुछ नहीं कह सकता ।

श्रीमती जयश्री : क्या यह तथ्य है कि बोर्ड को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि विविधि योजनाओं के लिये उसने जो धन मांगा था, वह उपयुक्त समय पर नहीं दिया गया ?

श्री करमरकर: बोर्ड द्वारा की गई ऐसी शिकायत के विषय में मैंने सुना है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या सरकार को मालूम है कि 'हरिजन' के नवीनतम अंक में 'औद्योगिक क्षेत्र' शीर्षक के अधीन इस बोर्ड के प्रतिवेदन की समालोचना की गई है ?

श्री करमरकर : मुझे खेद है कि मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता हूं । मैं पता लगाने का प्रयत्न करूंगा ।

बिना जड़े बहुमूल्य पत्थर

***१५३२. श्री बलवन्त सिंह महता :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बिना जड़े और बिना कटे छंटे बहुमूल्य पत्थरों पर लगाये गये २० प्रतिशत आयात शुल्क में से अभी तक कितना धन वसूल हुआ है ;

(ख) उद्योग पर इस शुल्क का क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ग) भारत में किन किन स्थानों पर ऐसे पत्थरों को काटा छांटा और तैयार किया जाता है ; तथा

(घ) किन किन देशों को इन तैयार किये गये बहुमूल्य पत्थरों का पुर्नियात किया जाता है और उसका मूल्य कितना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) (क) : अप्रैल––दिसम्बर, १९५३ १,२४,५६९ रुपये ।

(ख) सरकार को इस सम्बन्ध में ठीक ठीक जानकारी नहीं है ।

(ग) बम्बई, जयपुर और मद्रास मुख्य केन्द्र हैं ।

(घ) बेलजियम, अमरीका, बहरीन द्वीप, हांगकांग, बर्मा, ब्रिटेन, कुवायेत,

सऊदी अरेबिया तथा सिंगापुर । उक्त देशों को १९५२-५३ तथा १९५३-५४ के नौ महीनों में क्रमशः ६,३२,००० रुपये तथा २,१९,००० रुपये के बहुमूल्य पत्थर और बिना जड़े हुए मोती पुनर्निर्यात किये गये थे । तैयार किये हुये पत्थरों के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

बलवन्त सिंह मेहता : क्या यह तथ्य है कि केवल भारत में ही यह उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में चलाया जाता है, जिस में हजारों कारीगर लगे हुए हैं, परन्तु इस कर के लगाये जाने से समस्त उद्योग नष्ट हो गया है और विदेशों को जा रहा है, क्योंकि अधिकतर कुशल कारीगर पहले ही प्रव्रजन कर चुके हैं, और कुछ और ब्रह्मा, पाकिस्तान तथा पाण्डीचेरी जाने वाले हैं ? यदि ऐसी बात है तो इस स्थिति का विचार करते हुए क्या सरकार समस्त उद्योग की जांच करने और इसे कुछ सहायता देकर इसे बचाने का विचार रखती है ?

श्री करमरकर : इसमें लगभग पांच प्रश्न आते हैं । (१) उद्योग में लगे कारीगरों की संख्या बहुत अधिक है; मुझे बताया गया है लगभग ५०,००० है । (२) संभव है कि आयात शुल्क से उद्योग को कठिनाई का सामना करना पड़ा हो । (३) वित्त मंत्रालय ने मामले की जांच की है और वह निर्यात कार्य के लिये आयात शुल्क में कुछ छूट देने की बात पर विचार कर रहा है । (४) तथा (५) मैं भूल गया हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उन्होंने तीनों का उत्तर दे दिया है ।

श्री कासली वाल : क्या भारत सरकार को किसी वाणिज्य तथा उद्योग चैम्बर से इस उद्योग को कुछ सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ?

श्री करमरकर : जी हां मुझे याद है कि मैंने वाणिज्य चैम्बर जयपुर का एक प्रतिनिधान देखा है ।

श्री हेडा : क्या यह सच है कि निर्यात किये गये माल का मूल्य आयात किये गये माल के मूल्य से कहीं अधिक है, और यदि हां, तो क्या सरकार इस दृष्टि से अपनी आयात नीति को पुनरीक्षित करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्रालय इस मामले पर विचार कर रहा है ।

श्री करमरकर : मैं प्रश्न का ठीक तात्पर्य नहीं समझ सका । हम यह करते हैं कि बिना गढ़े पत्थरों को आयात करने की अनुमति देते हैं और यहां पर उनको गढ़ा जाता है और तब निर्यात किया जाता है। निश्चय ही, निर्यात किये गये माल का मूल्य आयात किये गये माल के मूल्य से कुछ अधिक होता है, और हम उस उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहते हैं ।

श्री हेडा : प्रश्न का तात्पर्य यह था कि बहुत सी वस्तुएं जो हम गढ़ने के बाद निर्यात करते हैं, वे उस कच्चे माल से तैयार की गई होती हैं, जो हम आयात करते हैं । इसलिये क्या आयात-शुल्क में संशोधन करने का यह कोई अच्छा कारण नहीं है ?

श्री करमरकर : जैसा मैंने कहा, हम निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, और तैयार करके निर्यात की गई वस्तुओं के लिये आयात किये गये कच्चे माल पर आयात-शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है ।

श्री दाभी : क्या कैम्बे के बहुमूल्य पत्थरों के निर्यातकों ने भी इस २० प्रतिशत शुल्क के हटाने के लिये प्रतिनिधान किया है ?

श्री करमरकर : मुझे कैम्बे के किसी प्रतिनिधान का पता नहीं है ।

श्री बलवन्त सिंह मेहता : इस कमी का लाभ समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार इस उद्योग को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि गढ़े जाने के पश्चात् इन वस्तुओं का रंग, रूप और वजन इतना बदल जाता है, कि मूल कच्चे माल के साथ तैयार माल की पहचान करना या सिद्ध करना बहुत कठिन हो जाता है ।

श्री करमरकर : जी, नहीं । उद्योग के दूसरे पक्षों में भी कठिनाइयां हैं । जब कभी कोई तदर्थ आधार रखने का प्रयत्न किया जाता है, तो वह निश्चय ही उद्योग को आवश्यक सहायता देने का प्रयत्न होगा । उस सहायता का आधार क्या होगा, इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

*१५३३. **श्री दसरथ देव :** (क) क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में प्रत्येक विस्थापित परिवार को औसत रूप से अधिकतम और न्यूनतम कितने एकड़ भूमि दी गई है ?

(ख) त्रिपुरा में अभी और कितने विस्थापित व्यक्तियों को बसाया जाने को है?

(ग) उन्हें बसाने के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

(घ) त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री दसरथ देव : क्या सरकार को पता है कि जिन को पहले ही भूमि दे दी गई है उन में से अधिकांश विस्थापित व्यक्तियों को अभी तक यह नहीं बताया गया है कि उन्हें वास्तविक भूमि कौन सी दी गई है, और यह भूमि केवल कागजात पर ही दी गई है ?

श्री ए० पी० जैन : माननीय सदस्य को कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी, जब तक कि मैं समस्त जानकारी न प्राप्त कर लूं ।

फोर्ड फाउंडेशन दल

*१५३४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या फोर्ड फाउंडेशन के विशेषज्ञ दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जी हां ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन कौन से स्थानों पर वे लोग गये । किन किन जगहों पर इन लोगों ने जांच की है ?

श्री करमरकर : यह गये थे बंगाल, बिहार और पंजाब में और दक्षिण हिन्दुस्तान में ।

डा० राम सुभग सिंह : इन लोगों ने किन किन चीजों की एनक्वारी की है ?

श्री करमरकर : इन लोगों ने एनक्वारी की काम्युनिटी प्राजैक्ट के बारे में, काटेज इंडस्ट्रीज, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्टस की प्राडक्ट को बढ़ावा देने के लिये क्या तरकीब करनी चाहिये इस

के बारे में और उन के विषय में मार-कटिंग, प्रोडक्शन मैथड्स, रिसच इत्यादि क बारे में ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इन लोगों के मुकाबले के एक्सपर्ट यहां नहीं मिल सकते थे ?

श्री करमरकर : यह तो मुश्किल सी बात है । उन्होंने अपनी राय हमको दी है । वह अपने अपने मुल्क में अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट थे और उन के आने से फ़ायदा था, इसलिये हम ने उन को मंगाया है ।

श्री एन० एल० जोशी : इस टीम के कौन कौन सदस्य हैं ?

श्री करमरकर: नाम पहले ही छप चुके हैं । यदि आप अनुमति दें तो मैं नाम पढ़कर सुना सकता हूं । नाम ये हैं: श्री जान मौंकस, श्री रेमंड, श्री डबल्यू मिलर, श्री सी० ले० स्टीवेनज़्, श्री रामी अलैग्जेंडर, श्री स्वेन हेगवर्ग और श्री हैंस ग्रंडस्ट्रोम ।

श्री मुहीउद्दीन: उन्होंने अमरीका में किन कुटीर उद्योगों का अनुभव प्राप्त किया था ?

श्री करमरकर : उन में से कुछ छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास में सीधी दिल-चस्पी रखते थे । उन में से एक व्यक्ति सहकारिता का और एक व्यक्ति व्यापार प्रबन्ध का प्रतिनिधान करता था, और क्योंकि हम कुटीर उद्योगों हस्त कला और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये इन सब मामलों पर सलाह लेना चाहते थे, इसलिये हमने उन्हें फोर्ड फाउंडेशन के तत्वाधान में निमंत्रित कर लिया ।

डा० सुरेश चन्द्र: क्या यह रिपोर्ट हाउस के सामने आ सकती है ?

श्री करमरकर : जी, हां, हम उसको अभी छपवा रहे हैं और जब वह तैयार हो जायगी तो मैं आशा करता हूं कि वह हाउस के सामने आ जायगी ।

श्री अलगू राय शास्त्री : मैं जानना चाहता था कि इस जांच पड़ताल पर कितना खर्चा हुआ होगा ?

श्री करमरकर : अपना तो खर्चा कोई नहीं हुआ । फोर्ड फाउंडेशन ने शायद १५ हजार डालर की रक़म दी थी, उस में से इस का खर्चा हुआ ।

दामोदर घाटी निगम सम्बन्धी प्रतिवेदन

*१५३७ **श्री सारंगधर दास** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दामोदर घाटी निगम के कार्यकरण सम्बन्धी राव समिति, तथा महानदी पुल समिति के प्रतिवेदनों के सदन पटल पर कब तक रखे जाने की आशा है;

(ख) इन दोनों समितियों ने अपने प्रतिवेदन सरकार को किन किन तिथियों को प्रस्तुत किये थे; तथा

(ग) इन समितियों की पृथक पृथक मुख्य सिपारिशें, और वे जिन्हें सरकार ने कार्यान्वित किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) (क) दामोदर घाटी निगम की कार्यवाई सम्बन्धी राव समिति का प्रतिवेदन प्राक्कलन समिति द्वारा देखे जाने के पश्चात सदन पटल पर रख दिया जायेगा । महानदी पुल समिति का प्रतिवेदन तथा इस की सिफरिशों पर सरकार द्वारा किये गये निर्णय लोक लेखा समिति की इच्छा अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा लोक लेखा समिति को दिखाये

जा रहे हैं । यथासंभव शीघ्र प्रतिवेदन सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) राव समिति ने जून १९५३ में और महानदी पुल समिति ने अक्टूबर १९५३ में ।

(ग) राव समिति की सिफारिशों सम्बन्धी सरकार के निर्णयों को देने वाला एक विवरण इसके प्राक्कलन समिति द्वारा देख लिये जाने के पश्चात सदन पटल पर रखा जायेगा । महानदी पुल समिति की महत्वपूर्ण उपपत्तियों के सम्बन्ध में १६ फरवरी, १९५४ को पूछे गये श्री आर० एन० एस० देव के तारांकित प्रश्न संख्या ३२ के उत्तर में बताया गया था । इस समिति की सिफारिशों सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्रतिवेदन के सदन पटल पर रखे जाने के बाद सदन को उपलब्ध की जायेगी ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इन प्रतिवेदनों के विषय में सदस्यों के विश्वास में लिये गये जाने के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति अथवा प्राक्कलन समिति ने कोई आपत्ति की थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन उनके पास भेजा जा रहा है । प्रतिवेदन को देखने से पहले उनको क्या आपत्ति हो सकती है ?

श्री टी० एन० सिंह : प्रतिवेदन सदन पटल पर नहीं रखे जा रहे हैं; इसलिये मैंने यह बात पूछी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को पता है कि जब यह मामला माननीय अध्यक्ष महोदय के सन्मुख पहले किसी अवसर पर प्रस्तुत किया गया था तो उन्होंने निर्णय दिया था कि प्राक्कलन समिति को बताये बिना कोई निर्णय नहीं किया जाना चाहिये । यदि प्राक्कलन समिति की किसी सिफारिश से उन को मत भेद हों, उन का निर्देश पुनः उन से किया जा सकता है और वाद-विवाद के पश्चात् किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है । इसके पश्चात् प्रतिवेदन या सिफारिशें सदन के समक्ष रखी जायेंगी । अब यह इस अवस्था में हैं । यही बात माननीय मंत्री ने कही है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं प्राक्कलन समिति को प्रतिवेदन देरी से भेजे जाने का कारण जान सकता हूं ? प्रतिवेदन बहुत देरी से प्रस्तुत किया गया था ।

श्री हाथी : प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् एक अन्तर-राज्य सम्मेलन हुआ था । भाग लेने वाले राज्यों द्वारा इस मामले पर विचार किया जाना था । कुछ निर्णय किये गये हैं और उन्हें प्राक्कलन समिति के पास भेजा जाने को है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या महानदी पुल समिति का प्रतिवेदन लोक लेखा समिति के कहने पर उसे भेजा गया था; अथवा सरकार ने स्वयं ही भेज दिया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी प्रकार से हो, यह भेज दिया गया है ।

श्री हाथी : वह भेज दिया गया है ।

श्री एल० एन० मिश्र : ऐसा कहा गया है कि प्राक्कलन समिति द्वारा देखे जाने के पश्चात् राव समिति का प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा जायेगा । क्या यह सच नहीं है कि इसे आज सदन पटल पर रखा जाने को है ?

श्री हाथी : जी नहीं ।

श्री एल० एन० मिश्र : यह क्रम पत्र में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसे अब छोड़ दिया गया है ।

सामुदायिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में ऐप्पिलबी प्रतिवेदन

*१५३८. **श्री रघुवीर सहाय** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान ऐप्पिलबी प्रतिवेदन के पृष्ट ४५ पर दी गई उन टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया है जिन में देश की विभिन्न सामुदायिक परियोजनाओं के चलाने में कर्मचारियों की अधिक संख्या होने के कारण एवं कर्मचारियों के सेवाओं के दुरुपयोग के फलस्वरूप ग्रामीणों में भ्रान्ति फैलने का उल्लेख है; तथा

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यावाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमन्त्री (श्री हाथी): (क) जी हां।

(ख) यह प्रतिवेदन सन् १९५३ के जनवरी मास के मध्य में प्रस्तुत किया गया था जब कि सामुदायिक परियोजना प्रशासन बनाया ही जा रहा था। उसके बाद से राज्य सरकारें विभिन्न स्तरों पर सहयोजन का कार्य कर रहीं हैं।

श्री रघुवीर सहाय : क्या यह सच है कि सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में नियुक्त विभिन्न सहायक परियोजना पदाधिकारियों के पास काम काफी नहीं है, क्या उनका काम इस दृष्टि से किसी प्राधिकारी द्वारा देखा जाता है, और यदि हां तो उनकी इस देखभाल का क्या परिणाम है ?

श्री हाथी : मैं तो नहीं मानता कि सहायक परियोजना पदाधिकारियों के पास काम काफी नहीं है। उनके काम की देखभाल प्राधिकारियों तथा सामुदायिक परियोजना के प्रशासकों द्वारा की जाती है।

श्री रघुवीर सहाय : क्या यह सच है कि सामुदायिक परियोजना में कार्य कर रहे विभिन्न विभागों से सम्बन्धित बहुत से प्राधिकारी अपने अपने विभागों के प्रति स्वामिभक्त रखते हैं तथा परियोजना क्षेत्र में काम करने वाले उन प्राधिकारियों के प्रति स्वामिभक्त नहीं हैं जिनके अधीन वे कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप देख भाल एवं अनुशासन में खराबी आती है।

श्री हाथी : ग्राम सेवकों की नियुक्तियों के बाद वे ग्रामों तथा विभिन्न प्राधिकारियों के बीच कड़ी के समान हैं। विभिन्न प्राधिकारी तो केवल प्रविधिक परामर्शदाता हैं और मार्ग प्रदर्शन करते हैं। ग्राम-सेवक ही वहां के अधिकारी होते हैं। विभाजित स्वामिभक्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वे उसी राज्य के सेवक हैं।

श्री अच्युतन : ऐप्पिलबी प्रतिवेदन के अतिरिक्त क्या किसी अन्य परामर्शदात्री समिति ने इस मामले के बारे में विचार किया है, और बताया है कि वहां कर्मचारी आवश्यकता से अधिक ह अतः उनमें कमी की जानी है ?

श्री हाथी : जहां तक मुझे ज्ञात है किसी अन्य ने ऐसा नहीं कहा है।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सच नहीं है कि राष्ट्रीय विकास सेवा तथा सामुदायिक परियोजना के प्रशासनिक कर्मचारी अलग अलग हैं, और जिन ग्राम सेवकों का उल्लेख किया है वे तो केवल राष्ट्रीय विकास सेवा के अधीन कार्य करते हैं ?

श्री हाथी : ग्राम सेवक राष्ट्रीय विकास सेवा तथा सामुदायिक परियोजना दोनों के लिये हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में जहां कि एक काम सामुदायिक परियोजना के पदाधिकारियों तथा राज्य

सरकार के पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है वहां काम का नुकसान केवल इसलिये होता है कि वहुत से प्राधिकारी उसकी देखभाल करते हैं ?

श्री हाथी : प्रत्येक सामुदायिक परियोजना के लिये जो परामर्शदात्री समिति नियुक्त की जाती है उसका सभापति प्रायः या तो सब-डिवीज़नल अधिकारी होता है अथवा कलक्टर होता है । अतः वही सहयोजन अधिकारी है । अतः काम में नुकसान होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । बल्कि वे तो एक दूसरे का पूरक होंगे ।

श्री वेलायुधन : क्या यह सच है कि सामुदायिक परियोजना में नियुक्ति प्राप्त बहुत से कर्मचारियों को पिछले ८-९ महीनों से प्रशासन में बहुतायत होने के कारण ही वेतन नहीं मिला है ?

श्री हाथी : मुझे इसका ज्ञान नहीं है । वास्तव में ये पदाधिकारी राज्यों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । ये राज्य सरकारों के सेवक हैं । मुझ इसका कोई ज्ञान नहीं है कि इन पदाधिकारियों को पिछले ८-९ महीनों से वेतन नहीं दिया गया है ।

नहरी पानी का झगड़ा

*१५३९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत-पाकिस्तान नहरी झगड़े के बारे में अपना निर्णय वाशिंगटन में दे दिया है ; तथा

(ख) यदि हां तो उस निर्णय की शर्तें क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) विश्व बैंक के निर्णय का तो कोई प्रश्न नहीं है; किन्तु बैंक ने कुछ सुझाव दिये हैं ।

(ख) इन प्रस्तावों की रूप रेखा तथा उनकी शर्तों के बारे में इस स्थिति में कुछ बताना सार्वजनिक हित में नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या माननीय मंत्री ने इन प्रस्तावों से सम्बन्धित समाचार-पत्रों में प्रकाशित टिप्पणी को देखा है जिसे इन पत्रों ने वाशिंगटन से किसी साधन विशेष द्वारा प्राप्त किया है ?

श्री हाथी : कुछ टिप्पणियां थीं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन टिप्पणियों के बारे में सरकार को कुछ कहना है कि क्या वे सच हैं अथवा गलत ?

श्री हाथी : समाचार पत्रों में, प्रकाशित सभी समाचारों को हमें सच नहीं मानना चाहिये ।

डा० राम सुभग सिंह : पिछले दो तीन वर्षों में भारत वर्ष ने कई बार कहा है कि यह मामला किसी अन्तराष्ट्रीय न्यायाधिकरण को भेज दिया जाना चाहिये । क्या भारत सरकार का अब भी यही विचार है ?

श्री हाथी : इस मामले को किसी न्यायाधिकरण में भेजने का कोई प्रश्न नहीं है । यह सम्मेलन सितम्बर १९५३ से चल रहा है ।

सरदार हुक्म सिंह : इन प्रस्तावों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है क्या वे हम पर लागू होते हैं ? क्या उन पर विचार हो रहा है और फलस्वरूप क्या बाद को कोई निर्णय होगा अथवा हमें उनका पालन करना होगा ? भारत-वर्ष पर उन प्रस्तावों का क्या प्रभाव होगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : मेरे साथी ने जो कुछ कहा है क्या उसमें मैं कुछ और जोड़ सकता हूं ? जब हम

चर्चा करते हों—जब ये प्रस्ताव हमारे सम्मुख रखे जाते हैं और चर्चा होती है —तो उस समय कोई ऐसा उत्तर देना जो इन चर्चा और बातचीत में रुकावट डाले, बडा कठिन है। यही हमारी कठिनाई है।

मूंगफली का तेल

*१५४०. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ में अनुमानत: कुल कितना मूंगफली का तेल बनाया गया; तथा

(ख) घरेलू उपभोग के लिये, अनुमानत: कुल कितने तेल की आवश्यकता है?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २५**]

श्री के० सी० सोधिया : तेल मिलें कुल कितना तेल तैयार करती हैं?

श्री करमरकर : मूंगफली के तेल के बारे में ही मैं माननीय मित्र को बता सकता हूं। देश में मूंगफली के तेल के कुल अनुमानित उत्पादन का ४/५ भाग भारतीय फैक्टरी अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध बड़ी बड़ी तेल मिलों में बनाया जाता है ऐसा अनुमान है शेष १/५ भाग के उत्पादन के बारे में अनुमान है। कि वह तेल ग्रामीण घानियों से तथा अन्य शक्ति परिचालित घानियों में तैयार होता है।

श्री के० सी० सोधिया : वनस्पति उद्योग में कितने तेल की खपत होती है?

श्री करमरकर : कुल २९५० टन बिना छिली मूंगफली में से वनस्पति निर्माताओं द्वारा ७५० टन मूंगफली—जो कुल मूंगफली का १/४ भाग है—काम में लाई जाती है।

टीन की चादरों का उत्पादन

*१५४१. **श्री एन० आर० नायडू** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत वर्ष में टिन प्लेटों (टीन की चादरों) का उत्पादन आवश्यकतानुसार है; तथा

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार टिन प्लेट और विशेषत: बेकार टिन प्लेट के बारे में आयात नीति पर पुर्नविचार करेगी?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सामान्य रूप में तो आवश्यकता अनुसार भारतवर्ष में काफी टिन प्लेट बनाई नहीं जाती है; किंतु आजकल टिन प्लेटों की मांग में कुछ कमी आ गई है और घटी हुई मांग के अनुसार स्वदेशी उत्पादन काफी है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री एन० आर० नायडू : एक टीन के पीपे बनाने वाले कारखाने की उत्पादन क्षमता का किस प्रकार अनुमान लगाया जाता है तथा पुरानी पद्धति की तुलना में यह पद्धति कैसी है?

श्री करमरकर : टिन प्लेट (टीन की चादर) निर्माण की अधिकतम क्षमता लगभग ६६,५०० टन है।

श्री एन० आर० नायडू : क्या यह सच है कि मशीनी उत्पादन क्षमता के आधार पर टीन की चादरों का नियतन करने के स्थान पर, जैसा कि पहले किया जाता था, अब सरकार प्रत्येक कारखाने की आवश्यकता

के अनुसार, टीन की चादरों का नियतन करने का विचार कर रही है ?

श्री करमरकर : १९५३ के अन्त तक फक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रर्ड सभी टीन के पीपे बनाने वाली तथा, ३१-३-१९५२ के पूर्व, बिजली का प्रयोग करने वाली फैक्टिरियों को, उन उपभोक्ताओं को, जिन के, ३१-३-१९५२ के पहले अपने निजी कारखाने थे, तथा अन्य कारखानों को जसे हरीकेन लालटेन बनाने वाले, जिन के लिये टीन की चादरें देना बहुत आवश्यक था, टिन प्लेट का नियतन प्रत्यक्ष रूप से केन्द्र द्वारा किया जाता था। मिट्टी का तेल भरने के लिये तेल समवायों की मांग घट जाने के बाद तथा संभरण स्थिति के सुगम हो जाने पर, यह तय किया गया कि काल II १९५४ से, इन कारखानों को, इस बात की आज्ञा दे दी जाय कि यह अपनी वास्तविक खपत के लिए जितनी भी टिन प्लेट की आवश्यकता हो, उस के आर्डर, सीधे उत्पादन करने वालों अथवा स्टाकिस्टों के पास भेज दिया करें।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सच है कि टिन प्लेट्स (टीन की चादरों) का उत्पादन नागापटिनम के इंडिया स्टील रोलिंग मिल में, होता है, यदि हां, तो उत्पादन की वार्षिक मात्रा कितनी है ?

श्री करमरकर : नागापटिनम के सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री टी० एन० सिंह : टिन प्लेट्स (टीन की चादरों) के सम्बन्ध में आजकल की भारत की आत्म निर्भरता का ध्यान करते हुए, मैं जान सकता हूं कि चालू वर्ष में या गतवर्ष में क्या टिन प्लेट्स (टीन की चादरों) के आयात की कोई अनुज्ञप्तियां मंजूर की गई हैं ?

श्री करमरकर : अभी तो टिन प्लेट्स पर रोक लगी हुई है। १९५३ में कुल आयात १४७·३ लाख टन था। आशा की जाती है कि वर्तमान गिरावट अस्थायी है तथा निकट भविष्य में हमारी आवश्यकतायें ही बहुत अधिक बढ़ जायेंगी।

विस्थापित व्यक्तियों के दावे

*१५४२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १७ मई, १९५३ को विस्थापित व्यक्ति (दावा) अधिनियम, १९५० की अवधि समाप्त होने तक, इस अधिनियम के अन्तर्गत, सत्यापन किये गये तथा निपटाये गये, विस्थापित व्यक्तियों के दावों की कुल संख्या ; तथा

(ख) इसी कार्य के लिये प्रख्यापित किये गये अध्यादेश के अन्तर्गत कितने दावों तथा आवेदन पत्रों का सत्यापन किया गया तथा निपटाये गये ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :

(क) लगभग ४,४०,०००।

(ख) २३ मार्च १९५४ तक ४,८९२।

डा० राम सुभग सिंह : क्या अध्यादेश प्रख्यापन काल में प्राप्त हुए ४००० प्रार्थना पत्रों में से सभी को निपटाया जा चुका है ?

श्री ए० पी० जैन : नहीं। सब को निपटाया नहीं गया है।

डा० राम सुभग सिंह : कितने प्रार्थना पत्र निपटाये गये हैं।

श्री ए० पी० जैन : लगभग दस हज़ार प्राथना पत्र प्राप्त हुए हैं, तथा उन में से कुछ को ही निपटाया गया है :

आल इंडिया रेडियो, कटक

*१५४३. **श्री संगण्णा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आल इण्डिया रेडियो, कटक स्टेशन के उपसंचालक के मुख्यालय के

नागपुर में बनाये जाने का का कारण : तथा

(ख) क्या उन का मुख्यालय, निकट भविष्य में, कटक को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) कटक के स्टेशन उपसंचालक का मुख्यालय नागपुर में स्थापित नहीं किया गया था। प्रशासनिक नियमों की आकस्मिक आवश्यकताओं के कारण, पूर्णतया अस्थायी प्रबन्ध के रूप में, कटक के इस पद के लिये, एक अफसर को नागपुर में चार्ज लेने तथा वहीं काम करने की अनुमति दे दी गई थी।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री संगण्णा : शीघ्र ही इस केन्द्र की शक्ति बढ़ाई जा रही है तो क्या मुख्यालय को स्थानांतरित करना आवश्यक न होगा ?

डा० केसकर : माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर समझा नहीं। कटक के लिये एक स्टेशन उपसंचालक का पद मंजूर किया गया है परन्तु वह स्थान अभी रिक्त रखा गया है। उसके बल पर एक अन्य केन्द्र में एक अफसर रख लिया गया था। परन्तु प्रशासनिक नियमों के अनुसार यह कहा गया कि उस अफसर को उस स्टेशन पर काम करना पड़ेगा। हालांकि उसकी नियुक्ति कटक के पद पर के लिये हुई है। वास्तव में इस वक्त तो जैसा अफसर कटक में होना चाहिये उस से भी ऊंची श्रेणी का अफसर वहां मौजूद है। इस समय तो वहां पर एक स्टेशन संचालक है।

नेविली लिगनाइट खानें

***१५४४. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दक्षिण अर्काट लिगनाइट क्षेत्र की अग्रिम खनन परियोजना के लिये केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को कुछ मशीनें उधार दी गई थी ?

(ख) क्या सरकार ने इन मशीनों से काम लिये जाने का कोई रुपया भी लिया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) हां।

(ख) नहीं। कोई रुपया नहीं लिया गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : कितनी मशीनें उधार दी गई थीं ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं ठीक ठीक संख्या तो बता नहीं सकता परन्तु छोटी मोटी मशीनों को मिलाकर इनकी संख्या लगभग एक सौ है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इस परियोजना के पास अपनी निज की मशीनें हैं, यदि हां, तो केन्द्र से ऐसी मशीनें क्यों मांगी गई थीं ?

श्री के० सी० रेड्डी : नहीं, इस परियोजना में काम करने के लिये उसके पास पर्याप्त संख्या में मशीनें नहीं थीं। इस लिये उन्होंने भारत सरकार से सहायता मांगी थी, तथा भारत सरकार सहायता देने के लिये तय्यार हो गई। इसके अतिरिक्त कुछ मशीनों के टी० सी० ए० अनुदानों के द्वारा भेजे जाने का प्रबन्ध किया गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : इन मशीनों के पहुंचने के पहले वह अपना काम कैसे चलाते थे ?

श्री के० सी० रेड्डी : कुछ मशीनें उनके पास भी थीं, परन्तु इस सम्बन्ध में मेरे पास ठीक ठीक जानकारी नहीं है।

श्री मुनिस्वामी : क्या माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने, जो हाल ही में

इन खानों को देखने गये थे, कुछ सुझाव दिये हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : हां, कुछ सुझाव दिये गये हैं, भारत सरकार ने इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये कुछ प्रस्तावों पर विचार आरम्भ किया है । आशा की जाती है कि सरकार शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय करेगी ।

श्री पी० सी० बोस : क्या कच्चे लिग-लाइट का निकाला जाना आरम्भ हो गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : नहीं अभी तो प्रयोगात्मक योजना पर ही काम हो रहा है । अभी वास्तव में, लिगनाइट निकालना आरम्भ नहीं किया गया है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या यह शिकायत प्राप्त हुई है कि यह मशीनें पुरानी तथा घिसी पिटी हैं और इस लिये इन को काम ही में नहीं लाया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : वे मशीनें पुरानी हैं परन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि उनको काम में ही नहीं लाया गया है । वास्तविकता तो यह है कि अभी भी उन से काम लिया जा रहा है ।

श्री पी० सी० बोस : वे कौन कौन सी मशीनें हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी खड़े हुए ——

उपाध्यक्ष महोदय : मशीनें एक सौ हो सकती हैं । क्या मैं माननीय मंत्री से कहूं कि वे सारी सूची पढ़ कर सुनावें ?

अगला प्रश्न ।

चल निष्क्रांत सम्पत्ति

*१५४५. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान के अभिरक्षकों के पास जमा की गई, चल निष्क्रांत सम्पत्ति के विक्रय से हुई आय के सम्बन्ध में कोई विवरण प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो कुल धन राशि कितनी है तथा क्या यह धन राशि दावेदारों में वितरित कर दी गई है ?

(ग) क्या यह सच है कि इन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में तृतीय-पक्ष दावों का भुगतान दोनों सरकारों द्वारा कर दिया गया है ?

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक सरकार ने कुल कितना भुगतान किया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) हां, एक ऐसा विवरण प्राप्त हुआ है ।

(ख) ३,९१,२९९ रुपये ८ आने । परन्तु पाकिस्तान सरकार ने प्रार्थना की है कि इस में से ३,०७,९०८ रुपये ७ आने उसको लौटा दिये जायं क्योंकि यह रकम भारत को ग़लती से भेज दी गई थी । जहां तक वितरण का सम्बन्ध है, कुछ व्यक्तियों ने अपने दावे भेजे हैं । आशा की जाती है कि शीघ्र ही भुगतान आरम्भ कर दिया जायेगा । पुनर्वास मंत्रालय को वितरण में विलम्ब होने पर खेद है ।

(ग) तथा (घ). दस प्रति शत अभि-रक्षक शुल्क के अतिरिक्त, पाकिस्तान सरकार नें तृतीय-पक्ष दावों के सम्बन्ध में विक्रय से हुई आय में से ४,११४ रुपये ,११ आने काट लिये हैं । भारत सरकार ने पाकिस्तान से प्राप्त हुई इस धन राशि में से कोई कटौती नहीं की है ।

श्री गिडवानी : दावेदारों की कुल संख्या कितनी है ?

श्री ए० पी० जैन : अठत्तर ।

श्री गिडवानी : कौन सी प्रक्रिया अपनायी जायेगी जिस से दावेदारों को जिनको रुपया दिया जाना है रुपया लेने में आसानी हो ?

श्री ए० पी० जैन : मैंने आदेश जारी किये हैं कि जिलाधीशों के पास चेक भेज दिये जायं, जो शनाख्त कराने के बाद तथा किसी प्रकार का प्रतिज्ञा-पत्र लेकर यह चेक दावेदारों को दे देंगे ।

श्री गिडवानी : क्या अब भी कोई ऐसे दावेदार हैं जिन्होंने अपने प्रार्थना-पत्र नहीं भेजे हैं ?

श्री ए० पी० जैन : कितने ही ह ।

श्री गिडवानी : उनको यह सूचना देने के लिये, कि यह धन राशियां सरकार के पास पड़ी हुई हैं, क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : पहिले तो हम अधि-सूचनायें जारी किया करते थे । इसके अतिरिक्त हमने शरणार्थी संस्थाओं की सहायता ली थी । यही फिर से करने का हमारा विचार है ।

शिक्षात्मक फिल्में

*१५४६. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी शिक्षात्मक फिल्मों को भाग 'ग' राज्यों की शिक्षा संस्थाओं की सीमाओ के अन्दर दिखाये जाने के लिये १९५२ के चलचित्र अधिनियम के लाइसेंस सम्बन्धी उपबन्धों से विमुक्त किया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): भाग 'ग' राज्यों की शिक्षा संस्थाओं की सीमाओं के अन्दर उन फिल्मों के प्रर्दशन को जो केन्द्रीय फिल्म विवेचन बोर्ड द्वारा मुख्य रूप से शिक्षात्मक फिल्में घोषित की गई हैं, चलचित्र अधिनियम, १९५२ की धारा १० के लागू होने से विमुक्त कर दिया गया है । विमुक्ति बिना विशिष्ट फिल्मों का निर्देश किये हुए सामान्य रूप से दे दी गई है । इसलिये, ठीक ठीक संख्या बताना कठिन है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या भाग 'क' और भाग 'ख' राज्यों के सम्बन्ध में भी यह विमुक्ति दी जाती है ?

डा० केसकर : भाग 'क' और 'ख' राज्यों के यहां अपने अधिकारी हैं जो विमक्ति देते हैं । केन्द्रीय सरकार केवल भाग 'ग' राज्यों के सम्बन्ध में विमुक्ति दे सकती है ।

हिमालय पर्वत की मन्सालू चोटी पर चढ़ाई

*१५४७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमालय पर्वत की मन्सालू चोटी पर अभियान निमित्त जो जापानी दल भारत आया है उसे भारत सरकार क्या सुविधा दे रही है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): हिमालय परर्वत की मन्सालू चोटी पर अभियान निमित्त आने वाले जापानी दल को सरकार यह सुविधायें दे रही है :—

(१) दल द्वारा आयात किये जाने वाले सामान की साधारण शर्तों के अनुसार सीमा शुल्क से विमुक्ति ।

(२) ऑल इंडिया रेडियो से मौसम की सूचना के विशेष ब्रॉडकास्ट ।

श्री रघुनाथ सिंह : इसमें आदमी कितने हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मेरे पास आदमियों की संख्या नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार की सुविधायें किसी भारतीय अभियान दल को भी देने का विचार किया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : जी हां, अगर ज़रूरत हुई तो इससे ज्यादा दी जायेगी ।

सिक्किम में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

*१५४८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्तों तथा अन्य सुविधाओं में असमानता है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख): सिक्किम में केन्द्रीय सरकार के तीन प्रकार के कर्मचारी हैं :

(१) भारत के रहने वाले वे व्यक्ति जिन्हें भारत से नियुक्त करके वहां भेजा गया है ।

(२) सिक्किम में ही भरती किये गये भारतीय (सिक्किम निवासी) नागरिक ।

(३) गैर भारतीय स्थानीय व्यक्ति जिन्हें वहां कर्मचारी नियुक्त किया गया है ।

भारत के रहने वाले कर्मचारियों को विदेश भत्ता, वेश-भूषा व उपकरण भत्ता, मुफ्त मकान तथा कुछ अन्य सुविधायें दी जाती हैं जो अन्य दो श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को नहीं दी जातीं । वास्तव में इसे असमानता नहीं कहा जा सकता ; ऐसा विदेश स्थित हमारे समस्त दूतावासों में भारत के रहने वाले कर्मचारियों और उसी स्थान के नियुक्त किये गये कर्मचारियों की सेवा शर्तों में अन्तर होने के कारण है । उन भारतीय नागिरिकों को, जिन्हें उसी स्थान से नियुक्त किया गया है, महंगाई भत्ते के अलावा हाल ही से और अधिक प्रतिकरात्मक भत्ता दिया जाने लगा है । उसी स्थान पर भरती किये गये कर्मचारियों को वेशभूषा व उपकरण भत्ता तथा स्वदेश जाने का भत्ता देने, और सहायता प्राप्त चिकित्सा योजना के लाभ उपलब्ध कराने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : वहां के राजनैतिक अधिकारी को अतिरिक्त भत्ता कितना दिया जाता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : वहां भारत का राजनैतिक अधिकारी भारत का रहने वाला एक अधिकारी है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या उसे वहां रहने के लिये कोई अतिरिक्त भत्ता दिया जा रहा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जिन अधिकारियों को भारत से विदेशों में भेजा जाता है उन्हें विशेष भत्ता दिया जाता है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इन कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का कोई प्रबन्ध है, क्योंकि मुझे पता लगा है कि वहां सारे स्कूलों में नेपाली भाषा ही शिक्षा का माध्यम है और वहां कोई भारतीय भाषा नहीं है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जब हमारे यहां के लोग विदेशों में नौकरी के लिये जाते हैं, तो उनके सामने यह कठिनाई आती है । मान लीजिये किसी को अर्जन्टायना भेजा जाता है, तो उसे वहां के सारे स्कूलों में वहीं की भाषा में पढ़ाई मिलेगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इस अतिरिक्त भत्ते के देने में, इन अधिकारियों के बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखा गया है ।

श्री अनिल के० चन्दा : नई श्रेणियों के तैयार करने में सारी ज़रूरी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या नेपाल स्थित हमारे अधिकारियों को भी उतना ही भत्ता मिलता है जितना भारत के साथ वाले अन्य देशों में नियुक्त अधिकारियों को मिलता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मेरे विचार में भत्ते भिन्न स्थानों में भिन्न हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या माननीय मंत्री को पता है कि सिक्किम स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ कर्मचारियों को विदेश भत्ता नहीं दिया जाता ? यदि ऐसी बात है, तो इसका कारण क्या है ?

श्री अनिल के० चन्दा: मेरे विचार में नियम यह है कि जो लोग १९३१ से पहले नियुक्त हुए थे उन्हें एक दर से भत्ता दिया जाता है और जो १९३१ के बाद नियुक्त हुए थे उन्हें दूसरी दर से।

श्री टी० के० चौधरी : क्या यह अतिरिक्त भत्ता वहां लगे भारतीय विदेश सेवा के कर्मचारियों को ही दिया जाता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : सिक्किम में सारे भारतीय विदेश सेवा के कर्मचारी ही नहीं है।

श्री टी० के० चौधरी : मैं यह जानना चाहता हूं कि वहीं भर्ती किये गये कर्मचारियों को छोड़ कर क्या भारत सरकार के समस्त अधिकारियों को यह अतिरिक्त विदेश भत्ता मिलता है।

श्री अनिल के० चन्दा : मैं आपका प्रश्न ठीक तरह से नहीं समझा।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य का कहना है, और शायद श्री मुकर्जी ने भी यही कहा था कि नेपाल में दूतावास के अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारी भी हैं, जैसे सिक्किम में काम करने वाले भारत के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी। क्या इन्हें भी उनके बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखते हुए उतना ही या उससे अधिक भत्ता मिलता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जो भी अधिकारी भारत से बाहर भेजा जाता है, उसे यह भत्ता मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे वह दूतावास का अधिकारी हो या नहीं ?

श्री अनिल के० चन्दा : कोई भी हो।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं एक बात जानना चाहता हूं। मुझे यह मालूम हुआ है कि सिक्किम में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को वह विदेश भत्ता नहीं मिल रहा है जो मेरे माननीय मित्र के मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों को दिया जा रहा है।

श्री अनिल के० चन्दा : सामान्यत: केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी जो भारत से बाहर भेजे जाते हैं, ये भत्ते पाने के हकदार हैं ; परन्तु श्री मुकर्जी ने जो कहा है उसे ध्यान में रखते हुए मैं निश्चय ही छानबीन करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न समाप्त हो गये हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कपड़े का उत्पादन

*१५१७. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९५३ में कपड़े का उत्पादन १९५६ के लिये निश्चित लक्ष्य तक पहुंच गया है ;

(ख) वर्ष १९५३ में कपड़े का औसत मासिक उत्पादन कितना था ;

(ग) वर्ष १९५३ में कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में कपड़ा निर्यात किया गया ; तथा

(घ) वर्ष १९५२ के मुकाबले में यह मात्रा और मूल्य कितना था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २६]** ।

बरमा को टेकनिकल सहायता

***१५१९. श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बरमा से वहां की विद्युत परियोजनाओं की क्रियान्विति के सम्बन्ध में टेक्निकल सहायता प्राप्त करने के लिये दिसम्बर १९५३ के बाद, जब बरमा विद्युत संभरण बोर्ड के शिष्टमंडल ने इस सम्बन्ध में प्रार्थना की थी, विस्तृत सूचना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गई है ; तथा

(ग) इस सम्बन्ध में बरमा की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). नई दिल्ली स्थित बरमा के दूतावास ने अक्याब ज़िले के सैंगदिन परियोजना के प्रारूप सर्वेक्षण, डिज़ाइनिंग और निरीक्षण के संबंध में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का परामर्श मांगा है ।

(ग) इस विषय पर विचार किया जा रहा है कि बरमा सरकार को केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की सेवायें किन शर्तों पर उपलब्ध कराई जायें ।

पटसन

***१५२४. श्री अमजद अली :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के कच्चे पटसन में कब तक आत्म-निर्भर हो जाने की आशा है ;

(ख) विभाजन से पूर्व और विभाजन के पश्चात् पटसन की तैयार वस्तुओं का औसत वार्षिक निर्यात कितना था ; तथा

(ग) पिछले तीन वर्षों में कुल कितना कच्चा पटसन आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): *(क)* भविष्य के बारे में ठीक ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है ; परन्तु ऐसी आशा है कि १९५५-५६ में भारत में इतने कच्चे पटसन का उत्पादन होने लगेगा जिससे ७५ प्रतिशत ज़रूरतें पूरी हो जायेंगी ।

(ख) तथा (ग). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २७]** ।

बम्बई में सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान

***१५२९. श्री पी० एन० राजभोज :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मत्री यह बतानें की कृपा करेंगे ?

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि बम्बई शहर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मकानों की कमी है ;

(ख) क्या सरकार के पास बम्बई में मकान बनाने के सम्बन्ध में कोई योजना है ; तथा

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) १९५४-५५ में मकान बनाने का काम हाथ में ले लिये जाने की आशा है।

लंका में भारतीय

*१५३०. **श्री वीरस्वामी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि लंका के मंत्रीमंडल ने अपने हाउस ऑफ रिप्रिज़ेन्टेटिवस में लंका में रहने वाले भारतीयों के लिये कुछ सीटें सुरक्षित रखने का निश्चय किया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) लंका सरकार द्वारा अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं किया गया है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

विन्ध्य प्रदेश की विकास योजनायें

*१५३५. **श्री आर० एस० तिवारी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विन्ध्य प्रदेश को पंचवर्षीय योजना की अवधि में विकास योजनाओं के लिये कितनी धन राशि निर्धारित की गई ; और

(ख) उस धन राशि में से विगत दो वर्षों में इस राज्य को वास्तव में कितनी रकम दी गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) (क) ६३९·२ लाख रुपये।

(ख) १९५१-५२ और १९५२-५३ में विन्ध्य प्रदेश योजना पर ७६ लाख रुपये व्यय किये गये हैं। यह याद रखने की बात है कि विन्ध्य प्रदेश जैसे भाग 'ग' राज्यों को, जिनकी अपनी विधान सभायें हैं, योजनाओं पर व्यय के लिये विशिष्ट राशियां देने की प्रथा नहीं है। आमदनी और खर्च के बजट प्राक्कलनों के आधार पर, जिनमें पंचवर्षीय योजनाओं पर होने वाला खर्च भी शामिल होता है केन्द्र राज्यों की संचित निधियों के लिये वार्षिक सहायता अनुदान निर्धारित कर देता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी योजनाओं के लिये राशि की व्यवस्था केन्द्रीय बजट में कर दी जाती है।

उत्तर प्रदेश को अनुदान

*१५३६. **श्री रामजी वर्मा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये १९५३ में केन्द्र ने उत्तर प्रदेश को कितनी राशि दी ; तथा

(ख) किन किन मदों के लिये यह राशि दी गई ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये १९५३-५४ में केन्द्र ने ६४३·५ लाख रुपये की राशि दी है।

(ख) सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २८]**

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

३१३. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने अब तक विभिन्न राज्यों को उनकी विकास परियोजनाओं के लिये कुल कितनी अंशदायी सहायता दी है ?

(ख) पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों अर्थात् १९५१-५२, १९५२-५३ और १९५३-५४ में से प्रत्येक वर्ष में इस प्रकार की कुल कितनी सहायता दी गई ?

(ग) १९५४-५५ और १९५५-५६ के वर्षों में प्रत्येक वर्ष में और कितनी सहायता देने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :

(क) से (ग) . सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें विभिन्न राज्यों को उनकी विकास परियोजनाओं के लिये १९५१–५४ के तीन वर्षों में से प्रत्यक वर्ष दी गई कुल अंशदायी सहायता का ब्योरा दिया हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २९]**

१९५४-५५ के लिये बनाये गये केन्द्रीय बजट में राज्यों को दी जाने वाली ऐसी सहायता के लिये ४९ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । १९५५-५६ के लिये की जाने वाली व्यवस्था योजनाओं की प्रगति पर निर्भर रहेगी ।

पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का प्रत्यावर्तन

३१४. श्री बी० के० दास : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पाकिस्तान से भारतीय संघ में उनके मूल घरों को प्रत्यावर्तित विस्थापित व्यक्तियों को उन के मूल पेशों के हिसाब से किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है ;

(ख) मूलतः वे किन राज्यों के निवासी थे ;

(ग) अपने अपने राज्यों से वे कब प्रव्रजन कर गये थे ; तथा

(घ) उनके पुनर्वास के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (घ) . अनुमानतः इस प्रश्न का सम्बन्ध उन भारतीय मुसलमानों से है जो फरवरी से मई १९५० की अवधि में पश्चिमी पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गये थे । लगभग उन सब के ही घर उत्तर प्रदेश में थें । ८ अप्रैल, १९५० के प्रधान मंत्रियों के समझौते के फलस्वरूप यह तय हुआ था कि इन प्रवासियों को स्थायी रूप से भारत वापस लौटने दिया जायेगा तथा उनकी अचल सम्पत्ति उन्हें लौटा दी जायेगी । इस कार्य के लिये एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई थी जिससे उन प्रवासियों के सम्बन्ध में सत्यापन किया जा सके जो वापस आना चाहते थे । उत्तर प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके प्रमाणपत्र दे दिये गये थे तथा कोटा निर्धारित कर दिया गया था । वापस लौटे हुए ऐसे प्रवासियों की कुल संख्या इस प्रकार है :

१९५० में	१०,८३६
१९५१ में	११,६६२
१९५२ में	१,५००
१९५३ में	कोई नहीं
मार्च १९५४ तक	लगभग १,१००
कुल	२५,०९८

उनके पुनर्वास का प्रबन्ध करने का कोई प्रश्न नहीं है । वे अपने गांवों को वापस लौट गये ।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स

३१५. पंडित डी० एन० तिवारी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसे प्रार्थियों की संख्या (राज्यवार) क्या है जिन्होंने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई कमेटी से लाइसेंस की प्रार्थना की ;

(ख) दिये गये लइसेन्सों की संख्या (राज्यवार) क्या है ; तथा

(ग) प्रार्थना पत्रों को स्वीकार और अस्वीकार करने की कसौटी क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) . एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३०**]

(ग) मोटे तौर पर लाइसेन्स के लिये दिये गये प्रार्थना पत्रों पर निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है :—

(१) जो योजना रखी गई हैं क्या वह सम्बन्धित उद्योग के बारे में सरकार की नीती के अनुसार है ;

(२) क्या उद्योग में उत्पादन क्षमता बढ़ाने की और गुंजाइश है ;

(३) क्या निम्निलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित स्थान उपयुक्त है :

(क) कच्चे माल की सप्लाई और परिवहन ;

(ख) तैयार माल का परिवहन ।

जो प्रस्ताव उपरोक्त बातों को पूरा नहीं करते उन्हें या तो प्रार्थी के पास पुनः विचार करने के लिये भेज दिया जाता है या अस्वीकार कर दिया जाता है—यह सब कुछ प्रत्येक मामले की परिस्थिति पर निर्भर होता है ।

बर्मा में भारतीयों को मुआवज़ा

३१६. श्री बहादुर सिंह : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी सैनिक या असैनिक भारतीय ने द्वितीय महा युद्ध में बर्मा में उठाई गई हानि के लिये कोई अभिवेदन दिया है ?

(ख) क्या बर्मा की सरकार से सरकार ने उन दावों के बारे में पूछताछ की है जिन्हें हानि उठाने वालों ने १९४३ में शिमला में बर्मा सरकार के मख्य सचिव द्वारा उपस्थित किया था और जिन्हें १९४७ में बर्मा सरकार ने भी पंजीबद्ध कर लिया था ?

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) बर्मा में उठाई गई हानि के बारे में विभिन्न बर्मा निष्क्रान्त संघों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा पूछ-ताछ की गई थी। उन सब को यही सलाह दी गई थी कि वे अपने अपने दावे बर्मा सरकार द्वारा स्थापित किये गये युद्ध क्षति दावा आयोग के पास पंजीबद्ध करा लें ।

(ख) बर्मा सरकार ने अभी तक युद्ध क्षति दावों के निपटारे के सम्बन्ध में, जो कि स्वयं उन के नागरिकों तथा साथ ही भारतीयों द्वारा उनके पास पंजीबद्ध कराये गये हैं, कोई निश्चय नहीं किया है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

आल इंडिया रेडियो के प्रकाशन

३१७. सेठ गोविन्द दास : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** २९ जुलाई १९५२ को पूछे गयें तारांकित प्रश्न संख्या २२०२ के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) "आवाज़", "इंडियन लिसनर" और "सारंग" की कुल कितनी प्रतियां मुफ्त वितरित होती हैं ;

(ख) कितनी प्रतियां प्रति वर्ष मूल्य पर बिक जाती हैं, और यदि सभव हो, तो सन् १९४८ से १९५३ तक की बिकी प्रतियों की संख्या तथा उन के प्राप्त मूल्य का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन पत्रों के प्रकाशन के सम्बन्ध में आवर्तक और अनावर्तक कितना व्यय होता है; और

(घ) क्या यह पत्र व्यापारिक रीति से चलाये जाने वाले अन्य पत्रों की समानता में ठीक तरह से चल रहे हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :

(क) क्रमशः १३१, ७३४ और १३५ प्रतियां प्रति बार।

(ख) तथा (ग) . सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट-६, अनुबन्ध संख्या ३१।**]

(घ) जी हां, उनका स्तर ऊंचा करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

विदेशों में भारतीय प्रदर्शनियां

३१८. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ म विदेशों में कितनी भारतीय प्रदर्शनियां की गईं ;

(ख) ये प्रदर्शनियां किन देशों में की गईं ;

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी राशि व्यय की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) . एक विवरण संलग्न है। [**देखि ये परिशिष्ट १६, अनुबन्ध संख्या ३२**]

(ग) वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लेखे अभी तक पूर्णतः तैयार नहीं किये गये। जब ये पूर्णतः तैयार हो जायेंगे तो एक विवरण सदन-पटल पर रखा जायेगा।

निष्क्राम्य उद्योग स्थापनायें

३१९. **सरदार अकरपुरी:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन निष्क्राम्य उद्योग स्थापनायों के अन्तिम निबटारे के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है जो विस्थापित उद्योगपतियों को पट्टे पर दिये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार दावों की जांच करने के पश्चात ये निष्क्राम्य कारखाने वर्तमान पट्टेदारों को अर्द्धस्थायी आधार पर देने का विचार कर रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि पंजाब में अधिकतर विस्थापित उद्योगपतियों ने गत छः वर्षों में उन्हें पट्टे पर दिये गये निष्क्राम्य कारखानों के किराया के रूप में जो राशि संरक्षक को दी है वह कारखानों के पूंजीगत मूल्य से बढ़ गई है ; और

(घ) क्या यह कारखानें उन्हें स्थायी आधार पर देने के समय सरकार निष्क्राम्य कारखानों के वर्तमान पट्टेदारों द्वारा किराया के रूप में दी गई राशि की किसी प्रतिशतता को इन कारखानों के मूल्य के हिसाब में समायोजित करेगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) इस प्रश्न का निश्चय पाकिस्तान के साथ बातचीत के परिणामों पर निर्भर है।

(ख) विषय की जांच की जा रही है।

(ग) यह जानकारी उपलब्ध नहीं और काफी श्रम के बिना एकत्र नहीं की जा सकती।

(घ) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत में राजनयिक मिशन

३२१. **श्री आर० एस० तिवारी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में कितने विदेशी राजनयिक मिशन हैं ;

(ख) इन में कितनों ने सरकारी भवन किराय पर लिये हैं ;

(ग) कितनों ने अपने भवन बनवाये अथवा खरीदे हैं ; और

(घ) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित भवनों से सरकार को कितना किराया मिलता है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ४२ ।

(ख) १७ ।

(ग) नौ राजनयिक मिशनों ने अपने भवन बनाये हैं या खरीदे हैं । इस के अतिरिक्त १३ मिशनों ने चाणक्य पुरी में भूमि ली है और अन्य बहुत से मिशन इस के लिये बात चीत कर रहे हैं ।

(घ) राजनियक मिशनों को दिये गये सरकारी भवनों के किराये की जो राशि सरकार को मिलती है वह लगभग २६,००० रुपये मासिक है । इन आंकड़ों में राजनयिक मिशनों को सरकारी आवासों में अस्थायी आधार पर दिये गये स्थान का किराया सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इस राशि में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है ।

अंक ३

संख्या ३७

शुक्रवार,
२ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक ३ में संख्या ३१ से संख्या ४५ तक हैं)

——:०:——

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान दिलाना—

उड्जन बम परीक्षण [पृष्ठ भाग २६७७—२६८४]

गोआ में स्थिति [पृष्ठ भाग २६८४]

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

१९५१-५२ तथा १९५२-५३ के लिए संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्टें और कुछ मामलों में उसकी सलाह न मानने के लिए दिये गये कारणों के ज्ञापन [पृष्ठ भाग २६८५—२६८६]

विभिन्न आश्वासनों आदि के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में विवरण [पृष्ठ भाग २६८६]

[पन्ना उलटिये]

संसद सचिवालय, नई दिल्ली।

(मूल्य ६ आने)

79 PSD

अनुदानों की मांग—

मांग संख्या १०२—निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय [पृष्ठ भाग २६८७—२७२७]

मांग संख्या १०३—संभरण [पृष्ठ भाग २६८७—२७२७]

मांग संख्या १०४—अन्य असैनिक निर्माण कार्य [पृष्ठ भाग २६८७—२७२७]

मांग संख्या १०५—लेखन सामग्री तथा छपाई [पृष्ठ भाग २६८७—२७२७]

मांग संख्या १०६—निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय [पृष्ठ भाग २६८७—२७२७]

मांग संख्या १३८—नई दिल्ली पर पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २६८७—२७२७]

मांग संख्या १३९—भवनों पर पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २६८७—२७२७]

मांग संख्या १४०—निर्माण आवास तथा संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २६८७—२७२७]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पांचवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव—स्वीकृत [पृष्ठ भाग २७२८]

केन्द्र में द्वितीय सदन के सम्बन्ध में संकल्प—अस्वीकृत [पृष्ठ भाग २७२८—२७५७]

केन्द्र में प्रशासन तन्त्र तथा कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में संकल्प—असमाप्त [पृष्ठ भाग २७५८—२७६८]

लोक सभा

शुक्रवार, २ अप्रैल, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिए भाग १)

३ म० प०

उद्जन बम परीक्षण

अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर ध्यान दिलाना

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान, उपाध्यक्ष महोदय, अभी उस दिन माननीय सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की थी कि उद्जन बम पर मैं एक वक्तव्य दूं। इस विषय पर मेरे पास दो या तीन अल्प सूचना प्रश्न भी आये हैं। अतः मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं, जिसमें अल्प सूचना प्रश्नों के उत्तर भी आ जायेंगे।

सरकार की स्थिति को बताने के इस अवसर का मैं स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि मैं यह बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस नवीनतम भयानक आयुध, उद्जन बम और उसके ज्ञात एवं अज्ञात परिणामों व विभीषिकाओं के प्रति देश के क्या विचार हैं।

हमें बताया गया है कि अमरीका और रूस दोनों ही के पास यह आयुध है और इन दोनों देशों ने पिछले दो वर्षों में इसके परीक्षण विस्फोट किये हैं जिनका प्रभाव प्रत्येक दृष्टि से मानव को ज्ञात किसी भी विनाशक शस्त्र से कहीं अधिक है।

अमरीका ने पहली मार्च को विस्फोट करने के बाद एक और अधिक शक्तिशाली विस्फोट किया है और कहा जाता है कि अभी कई और विस्फोट करने का उसका कार्यक्रम है।

उद्जन बम और उसके विनाशकारी एवं भयानक परिणामों के विषय में समाचार पत्रों में जितनी बातें प्रकाशित हुई हैं अथवा जो अन्यथा सामान्य जानकारी या अनुमान की बातें हैं, उनसे थोड़ा अधिक हमें मालूम है। परन्तु हमें जितना मालूम है उतना ही और यह तथ्य कि इन विस्फोटों के प्रभावों की पूरी पूरी बातें वैज्ञानिकों तक के द्वारा निर्णय नहीं मालूम होतीं हैं, कुछ निष्कर्षों का संकेत करता है। आयतन और उग्रता दोनों ही में अभूतपूर्व शक्ति वाले, कदाचित काल और स्थान अर्थात् काल और परिणामों की व्यापकता सम्बन्धी विनाशक शक्ति के अनिश्चित और अनिर्णय प्रभाव क्षेत्र वाले एक नये आयुध की परीक्षा की जा रही है और फलस्वरूप एक युद्धास्त्र के रूप में उसके प्रयोग के लिये उसकी विशाल शक्ति को मुक्त किया जा रहा है। हम जानते हैं कि इसके प्रयोग से मानव और सभ्यता दोनों

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

ही के अस्तित्व को ख़तरा है। हमें बताया गया है कि उद्जन बम से बचाव का कोई प्रभावशाली उपाय नहीं है और यह कि एक ही विस्फोट से लाखों व्यक्ति काल का ग्रास हो सकते हैं और उससे कहीं अधिक ज़ख्मी हो सकते हैं और कदाचित् इससे भी अधिक जनसंख्या घुट घुट कर मौत के मुंह में जा सकती है या उसे मृत्यु और रोग के बीच निरन्तर भय के वातावरण में जिन्दा रहना पड़ सकता है।

ये भयानक सम्भावनायें हैं और इसका हम पर प्रभाव पड़ता है—सभी राष्ट्रों और लोगों पर—चाहे हम लड़ाइयों में या शक्ति गुटों में फंसें या न फंसें।

संसार के भिन्न भिन्न भागों में ऐसी बातें कही गई हैं जिनसे उद्जन बम युग के भयानक पहलुओं और अशुभ सम्भावनाओं का संकेत मिलता है। मैं उनमें से केवल कुछ का ही हवाला दूंगा।

कुछ समय पूर्व जब सबसे पहले उद्जन बम की खुले आम चर्चा हुई थी तो प्रो० अलबर्ट आइन्स्टाइन ने कहा था कि यदि उद्जन बम बनाया गया तो वायु मण्डल की रेडियो सक्रिय विषाक्तता से पृथ्वीतल पर समूचे प्राणीमात्र का विनाश सम्भव हो जायेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि आज वह भयंकर सफलता प्राप्त कर ली गई है।

सिनसिनाटी विश्व विद्यालय के एक अमरीकी प्रोफेसर डा० ग्रीनहेड ने कहा था कि यदि उद्जन बमों को उनसे होने वाली श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया के लिये इस्तमाल किया गया तो हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जायेंगे जब हमारे हाथ में अपने पूर्ण विनाश के साधन हो जायेंगे।

आस्ट्रेलिया सरकार के रक्षा व वैज्ञानिक सलाहकार श्री मार्टिन, कनाडा के वैदेशिक कार्य-मंत्री, श्री लेस्टर पियर्सन और सोवियत प्रधान मंत्री श्री मालेनकोव ने भी इस सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट करते हुए बताया है कि किस प्रकार समस्त संसार इस भयंकर विनाशकारी आयुध के सम्भावित परिणामों से चिन्तित हो उठा है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इन आयुधों और उनके भयंकर परिणामों के सम्बन्ध में सारे संसार में—विशेष कर लोगों के दिलों में—एक गहरी और व्यापक चिन्ता व्याप्त है। परन्तु केवल चिन्ता ही पर्याप्त नहीं है। केवल भय और डर से ही क्रियात्मक विचार या प्रभावशाली कार्यवाही उत्पन्न नहीं होती है। बेचैनी विद्यमान अथवा संभावित किसी भी प्रकार की भयंकर घटना के विरुद्ध कोई उपाय नहीं है।

मानवता को यथार्थ के प्रति जागरूक होना है, स्थिति का दृढ़ता के साथ सामना करना है और विनाशकारी दुर्घटना को टालने के लिये ज़ोर लगाना है।

इस मामले में इस देश की सामान्य स्थिति बार बार बताई जा चुकी है और उसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। यह हमारा काम है कि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये भरसक प्रयत्न करें।

हमारा यह कथन रहा है कि आणुविक (ताप आणुविक सहित), रासायनिक तथा शरीर विज्ञान (रोगाणु सम्बन्धी) ज्ञान और शक्ति का प्रयोग सामूहिक विनाश के इन आयुधों के बनाने के लिये नहीं किया जाना चाहिये। हमने सर्व सम्मति से और तत्काल सम्बन्धित राष्ट्रों के बीच ऐसे समझौतों के द्वारा ऐसे आयुधों पर रोक लगाने का पक्ष लिया है। फ़िलहाल बाद वाला उपाय ही ऐसे आयुधों पर रोक लगाने के लिये प्रभावशाली तरीक़ा है।

मैं समझता हूं कि सदन को हमारे वे प्रयत्न याद होंगे जो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस दृष्टिकोण के अपनाये जाने के लिये बार बार किये थे ।

१९५३ में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अन्तिम अधिवेशन में, निःशस्त्रीकरण के संकल्प के सम्बन्ध में हमारे प्रतिनिधि मण्डल द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों के फलस्वरूप, स्वीकृत संकल्प में यह बातें सम्मिलित कर ली गई थीं :

(१) "महासभा द्वारा अणु, उद्जन रोगाणु, रसायनिक तथा अन्य युद्ध के एवं सामूहिक विनाश के आयुधों के समापन और उन पर प्रतिबन्ध लगाने की ओर प्रभावशाली उपायों से इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अपनी उत्कट इच्छा की पुष्टि"

(२) निःशस्त्रीकरण आयोग के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये एक ऐसी उपसमिति बनाने की व्यवस्था जिसमें मुख्य रूप से अन्तर्ग्रस्त शक्तियां सम्मिलित हों और जिसकी गुप्त बैठकें ऐसे स्थानों पर हों जिनको वह चुनें ।

सदन को मालूम है कि इस बाद वाले सुझाव पर बर्लिन में तथा अन्यत्र मुख्य रूप से सम्बन्धित शक्तियों द्वारा विचार किया जा रहा है और बातचीत हुई है और जहां तक हमें ज्ञात है ये बातचीत अभी चल रही है ।

आज समय ही हमें चुनौती दे रहा है । विनाश तेज़ी से हमारा पीछा करता आ रहा है और यदि वह हमसे आगे नहीं बढ़ जायेगा, तो कम से कम हमें पकड़ अवश्य लेगा । हमें इसे रोकने का प्रयत्न करना होगा और उससे होने वाले भीषण विनाश को टालना होगा । सरकार का इरादा इस विषय में पूरा ध्यान देने और सर्व सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के उपाय यथासमय व यथास्थान करते रहने का है ।

मैं खुले आम यह बता चुका हूं कि हमारा यह विचार है कि ये प्रयोग, जिन्होंने अपना एकमात्र प्रयोजन पूरा कर दिया है, अर्थात् आंशिक रूप से भय और विनाश का रूप प्रकट कर दिया है, बन्द होने चाहियें । मैं फिर यह कहता हूं कि हमारा यही विचार है, और हम आशा करते हैं कि यह विचार और इससे व्यक्त होने वाली भारी चिन्ता, जो कि संसार व्यापी है, पर्याप्त और सामयिक कार्यवाहियों को प्रोत्साहन देगी ।

सामूहिक विनाश के इन आयुधों पर प्रतिबन्ध लगाने और इनके समापन के सम्बन्ध में जो कि महासभा की उत्कट इच्छा है, जब तक कोई पूर्ण या आंशिक समाधान नहीं हो जाता है, तब तक सरकार तत्काल की जाने वाली कार्यवाहियों में से इन पर विचार करेगी :

(१) कम से कम इन वास्तविक विस्फोटों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का 'यथास्थिति समझौता' होना चाहिये, चाहे मुख्य रूप से सम्बन्धित राष्ट्रों के बीच इनके उत्पादन और इकट्ठा करने को बन्द करने के सम्बन्ध में और अधिक ठोस समझौते बाद में हों ।

(२) इन शस्त्रों का उत्पादन करने वाले मुख्य देश और संयुक्त राष्ट्र संघ उनकी उन विनाशकारी शक्ति और उनके ज्ञात प्रभावों के सम्बन्ध में पूर्ण प्रचार करें । इसके अलावा यह भी बतायें कि इन शस्त्रों के अज्ञात किन्तु संभावित प्रभाव क्या हैं । हमारे विचार से इस प्रकार से हम सबसे अधिक प्रभावशाली रूप से अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं ।

(३) निःशस्त्रीकरण आयोग की उपसमितियों की तात्कालिक (एवं लगातार) प्राइवेट बैठकें हों जिनमें इस शस्त्र के ऊपर नियंत्रण, प्रतिबन्ध आदि लगाये जाने तक

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

किसी यथास्थिति समझौते पर विचार किया जाये ।

(४) विश्व के वे सभी देश तथा उनकी जनता, जो कि इन शस्त्रों के आशंकित प्रयोग तथा मौजूदा परीक्षण विस्फोटों से प्रभावित एवं चिन्तित हैं, यद्यपि इन शस्त्रों के उत्पादन से उनका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, इन शस्त्रों के विरुद्ध सक्रिय क़दम उठायें । मैं आशा करता हूं कि वे इस पर अपनी चिन्ता प्रकट करते हुए इस प्रभावशाली ढंग से अपनी आवाज़ उठायेंगे कि उस विनाशकारी शस्त्र की---जिसने सभी जगह आतंक फैला दिया है--प्रगति को रोका जा सके ।

भारत सरकार इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भरसक प्रयत्न करेगी ।

अन्त में मैं इस सदन और देश की ओर से उन जापानी मछियारों व दूसरे लोगों तथा जापानी जनता के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं, जिनके लिये हाल के विस्फोट ने अपने सीधे प्रभाव से और आहार के विषाक्त हो जाने के डर से एक भारी भय और चिन्ता पैदा कर दी है ।

खुला सागर अब उन्मुक्त विचरण के लिये पहले की भांति खुला नहीं रह गया प्रतीत होता है, और यदि वह खुला हुआ रह भी गया है तो केवल उन व्यक्तियों के लिये जो इन विस्फोटों के फलस्वरूप पैदा होने वाले ख़तरों का सामना करते हुए मछली पकड़ने या अन्य कार्यों से उस पर यात्रा करते हैं । यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है कि एशिया एवं उसके निवासी हमेशा ही उन घटनाओं और परीक्षणों के तथा उसके वास्तविक और सम्भावित परिणामों के निकट होते हैं ।

हमें अभी तक पूरे तार से यह बात नहीं मालूम है कि इन विस्फोटों के जारी रहने वाले प्रभाव केवल वायु और जल के माध्यम के द्वारा जाते हैं या वे प्रकृति के अन्य अंगों में भी रहते हैं और हमें यह भी नहीं ज्ञात है कि ये प्रभाव कितने दिनों तक रहते हैं, अथवा क्या उनसे कुछ शृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया पैदा होती हैं, जिसके सम्बन्ध में कुछ लोग संकेत कर चुके हैं ।

हमें पूर्ण विनाश की ओर चल रही इस दौड़ को रोकने के लिये प्रयत्न करने के हेतु आशा एवं विश्वास के साथ प्रयत्न करते रहना चाहिये ।

गोआ में स्थिति

उपाध्यक्ष महोदय : नियम २१५ के अन्तर्गत श्री कोठा रघुरामय्या और श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने गोआ में भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये सूचना दी है । क्या माननीय प्रधान मंत्री को कुछ कहना है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): श्रीमान्, मैंने अभी एक वक्तव्य दिया है । नियम २१५ के अन्तर्गत अभी मुझे दो और वक्तव्य देने हैं---एक का सम्बन्ध फ़्रांसीसी बस्तियों से है और दूसरे का हवाई प्रदर्शन से । मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि नियम २१५ का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाये किन्तु ऐसा अनेक बार न होना चाहिये ।

स्पष्ट है कि गोआ में जो स्थिति है वह वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं लेकिन कोई ऐसी नई बात नहीं हुई है जिसे मैं सदन के सामने रख सकूं और यदि मुझे वक्तव्य देना ही पड़ा तो वही बातें दोहरानी पड़ेंगी जो मैं कह चुका हूं । अतएव इस विशेष मामले में इस समय यह वांछनीय है---मैं आगे की बात नहीं कहता---कि मैं आगे चल कर कोई वक्तव्य दूं । उस समय मैं सदन के सामने फिर उपस्थित हो जाऊंगा ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

१९५१-५२ तथा १९५२-५३ के लिये संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्टें और कुछ मामलों में उसकी सलाह न मानने के लिए दिए गये कारणों के ज्ञापन

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): संविधान के अनुच्छेद ३२३ (१) के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित कागजात की एक एक प्रति सदन-पटल पर रखता हूं :

(१) १९५१–५२ के लिये संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट तथा १९५१-५२ में कुछ मामलों में आयोग की सलाह न मानने के लिये दिये गये कारणों का ज्ञापन [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एस—९७/५४**]

(२) १९५२–५३ के लिये संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट; तथा १९५२–५३ में कुछ मामलों में आयोग की सलाह न मानने के लिये दिये गये कारणों का ज्ञापन। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एस—९८/५४**]

विभिन्न आश्वासनों आदि के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में विवरण

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं पटल पर निम्नलिखित विवरण रखता हूं जिनमें यह बताया गया है कि मंत्रालयों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों आदि के सम्बन्ध में तथा विभिन्न सत्रों में सदस्यों द्वारा रखे गये सुझावों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ३ **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या ६]**	लोक सभा का पांचवां सत्र, १९५३
(२) अनुपूरक विवरण संख्या ८ **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ७]**	लोक सभा का चौथा सत्र, १९५३
(३) अनुपूरक विवरण संख्या १३ **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ८]**	लोक सभा का तीसरा सत्र, १९५३
(४) अनुपूरक विवरण संख्या १४ **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ९]**	लोक सभा का दूसरा सत्र, १९५२
(५) अनुपूरक विवरण संख्या १४ **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १०]**	लोक सभा का पहला सत्र, १९५२
(६) अनुपूरक विवरण संख्या ११ **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ११]**	अन्तरिम संसद् का तीसरा सत्र, (दूसरा भाग) १९५१
(७) अनुपूरक विवरण संख्या १ (सुझाव) **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १२]**	लोक-सभा का चौथा सत्र १९५३

*अनुदानों की मांगें-- (जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करेगा।

१९५४-५५ के लिये अनुदानों की यह मांगें उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत कीं :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
१०२	निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय	१५,९७,०००
१०३	संभरण	२,७२,२८,०००
१०४	अन्य असैनिक निर्माण कार्य	१४,००,६१,०००
१०५	लेखन सामग्री तथा छपाई	४,८३,३३,०००
१०६	निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	५०,९३,०००
१३८	नई दिल्ली पर पूंजी व्यय	६,०६,९८,०००
१३९	भवनों पर पूंजी व्यय	१०,७६,७५,०००
१४०	निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय।	५,५७,१६,०००

*राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ प्रस्तुत की गईं।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
१०२	श्री तुषार चटर्जी (श्रीरामपुर)	औद्योगिक आवास के लिये प्रबन्ध	१००
१०२	श्री तुषार चटर्जी	कलकत्ते में लेखन-सामग्री विभाग के के अर्धस्थायी कर्मचारियों की छटनी।	१००
१०२	श्री आर० एन० सिंह	सस्ते मकानों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में बनाये गये सस्ते मकानों के नमूनों के अनुसार मकानों का बनाना।	१००

मांग संख्या	कटौति प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
१०२	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी (ज़िला गाज़ीपुर पूर्व व ज़िला बलिया—दक्षिण-पश्चिम)	निजी मकान समितियों तथा लोक सहकारी समितियों के लिये सहायता	१००
१०२	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी (कुष्टगी)	मकान बनाने का सस्ता सामान देकर हरिजनों और कृषि मजदूरों के लिये मकान सम्बन्धी सुविधायें देना।	१००
१०३	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी	कृषि उपकरणों तथा अन्य उत्पादक कार्यों के लिये लोहे के सामान की अपर्याप्त सप्लाई।	१००
१०४	श्री नम्बियार (मयूरम)	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बढ़ई, राज, बिजली, मिस्त्री, वायरमैन आदि को औजारों का न दिया जाना।	१००
१०४	श्री नम्बियार	देखभाल और मरम्मत का काम करने वाले कर्मचारियों की छंटनी।	१००
१०४	श्री नम्बियार	हवाई अड्डों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था।	१००
१०४	श्री नम्बियार	स्थायी निर्माण-कार्यों की देखभाल के लिये अपेक्षित स्थायी पदों की व्यवस्था न करना।	१००
१०४	श्री आर० एन० सिंह	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित समस्त व्यय के बारे में पूर्व जांच करने की पद्धति को लागू करने की आवश्यकता।	१००
१०४	श्री आर० एन० सिंह	नार्थ और साउथ ऐवेन्यू में संसद् सदस्यों के फ्लैटों में रखे गये फर्नीचर के लिये दी गई कीमतों के बारे में जांच आरम्भ करने की आवश्यकता।	१००
१०४	श्री आर० एन० सिंह	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों में भ्रष्टाचार न रोका जाना।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
१०४	श्री आर० एन० सिंह	मंत्रियों, उपमंत्रियों और सचिवों के निवास स्थानों तथा दफ्तरों में शीतोष्ण नियंत्रण और डैज़र्ट कूलर्स की व्यवस्था ।	रुपये १००
१०४	सरदार हुक्मसिंह (कपूरथला-भटिंडा)	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार ।	१००
१०६	सरदार हुक्मसिंह	भारत और विदेशों में क्रय तथा संभरण संस्थायें ।	१००
१०६	सरदार हुक्मसिंह	फालतू सामान का निबटारा ।	१००

श्री आर० एन० सिंह : उपाध्यक्ष महोदय आपने जो मुझे यह समय दिया है उसके लिये मैं आपका अनुग्रहीत हूं । मैं सबसे पहले नार्थ और साउथ ऐवेन्यू के फ़र्नीचर के सम्बन्ध में जो इतिहास है उसके विषय में कहना चाहता हूं । सन् १९५२ में जब पहली बार हम यहां पर आये तो उस समय जो ये फ्लैट्स हमें मिले, उनके साथ के सामान की एक लिस्ट हम को दी गयी । उस लिस्ट में हर एक सामान की अलग अलग क़ीमत रखी गयी थी । उस सामान में से मैं एक दो सामान का नाम और उसकी क़ीमत आपके सामने पेश करता हूं । मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि नार्थ और साउथ एवन्यू में जो स्नानगृह में एक पीढ़ा दिया गया है उसकी क़ीमत दस रुपये है । फिर इसी तरह से तीन फीट लम्बी और दो फीट चौड़ी एक एक दो दो चटाई दी गयी हैं, जिन की क़ीमत आठ रुपये रखी गयी है । इसी प्रकार से फ्लैट्स में जितना भी सामान नार्थ और साउथ ऐवेन्यू में दिया गया, उसकी क़ीमत आज बाज़ार के भाव से दुगुनी और ढाई गुनी है । यह क़ीमत उस समय की लगाई हुई है जब कि बाज़ार में सी० पी० टीक वुड की क़ीमत कम थी । मैं आपके सामने यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज बाज़ार में जो सी० पी० टीक वुड की क़ीमत है वह क़ीमत उस समय की क़ीमत से कुछ अधिक ही है ।

अब इसके बाद मैं आपको उस के ठेकेदारों के सम्बन्ध में बतलाना चाहता हूं कि क्या क्या उन सब ठेकेदारों ने किया और उन सब इंजीनियरों ने किया । इस सम्बन्ध में मैं आप के सामने सब बात रखता हूं । जब १९५१ में ठेका दिया गया उस समय ठेके के लिये दो टेंडर भरे गये । टेंडर दो बार अख़बारों में निकाले गये थे, उनके सम्बन्ध में जो दो टेंडर डाले गये वह दोनों टेंडर एक ही आदमी ने डाले । उसके अलावा कोई दूसरा टेंडर नहीं पड़ा, वही टेंडर स्वीकार किया गया जो कि ८ लाख ७६ हजार ९२० रुपये का था ।

मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि जो नार्थ और साउथ ऐवेन्यू के फ्लैट्स में फर्नीचर दिया गया है उस की क़ीमत आज की बाज़ार से ढाई गुनी है । इसके सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने मैंने दो प्रश्न किये । लेकिन उन प्रश्नों का कुछ ठीक

जवाब सही तरह से न देकर इधर उधर का जवाब दिया गया । फिर उसके उपरान्त, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आप से आधे घंटे का समय इस भवन में बहस के लिये मांगा था । परन्तु आपके द्वारा कहा गया कि यह मामला हाउसिंग कमेटी का है और यह हाउसिंग कमेटी में जाना चाहिये । उस समय में हाउसिंग कमेटी के चेयरमेन बाबू त्रिभुवनसिंह जी से मिला और उनसे सब बातें बतलायीं । उन्होंने कहा कि यह मामला हमसे सम्बन्धित नहीं है, यह हाउस से सम्बन्धित है और यह हाउस में जाना चाहिये । उसके बाद फिर वह आपके पास गये और आप को उन्होंने बतलाया कि यह मामला हाउस में जाना चाहिये, यह मामला भवन में पेश होना चाहिये, यह मामला मुझ से सम्बंध नहीं रखता है । उसके सम्बन्ध में मैं दोबारा आपसे मिला और आपने कहा कि अब हाउस के पास समय बहुत कम रह गया है और इस लिये यह सम्भव नहीं है कि मैं आपको इस के लिये आधे घंटे का समय दे सकूं । आप एक अल्पकालीन प्रश्न कर दीजिये और उस प्रश्न के उत्तर में आपको सब चीज़ें मिल जायेंगी । मैंने आपके कहे अनुसार अल्पकालीन प्रश्न किया लेकिन वह अस्वीकार कर दिया गया, और मुझे सूचित किया गया कि मंत्री महोदय उत्तर देने को तैयार नहीं हैं ।

अब मैं आपके सामने इधर जो नये फ्लेट्स बनाये गये हैं उनके बारे में ज़िक्र करना चाहता हूं । उन फ्लेट्स में सामान फर्नीचर दिया गया है और उनके लिये भी ठेका दिया गया है और मैं आपको बतलाऊं कि यह जो नया ठेका दिया गया वह ठेका जो सन् १९५१ में दिया गया था उससे चालीस फ़ीसदी कम का ठेका है और उसमें सामान बहुत सस्ता आया । जिस ठेकेदार ने पहले ठेका लिया था उसने सन् १९५३ में फर्नीचर सप्लाई करने के लिये टेंडर दिया था और उसने अपने टेंडर में चालीस फ़ीसदी की कमी कर दी थी, जो भी हो उसका टेंडर मंजूर नहीं हुआ । पहले के फ़र्नीचर से जो आज फ़र्नीचर सप्लाई किया गया है उसकी क़ीमत बहुत कम है । मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह से अगर अंधाधुन्ध रुपया खर्च करते रहेंगे तो देश का कल्याण होने वाला नहीं है । आपको इसका ध्यान होना चाहिये कि किस तरह से आज गरीबों से पैसा लिया जाता है, हमारे वित्त मंत्री महोदय तरह तरह के उन पर टैक्स लगाते हैं और वह टैक्स का पैसा गरीबों से किसानों से आता है, इस तरह से आये हुए पैसे को आंख बन्द करके खर्च करना कहां तक उचित है ।

इसके बाद मैं चन्द बातें और आपके सामने रखना चाहता हूं । मकानों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शिनी जो पिछले दिनों दिल्ली में हो रही थी और जिसके सम्बन्ध में बहुत शोर गुल और प्रचार किया गया कि वहां पर बहुत कम क़ीमत के मकान बनाये गये हैं, परन्तु मैं तो यह कहूंगा कि उनकी लागत कोई कम नहीं है क्योंकि ज़मीन की क़ीमत तो उसमें शामिल है नहीं और मेरी समझ में वहां पर कोई भी ऐसा घर नहीं बनाया गया है जो पांच हज़ार या साढ़े चार हज़ार से कम का हो, उस हालत में मैं या कोई और यह कैसे कह सकता है कि वह कम लागत वाले मकान हैं । आपने मुझे अधिक समय नहीं दिया खैर, अब चूंकि आपकी घंटी बज चुकी है इसलिये मैं इन घरों के सम्बन्ध में केवल यही कह कर ख़त्म किये देता हूं कि यह घर के नमूने जितने बनाये हैं, वे सब शहरी जनता के लिये हैं, देहातों की तरफ़ उनका ध्यान नहीं गया है । इसके अलावा मैं यह भी कह देना चाहता हूं एक इंडिविजुअल फैमिली जिसे व्यक्तिगत कुटुम्ब कहते हैं, उसी के लिये यह घर बनाये गये हैं. सामूहिक परिवार के लिये उस मकानों की प्रदर्शिनी में कोई भी घर का नमूना नहीं

[श्री आर० एन० सिंह]

है । देहात के लिये वह प्रदर्शिनी मेरी समझ में बिल्कुल बेकार है । इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के एक सोलह वर्ष का लड़का है और एक चौदह वर्ष की लड़की है, तो उनको रहने में दिक्कत पड़ेगी और कोई एक मेहमान उनके घर में आ जाय तो उनके पास उस मेहमान को ठहराने की जगह नहीं है । मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि आपको प्रदर्शिनी में कुछ ऐसे भी घर बनाने चाहिये थे जो कि देहाती जनता और उनकी आवश्यकता के अनुकूल होते और वह देख कर कहते कि हां यह हमारे लिये उपयुक्त हैं और इनमें एक सामूहिक परिवार रह सकता है । हमारे देश में अभी सामूहिक परिवार में रहने की प्रथा चालू है और अभी लोगों को पसन्द है ।

मैं ख़त्म किये देता हूं । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह देहात की जनता की तरफ़ ध्यान दें, वह बेचारे ग़रीब वहां बसते हैं और उनके पास रहने लायक़ झोंपड़े तक नहीं हैं, ऐसी हालत में हमारा एयर कंडीशनिंग और कूलिंग अरेंजमेंट पर करोड़ों रुपया ख़र्च करना कहां तक उचित और न्यायसंगत है । गांवों में तो लोगों की ऐसी दयनीय अवस्था हो और यहां पर एयर कंडीशनिंग और डैज़र्ट कूलर्स की ज़रूरत महसूस हो और उसके लिये जनता का इतना रुपया ख़र्च किया जाय, यह तो हमारे लिये बड़ी शर्म की बात होगी । देश में जब इतनी ग़रीबी हो तो दूसरी तरफ़ हम आकर अमन चैन करें और स्वर्ग की चीज़ें यहां अपने लिये सुलभ करें, यह मेरे ख्याल में किसी भी हालत में ठीक नहीं है । बस मैं और अधिक न कह कर आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, हालांकि मुझे समय बहुत कम दिया गया ।

श्री गणपति राम (ज़िला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के सम्मुख चन्द बातें रखना चाहता हूं । मैं शुरू में ही यह कह देना चाहता हूं कि आपकी हाउसिंग की मिनिस्ट्री ने इन थोड़े से दिनों में जो काम किये हैं, उनमें से बहुत सी चीज़ें प्रशंसनीय हैं, लेकिन साथ ही मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता और मैं उस ओर अपने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मज़दूरों के रहने के लिये जो बस्तियां देश भर में बनाई जा रही हैं, यह जो कल और कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिये जो टेनामेंट्स बनाये जा रहे हैं, उनमें जैसी प्रगति होनी चाहिये थी उस अनुपात में अभी तक काम नहीं हो रहा है और मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री से एक प्रश्न भी पूछा था, उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि अभी तक सन ५३–५४ के लिये जो टारगेट फ़िक्स किया गया है, वह अभी पूरा नहीं हो सका है । सन् १९५४–५५ के लिये जो टारगेट फ़िक्स किया गया है, उसके लिये मुझे नहीं मालूम कि वह नियत समय के अंदर पूरा हो सकेगा या नहीं । मैं माननीय मंत्री से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जनता के अंदर यह भावना फैल रही है कि सरकार जो काम लेती है उसको नियत समय में पूरा नहीं करती है । आज बहुत से प्राजेक्टस देश के कोने कोने में फैले हुए हैं और उन पर काम चल रहा है, लेकिन मुझे यह कहते दुःख होता है कि कहीं कहीं पर तो लीकेज हो जाता है और कहीं कहीं पर उन पर काम करने वाले इंजीनियर, ओवरसियर और ठेकेदार चोरी करते हैं जिसके कारण जनता में असन्तोष फैला हुआ है । कहीं कहीं यह चोरियां पकड़ी भी जाती हैं और अखबारों में जो कुछ आता है उसके ऊपर जितनी निगाह होनी चाहिये, जितनी

कार्यवाही होनी चाहिये, उतनी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जनता में यह असन्तोष है कि सरकार उचित कार्यवाही नहीं कर पाती है। बल्कि जनता में यह विश्वास भी बढ़ता जा रहा है कि सरकार ठेकेदारों और इंजीनियरों की तरफ़ पक्षपात भी करती है। मुझे इस विषय में आपसे यह अर्ज़ करना है कि जनता के इस अविश्वास, इस भावना को दूर करने की ज़िम्मेदारी हमारी लोकप्रिय सरकार पर है, और आप पर यह ज़िम्मेदारी ख़ास तौर पर है कि आप उनकी इस जमती हुई भावना को दूर करें।

मैं आपके सामने एक केस बताना चाहता हूं। आज से कोई ६, ७ साल पहले, सन् १९४८ में कार्नवालिस रोड पर फ्लैट्स बनाने का कंट्रैक्ट दिया गया था। जिस ठेकेदार को दिया गया वह दीवान चन्द्र सब्बरवाल था। इसके विषय में मुझे यह कहना है, यद्यपि यह मामला इजलास के अन्दर है, इसलिये मैं ज़्यादा न कहना चाहते हुए भी यह कहना चाहता हूं कि यह कंट्रैक्ट जो दिया गया था, इसके अन्दर करीब दो तीन हज़ार मज़दूर काम करते थे। थोड़े दिन के बाद वह कंट्रैक्ट फेल हो गया तब गवर्नमेंट के इंजीनियरों और ओवरसियरों ने मज़दूरों, बेलदारों और जमादारों से जो उसके अन्दर काम कर रहे थे कंट्रैक्ट किया और उनको आश्वासन दिया कि अगर वे नियत समय के अन्दर काम पूरा करवा देंगे तो वह रुपया जो ठेकेदारों को दिया जाना था, उन बेलदारों जमादारों और मज़दूरों को दे दिया जायेगा। वह पूरे के पूरे फ्लैटस बना कर तैयार कर दिये गये, लेकिन बाद में जब वह बेलदार और जमादार रुपया मांगने के लिये गये तो वहां के ओवरसियरों और इंजीनियरों ने उनसे बार्गेनिंग शुरू कर दी। मैंने इस विषय में माननीय मंत्री के पास पत्र भी भेजा था और सारी कार्यवाही जो कि इंजीनियरों और ओवरसियरों तथा दीवान चन्द्र सब्बरवाल के बीच में हुई थी वह भी भेजी थी, मजदूरों की एक दरख्वास्त भी भेजी थी कि किस प्रकार से इस विषय में जमादारों और बेलदारों को रुपया नहीं दिया गया था। उनका रुपया ३२ हज़ार या इसके करीब था। उसमें कुछ और ठेकेदार थे, जिनमें से चार या पांच ठेकेदारों के सभी कुलियों और जमादारों को सारा पैसा दे दिया गया था। मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ जब उन बेलदारों और जमादारों ने आकर यह कहा कि वह ओवरसियर और इंजीनियर, जो सी० पी० डब्ल्यू० डी० में हैं, कहते हैं कि आप रुपये में ४ आना लेना चाहें तो ले लें, १२ आना उनके खाने के लिये रहने चाहियें। वह लोग इस पर तैयार नहीं हुए। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि इस विषय में पूरी जांच करें और हज़ार, दो हज़ार मजदूरों के इस प्रश्न को साफ़ करें क्योंकि यह उनकी रोज़ी का सवाल है। उनकी जानकारी के वास्ते मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उनमें से अधिकतर मज़दूर रिफ्यूजीज़ हैं और वह अपना देश और घर छोड़ कर आये हैं, उनके पास और कोई साधन नहीं है। ऐसी अवस्था में अगर आप उनकी उचित मज़दूरी का ख़याल करते हैं तो इससे उनका बहुत कुछ फ़ायदा होगा।

मैं आपके इंजीनियरों और ओवरसियरों के विषय में इतना ही कहना चाहता हूं कि आज सी० पी० डब्ल्यू० डी० ही एक ऐसा डिपार्टमेन्ट है जिसके इंजीनियरों और ओवरसियरों के ऊपर जनता का अविश्वास है। कहा जाता है कि ठेके का ज्यादातर पांच फ़ी सदी, दस फ़ी सदी या पन्द्रह फ़ी सदी तो वही खा जाते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा जाता है, मैं यह नहीं कह सकता कि इसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है लेकिन जनता की यह आवाज़ है, जैसी मेरे कानों में आती है उसको मैं आपके सामने बिना

[श्री गणपति राम]

किसी हिचक के रख देना चाहता हूं । जनता यह कहती है कि इंजीनियर और ओवरसियर तथा ठेकेदार लोग जो हैं उनमें अलग अलग कमीशन के रेट होते हैं । वह ठेकेदारों से अलग रेट रखते हैं, और उनके ऊपर जो काम करने वाले अफ़सर हैं, अर्थात ओवरसियर और इंजीनियर वह अलग कमीशन रेट रखते हैं । दस, पन्द्रह या बीस फ़ी सदी जो भी टेंडर के अनुसार कंट्रेक्ट होता है वह उसमें से ले लेते हैं ।

इस तरह से वह रुपया बनाते रहते हैं । जनता यह भी कहती है कि आखिर क्या कारण है कि ये अफ़सर, ओवरसियर तथा इंजीनियर जो थोड़े दिन पहले नौकरी में आते हैं । दो दो चार चार साल में बड़ी बड़ी जायदादें बना लेते हैं । उनके पास लाखों रुपये हो जाते हैं ।

इस तरह की और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको जनता सन्देह की दृष्टि से देखती है । इस भावना को आप को जनता में से दूर करना है । किस किस प्रकार आज सीमेन्ट की चोरियां, या कहीं पर और सामान की चोरियां, इमारत के सामान की चोरियां, सुनने में आती हैं । आप जब इस डिपार्टमेन्ट को सम्भाले हुए हैं तो आप से मेरा इतना ही अनुरोध है कि आप जनता की इस फैलती हुई भावना को दूर करें, जिससे देश की और सरकार की और आप की भी भलाई हो ।

श्री महोदय (नीमार) : माननीय उपाध्यक्ष जी, हाउसिंग, वर्क्स और सप्लाई के बारे में मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हाउसिंग स्कीम के अन्दर बहुत से काम दिल्ली शहर में किये गये हैं और बहुत से बाहर । इस सम्बन्ध में हमारी जनरल नीति यह होनी चाहिये कि हम शहरों को अधिक न बढ़ायें । इन दिनों संसार की जैसी परिस्थिति हो रही है, उसको देखते हुए भी यह उचित होगा कि जहां तक हो सके हम शहरों के अन्दर अब अधिक कंस्ट्रक्शन्स न करें ।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, यह है कि गांवों के अन्दर जैसे मकान बने रहते हैं, उनके अन्दर भी सुधार हो । हमारी लो कास्ट हाउसिंग एग्ज़ीबिशन के अन्दर जैसे मकानों के नमूने बनाये गये थे, उनमें शहरों के पक्के मकान भी थे और गांव के लोगों के रहने लायक कच्चे मकानात भी थे । ऐसे मकान, जैसे कि वहां बनाये गये हैं, अधिक से अधिक लोकप्रिय हों, उनका प्रचार हो, इसका प्रयत्न करना चाहिये । मुझे यह देख कर खुशी है कि मंत्री जी इस का प्रचार करना चाहते भी हैं । यही नहीं, बल्कि आम तौर पर जैसे मकानात बनाये जा रहे हैं, उनके अन्दर भी कुछ नये सुधार के नमूने पेश करना चाहते हैं ।

शहरों के अन्दर मजदूरों की बस्तियां हैं, उनको वहां से हटा कर मजदूरों के लिये अच्छे मकानात बनाने की योजना भी हमारे सामने है, यह प्रसन्नता की बात है इसके लिये कुछ योजनायें शासन के सामने हैं और वे राज्यों के द्वारा और कोआपरेटिव सोसायटीज़ के द्वारा ऐसे मकानात बनाने की योजना को प्रोत्साहन देना चाहते हैं । इस हाउसिंग स्कीम के अन्दर २८ हजार से ऊपर मकानात बन चुके हैं, यह खुशी की बात है ।

सप्लाई के विषय में भी दो बातें कहने की हैं । मैं शासन से नम्रतापूर्वक विनती करना चाहता हूं कि जहां तक हो सके हमारे देश की बनी हुई चीजें, स्वदेशी चीजों को ही और इससे भी अधिक जो चीजें गांवों में बनती हैं, उनको प्रोत्साहन देने की तरफ

ध्यान दिया जाय । करीब १६७ करोड़ का माल १९५२ में ख़रीदा गया और जिसमें टेक्सटाइल्स यानी कपड़े की चीजें करीब ३ करोड़ ३९ लाख की थीं । हम को यह देख कर आश्चर्य हुआ कि उसमें से खादी केवल ढाई लाख की थी और काटेज इंडस्ट्री तथा और दूसरी गृह उद्योग की चीजें मिला कर ६५ लाख की थीं । हम कुछ संसद् सदस्यों ने पिछले साल मांग की थी कि हमारे निवासों के लिये जो चीजें लाई जावें वे केवल खादी की और घरेलू उद्योग की ही हों । मुझे पता नहीं कि इस विनती पर कहां तक अमल करने का विचार शासन कर रहा है । इन चीजों की तरफ़ हमारी सरकार ही ध्यान नहीं देगी तो और कौन लोगों का किसी प्रकार से मार्ग दर्शन कर सकेगा ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में । सदस्यों को बोलने के लिये चुनने की वास्तविक प्रणाली क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कांग्रेस दल तथा विरोधी दल में समय का विभाजन ६० और ४० के अनुपात से करता हूं । अपने समय का विभाजन वह स्वयं कर लेता है । जहां तक कांग्रेस दल का सम्बन्ध है मुझे ३७० सदस्यों में से चुनाव करना होता है । फिर पीछे बैठने वाले सदस्य शिकायत करते हैं कि उनको तो अवसर ही नहीं मिलता है । यही शिकायत कुछ राज्यों की ओर से की जाती है । कोई सदस्य यह कहते हैं कि श्रमिक हित वाले सदस्यों को अवसर नहीं मिलता है । मैं ब्रह्मा तो हूं नहीं कि समय को बढ़ा सकूं । श्री चौधरी को अपने अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिये । मैं चर्चा को विनियमित करने का भरसक प्रयत्न करता हूं। श्री राधारमण।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि हाउसिंग सप्लाई और वर्क्स मिनिस्ट्री के काम की चर्चा करने का मौका मुझे दिया गया । सन् १९५२ में इस मिनिस्ट्री को ख़ास तौर पर इस ख्याल से क़ायम किया गया था कि यह महसूस किया गया कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से हाउसिंग भी एक है । और अब जब कि हम आज़ाद हो गये हैं हम यह चाहते हैं कि जहां हमारे यहां हर एक इंसान को खाना और कपड़ा मिले वहां उसके रहने की व्यवस्था भी ठीक हो । इसलिये यह सोचा गया कि यह बेहतर है कि हाउसिंग की एक अलग मिनिस्ट्री क़ायम की जाय और उसके ज़रिये हाउसिंग के प्रश्न को जल्दी से जल्दी हल किया जाय ।

मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा । जितना वक्त आपने दिया है उसी में दो तीन बातें हाउसिंग के सिलसिले में सदन के सामने और आपके सामने रखूंगा । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उन पर ग़ौर करेंगे और अगर वह सही मानों में आम आदमी की तक़लीफ़ है तो उसे दूर करने की भी कोशिश की जायगी ।

जो रिपोर्ट हाउसिंग मिनिस्ट्री की सदन के सदस्यों के पास भेजी गयी है उसको मैंने बहुत काफ़ी ग़ौर से पढ़ा । यह सही है कि मिनिस्ट्री क़ायम होने के बाद इन दो सालों में हिन्दुस्तान भर में और खुसूसन दिल्ली में काफ़ी ऐसे काम हाथ में लिए गये हैं कि जिनके ज़रिये सरकारी मुलाज़िमों को और उन मज़दूरों को कि जो इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हों काफ़ी सुविधा मिलने की आशा है। इसके अलावा जो सरकार को अपने दफ्तरों के लिए इमारतों की ज़रूरत है उनके बनने में भी काफ़ी तेज़ी नज़र आती है । लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी और जो कि मुझे रिपोर्ट में नहीं मिली वह यह है कि आम आदमियों के लिए कोई मकानों का सरकार की तरफ से इन्तिज़ाम नहीं है । यह तीनों

[श्री राधा रमण]

बातें कि सरकारी दफ्तरों के लिए इमारतों का इन्तिज़ाम हो, सरकारी मुलाज़िमों के लिए मकान बनें और जो मज़दूर तबक़ा है उसके लिए रहने का इन्तिजाम होना निहायत ज़रूरी है और इस सिलसिले में जो कुछ किया गया उसकी सराहना की जा सकती है, मगर एक बहुत बड़ा तबक़ा जो कि आम लोगों से ताल्लुक रखता है वह रह जाता है और उसकी तरफ कोई तवज्जह अभी तक हाउसिंग मिनिस्ट्री ने नहीं की है। मैं आपके सामने एक ख़ास तकलीफ़ दिल्ली की रखना चाहता हूं। आप जानते हैं कि दिल्ली की जनसंख्या हर साल काफ़ी तादाद में बढ़ती जाती है। मेरा अपना ख्याल यह है कि जहां सन् १९५१ की सेंसस में दिल्ली की जनसंख्या १८ लाख के करीब थी वह सन् १९६१ में ड्योढ़ी ज़रूर हो जायगी यानी २५ लाख हो जायगी। यह मेरा अपना अन्दाज़ा है और मैं समझता हूं कि ग़लत नहीं होगा। तो हमें यह देखना है कि जिस तेज़ी से यहां जनसंख्या बढ़ रही है उस तेज़ी से मकानात बन रहे हैं या नहीं। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का हर शख्स जो कि बाइज्ज़त ज़िन्दगी बसर करना चाहता हो उसे कम से कम रहने लायक़ एक मकान मिले। मैं इस तरफ मंत्री महोदय की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और मैं यह जानना चाहता हूं कि बावजूद इसके कि यहां पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है और बावजूद इसके कि यहां पर लेंड डेवेलपमेंट का आफ़िस काम कर रहा है कितने मकानात हाउसिंग मिनिस्ट्री की मदद से ऐसे बने हैं जो हमारी बढ़ती जाने वाली आबादी की ज़रूरतों को पूरा करते हों। रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री के ज़रिये बहुत सारे मकान बने हैं लेकिन उनमें शर्त यह है कि जो विस्थापित हैं वही उनमें रह सकते हैं लेकिन क्या आप यह मुनासिब नहीं समझते कि यह जो दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है इसकी ज़रूरत को सामने रख कर हम यहां पर कोई न कोई ऐसी स्कीम जारी करें जिसमें कि जो यहां साधारण आदमी रहता है जिसको मकानों की कमी की वजह से बहुत तकलीफ़ है उसके लिए मकानों का इन्तिज़ाम हो। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अगर आप दिल्ली की कोर्टस् में जाकर देखें तो आप पायेंगे कि ७५ फ़ीसदी मुक़द्दमे मकानों की तक़लीफ़ की वजह से रहते हैं और आदमियों का हज़ारों और लाखों रुपया इस पर ख़र्च हो जाता है और इसके बावजूद भी वह तकलीफ़ दूर नहीं होती। मुझे याद है कि दो तीन साल हुए कि चन्द आदमियों ने दिल्ली में एक कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनायी थी। उसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग थे। उसके चेयरमैन मिस्टर शिवराव थे और संसद् के कुछ सदस्य भी उसके मेम्बर थे और उसमें कुछ गवर्नमेंट के मुलाज़िम भी थे और जो दिल्ली के साधारण रहने वाले हैं वह भी कुछ उसके सदस्य थे। दो साल तक बराबर कोशिश करने के बावजूद भी उस सोसायटी को कोई ज़मीन नहीं मिल सकी कि जहां वह जगह हासिल कर के और कुछ अच्छे अच्छे मकान बना कर अपने रहने की तकलीफ़ को दूर करती। इसलिये मेरा यह ख्याल है कि जहां मन्त्री महोदय सरकारी मुलाज़िमों की तरफ़ तवज्जह देते हैं और और मज़दूर तबक़े की तरफ़ तवज्जह देते हैं और सरकारी इमारतें बनाने की तरफ़ तवज्जह देते हैं, वहां इस ज़रूरत की तरफ भी ध्यान दें। कोई ऐसा हाउसिंग कारपोरेशन क़ायम किया जाय या कोई ऐसी और एजेन्सी क़ायम की जाय कि जिसमें साधारण मनुष्यों को यह सहूलियत हो कि वह आहिस्ता आहिस्ता कर के मकानों के मालिक बन सकें और बजाय इसके कि लैंडलार्ड्स के हाथों से उनको तकलीफ़ हो, वह अपने मकानों के मालिक

बन कर उनमें रह सकें और आराम की ज़िन्दगी बसर कर सकें। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान कोआपरेटिव सोसायटीज की तरफ़ इस काम के लिये दिलाना चाहता हूं। जैसे उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया के लिये हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटीज बनवाई हैं, इसी तरह से कुछ ऐसे आदमियों के लिये कि जो साधारण स्थिति के हैं, आम कारोबारी हैं, जो साधारण तौर से अपनी ज़िन्दगी बसर करते हैं, जिनकी रोज़ाना की अपनी आमदनी बहुत नहीं है, ऐसे लोगों के लिये कोई इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है और वह करना चाहिये। हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी का जो तजुर्बा बम्बई में लोगों को हुआ है, मैं समझता हूं कि उससे हम कुछ सबक़ ले सकते हैं। वहां हज़ारों की तादाद में लोगों को कोआपरेटिव सोसायटीज के ज़रिये ज़मीनें दी हैं।

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुज़फ्फरपुर मध्य) : मद्रास में।

श्री राधारमण : मद्रास में भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने मिल कर आम लोगों के रहने के लिये अच्छे अच्छे मकान बना लिये हैं जिससे उनकी ज़िन्दगी बहुत शानदार और अच्छी गुज़र रही है।

दूसरी चीज़ मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि आपने अपनी रिपोर्ट में यह भी ज़िक्र किया है कि हाउसिंग मिनिस्ट्री ने स्लम क्लीयरेंस का काम भी अपने हाथ में उठाया है। मैं इस सिलसिले में दिल्ली का जो मामला है वह मन्त्री जी के सामने और उपाध्यक्ष जी के सामने रखूंगा। मैं समझता हूं कि दिल्ली में लगभग दस या बारह ऐसे स्लम एरियाज़ हैं कि जहां इंसानी ज़िन्दगी किसी तरह से भी गुज़र नहीं की जा सकती। अगर कोई भी आदमी इन स्लम एरियाज़ को जाकर देखे तो सिवाय शर्म के अपना सिर झुकाने के और कुछ नहीं कर सकता। इंसान की ज़िन्दगी उन स्लम एरियाज़ में क़तई बसर नहीं हो सकती। बावजूद इसके कि दो वर्ष से हाउसिंग मिनिस्ट्री क़ायम है, दिल्ली अजमेरी गेट की जो स्कीम चली उसको जारी हुए कई साल हो गये हैं, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी कम है कि जिसका ज़िक्र करना मैं समझता हूं जरूरी है। तो मेरी अर्ज़ यह है कि माननीय मन्त्री महोदय इस बात को देखें कि यह दिल्ली कैपिटल है, दारुल ख़िलाफ़ा है। हाउसिंग मिनिस्ट्री के मुक़र्रर करने का जो मक़सद है उसका असर अगर हमारे दिल्ली शहर पर या दारुल ख़िलाफ़ा पर ही न दिखाई दे, तो सारे हिन्दुस्तान को हम क्या दिखा सकते हैं। इसलिये यह ज़रूरी है कि हम दिल्ली में ऐसी मिसालें रखें कि जो हिन्दुस्तान के दूसरे स्थानों पर भी लागू कर सकें। हमें अपना काम इन दो मदों में कर के दिखाना चाहिये, एक तो स्लम क्लीयरेंस में और दूसरे साधारण लोगों के लिये मकान मुहय्या करने में। कोई ऐसी मैशीनरी जारी करनी चाहिये कि जिससे साधारण मनुष्य को इस बात का मौक़ा मिले कि वह थोड़ा थोड़ा रुपया लगा कर अपने घर को निजी मकान बना सके और चन्द वर्षों के बाद उसका मालिक बन सके।

इस सिलसिले में मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि इंश्योरेंस सोसायटी भी बहुत काफ़ी मन्त्री महोदय की और गवर्नमेंट की मदद कर सकती है। तो इन ख्यालात को मैं मंत्री महोदय के सामने रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह इन पर ग़ौर करेंगे।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला—भटिंडा) : मैं माननीय मंत्री का ध्यान वाशिंगटन और लन्दन स्थित भारतीय क्रय मिशनों की ओर दिलाना चाहता हूं। १९५०-५१ में प्राक्कलन कमेटी ने इन दोनों मिशनों पर होने वाले खर्च का पता लगाया था और वह कुल ५८ लाख रुपये प्रति वर्ष बैठता था। लेकिन अब इनका खर्च

[सरदार हुक्मसिंह]

६८.०१ लाख रुपये हो गया है। इस प्रकार खर्च में १० लाख रुपये की वृद्धि हुई है जबकि प्राक्कलन कमेटी ने खर्च को घटाने की सिफारिश की थी। यदि काम में वृद्धि हो गई होती तो खर्च बढ़ने का कोई सवाल भी उठता लेकिन काम में वृद्धि न होने पर खर्च क्यों बढ़ गया है ?

वाशिंगटन स्थित भारतीय सप्लाई मिशन के बारे में यह बताया गया है कि वहां पर खाद्य आदि खरीदने के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता है और इसीलिये कमी नहीं की जा सकती है। लेकिन अब तो हम खाद्य के मामले में लगभग आत्म-निर्भर हो चुके हैं और यदि खाद्य अमरीका से मंगाया भी गया तो केवल एक या दो साल तक और मंगवाया जायेगा। फिर इतने बड़े मिशन को वहां पर स्थायी बनाये रखने से क्या लाभ है। ऐसे मिशन से क्या लाभ जिसका खर्च प्रति वर्ष बढ़ता ही जाये। खाद्य के अलावा वहां से जो सामान खरीदा जाता है उसका मूल्य अधिक से अधिक ७.२२ करोड़ रुपये हो सकता है और इस राशि के लिये हम वहां पर इतना खर्चीला मिशन नहीं बनाये रख सकते। इतनी राशि तक का सामान तो वहां पर स्थित हमारा दूतावास और वाणिज्य दूत भी खरीद सकते हैं। आखिर अन्य देश भी तो ऐसा ही करते हैं। हमें वहां पर इतना बड़ा मिशन रखने में क्या लाभ है।

४ म० प०

एक और बात यह है कि सरकार ने वहां का खर्च कम करने की बजाय वहां पर १५ लाख रुपये की लागत की एक इमारत इस सप्लाई मिशन के लिये बनवाई है। मैं यह तो नहीं जानता कि पहले कितना किराया देना पड़ता था। लेकिन इतना अवश्य ही कह सकता हूं कि इतनी कीमती इमारत बनवाना लाभदायक नहीं हो सकता। यदि एक या दो अधिकारियों को स्थान देने का ही सवाल था तो उन्हें हमारे दूतावास में रखा जा सकता था। और तो और उस इमारत के लिये भारत से नक्काशी की गई किवाड़ें तथा चिह्न के लिये एक सुन्हरी प्लेट भेजी गई थी। कदाचित् हम वहां के रहने वालों पर यह प्रभाव डालना चाहते थे कि हमारा देश एक धनी देश है। यदि आप भारतीय संस्कृति और परम्पराओं का ही प्रदर्शन करना चाहते थे तो वह अन्य तरीकों से भी किया जा सकता था। मैं जानना चाहता हूं कि किवाड़ों और प्लेट पर कितना खर्च आया था।

अन्त में मैं भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनर्ह अधिकारियों को स्थायी बना दिया गया है जब कि अर्ह अधिकारी अभी अस्थायी रूप से ही काम कर रहे हैं। इससे कर्मचारियों में असंतोष फैल रहा है। इस बुराई को दूर किया जाना चाहिये। यदि माननीय मंत्री चाहें तो इस सम्बन्ध में मैं उन्हें अनेक उदाहरण दे सकता हूं।

श्री एन० राचय्या (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): मैं इस अवसर पर गृह-व्यवस्था मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं जिसने मकानों के सम्बन्ध में बहुत काफ़ी प्रगति की है। इस मंत्रालय को स्थापित हुए दो ही वर्ष हुए हैं और इस थोड़े समय में उसकी प्रगति वास्तव में प्रशंसनीय है। माननीय मंत्री, सरदार स्वर्णसिंह ने गत समय मैसूर में यह कहा था कि वह मज़दूरों के लिये और आम लोगों के लिये मकान बनवाने में यथा शक्ति प्रयत्न करते रहेंगे। उनका यह वक्तव्य बहुत उत्साहजनक है। मुझे यह विश्वास है कि मंत्रालय मिल मज़दूरों के लिये ही नहीं बल्कि कृषि-मज़दूरों के लिये भी मकान बनवाने की

योजनायें बनायेगा और शहरों के गन्दे और घिच-पिच वाले क्षेत्रों को हटाने का प्रयत्न करेगा।

गृह-व्यवस्था मंत्रालय राज्यों द्वारा बनाये गये गृह-निर्माण निगमों तथा सहकारी संस्थाओं को अनुदान अथवा ऋण देता है और वह इस पैसे से मकान बनवाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह मंत्रालय उन लोगों को तो, जो पहले ही से किसी काम में लगे हुए हैं और जिन्हें पहले ही से कुछ सुविधायें प्राप्त हैं, मकान बनवाने के लिये सहायता दे रहा है; परन्तु उसे ऐसे लोगों को भी सहायता देनी चाहिये जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनका कोई मकान नहीं है और जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। चाहे ये लोग अनुसूचित जाति के हों या किसी अन्य जाति के, सरकार को इन्हें वित्तीय सहायता देनी चाहिये। इसके अलावा, उन्हें मकान बनवाने के लिये सरकारी विभागों से सब प्रकार की सहायता और सुविधायें मिलनी चाहियें। यदि कोई व्यक्ति सरकार से सहायता चाहता है तो सरकार की यह नीति होनी चाहिये कि वह उसे सस्ती निर्माण-सामग्री तथा अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायें।

मैं अब अनसूचित जातियों के लोगों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे बहुत खेद है कि वित्त मंत्री तथा कुछ सदस्यों को छोड़ कर कोई भी अनसूचित जाति के लोगों की भलाई की ओर ध्यान नहीं देता है। देश में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या पांच करोड़ से भी ज्यादा है परन्तु सरकार ने इनके कल्याण के लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है। ये लोग भी मतदाता हैं और देश के नागरिक हैं; इनके साथ भी समानता का व्यवहार होना चाहिये। मकान बनवाने के सम्बन्ध में सरकार को इनका भी उतना ही ध्यान रखना चाहिये जितना वह अन्य वर्गों के लोगों का रखती है। मैं माननीय मंत्री से यह अपील करूंगा कि वह चाहे जिस संस्था को मकान बनवाने के लिये अनुदान दें, परन्तु वह इस बात को ध्यान में रखें कि उन मकानों में से इन अभागे लोगों के लिये कुछ मकान अवश्य रक्षित रखे जायें। मैं गृह-व्यवस्था मंत्रालय से प्रार्थना करता हूं कि वह इस समस्या पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें और इन लोगों के कल्याण की ओर अधिक से अधिक ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं जो जनता की भलाई के लिये पूरी ईमानदारी से काम करता रहा है।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : इस मंत्रालय के अधीन जो तीन महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनके बारे में इतने थोड़े से समय में अपने विचार विस्तृत रूप से प्रकट करना सम्भव नहीं है। फिर भी मैं इनके बारे में संक्षिप्त रूप में कुछ कुछ कहूंगा। सबसे पहले मैं मुद्रण विभाग को लेता हूं। पहले भी मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिला चुका हूं कि भारत सरकार के मुद्रण प्रबन्धक द्वारा जो विभिन्न पत्रिकायें निकाली जाती हैं उनके प्रकाशन में बहुत देर लगती है। उदाहरण के लिये, आप संसदीय वाद विवाद के प्रकाशन को लीजिये। हमें पिछले वर्ष के सितम्बर के वाद-विवाद की प्रतियां अब मिल रही हैं। इनमें जरूरत से ज्यादा देर लग रही है। संसदीय वाद विवाद तथा अन्य प्रकाशनों को छपवाने के काम में जल्दी की जानी चाहिये।

इसी प्रकार, प्रकाशनों के मूल्य के बारे में मुझे शिकायत है। मेरे हाथ में यह भारत के देशीय तथा नदी-मार्ग द्वारा किये गये व्यापार के आंकड़ों से सम्बन्धित एक छोटी सी पुस्तक है। इसका मूल्य २० रुपये है। इसी तरह के आंकड़ों से सम्बन्धित एक पुस्तक और है जिसका मूल्य ३१ रुपये है।

[श्री बंसल]

आप स्वयं विचार कीजिये कि इतना ज्यादा मूल्य देकर इन पुस्तकों को कौन ख़रीद सकता है । ये पुस्तकें अर्थ-शास्त्रियों तथा शोध-कार्य करने वाले विद्यार्थियों के लिये बहुत काम की हैं परन्तु इनका मूल्य इतना है कि ये लोग तो क्या इनके विश्व विद्यालय तथा कालिज भी इन्हें नहीं ख़रीद सकते । तो मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि शिक्षा तथा शोध-कार्य के हित में इन पुस्तकों तथा प्रकाशनों का मूल्य कम किया जाये ताकि हमारे विद्यार्थियों को इन्हें प्राप्त करने में अधिक कठिनाई न हो । फिर, मुद्रण प्रबन्धक द्वारा प्रकाशनों का मूल्य निश्चित करने में बड़ी देर कर दी जाती है जिसके कारण बहुत कठिनाई होती है । मूल्य निश्चित करने में इतनी देर नहीं होनी चाहिये ।

अब मैं मकानों के प्रश्न को लेता हूं । रिपोर्ट में कुछ आंकड़े दिये गये हैं । इन दो वर्षों में औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत कुछ मकान बनाये गये हैं और इस पर व्यय करने के लिये ७ करोड़ रुपये नियत किये गये हैं । इसका अर्थ यह है कि सरकार राज्य सरकारों, उद्योग-पतियों तथा सहकारी समितियों के साथ मिल कर मकान बनाने पर ७ करोड़ रुपया ख़र्च करने वाली थी । परन्तु आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि न तो राज्य सर-कारों ने ही कुछ ज्यादा रुपया ख़र्च किया है और न ही मिल-मालिकों ने इस योजना से लाभ उठाया है । सहकारी समितियों ने भी बहुत कम ऋण लिया है । शायद मंत्रालय उद्योगपति पर यह दोष लगाये कि उन्होंने इस योजना से लाभ उठाने की कोशिश नहीं की, परन्तु मेरे ख्याल में बात यह है कि इस कार्य के करने में मंत्रालय ने कोई ठीक तरीका नहीं अपनाया है । या तो उनके जन सम्पर्क विभाग में कोई गड़बड़ है या उनके यहां प्रार्थना पत्रों पर उचित रूप से कार्यवाही नहीं की जाती । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब मकान बनाने के लिये करोड़ों रुपये की राशि मंजूर की जा चुकी है तो उसमें से केवल कुछ लाख रुपये ही ख़र्च हुए हैं और बाक़ी रुपयों का फ़ायदा नहीं उठाया गया है । मेरा यह सुझाव है कि है कि मंत्रालय के जन सम्पर्क विभाग में कुछ सुधार किया जाये ताकि उद्योगपतियों तथा सहकारी समितियों की वास्तविक कठिनाइयों का पता चल सके । सबसे अच्छा यह होगा कि सहकारी समितियों और उद्योग-पतियों की एक छोटी सी बैठक बुलवाई जाये और उसमें यह विचार किया जाये कि इन अनुदानों और ऋणों का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा है । और इसमें क्या क्या कठिनाइयां हैं ।

अन्त में मैं मंत्रालय के संभरण विभाग की चर्चा करूंगा । रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि देशीय स्रोतों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की प्रतिशतता विदेशों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के मुकाबले में दिन पर दिन कम होती जा रही है । जैसा कि माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया था १९५०–५१ में यह ४९ प्रतिशत थी, १९५१–५२ में ४७ प्रतिशत और १९५२–५३ में ४४ प्रतिशत । मैं नहीं जानता कि इस कमी के क्या कारण है । हमें सन्तोष है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि देशीय स्रोतों से ही अधिका-धिक वस्तुएं प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है ।

अब मैं विदेशो म माल ख़रीदने के लिये हमारे जो मिशन हैं, उन के बारे में कुछ कहूंगा । मेरी राय में ये मिशन बेकार हैं और इन से हमारा ख़र्चा बहुत बढ़ा हुआ है । हमें इन्हें समाप्त कर देना चाहिए । इन मिशनों के द्वारा विदेशों में माल ख़रीदने का यह परिणाम होता है कि एक तो हम अपने

व्यापारियों और आयातकों को उन की होने वाली आय से वंचित रखते हैं। और दूसरे यह कि ये लोग बड़े बड़े माल से संबंधित व्यापारिक बातों से अनभिज्ञ रहते हैं। जब तक आप उन्हें इन बड़ी बड़ी वस्तुओं को आयात करने का अवसर नहीं देंगे तब तक यह लोग इस व्यापार में कुशल नहीं हो सकते। इस लिये में यह सुझाव देता हूं कि आप इन मिशनों के द्वारा कम से कम ख़रीदारी करें और इस बात के लिये प्रयत्न करें कि जहां तक हो सारे माल की ख़रीद देश के अन्दर ही की जाये। इस तरह से हम सारे देशों के प्रतिनिधियों की प्रतियोगिता से भी लाभ उठा सकते हैं।

श्री नम्बियार (मयूरम) : सर्व प्रथम मैं भारत सरकार के गृह-निर्माण कार्यक्रम पर बोलूंगा। इस विषय में एक सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना को तैयार करने के अलावा कोई और ठोस कार्य नहीं किया गया है। उद्योगपतियों ने सरकार की योजना के अनुसार कार्य नहीं किया है और मज़दूरों के लिये मकान नहीं बनवाये हैं। सरकार ने मिल-मालकों को ३७ लाख रुपया ऋण के रूप में और २८.५ लाख रुपया सहायता के रूप में देना मंजूर किया है जिन से पिछले दो वर्षों में ४६३८ मकान बनने की आशा थी। परन्तु मिल मालिक इस रुपये का कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं और मज़दूरों के मकानों की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब तक इन लोगों पर दबाव नहीं डाला जायेगा तब तक इस राशि का प्रयोग किये जाने की कोई संभावना नहीं है। मैं तो यह सुझाव दूंगा कि मिल मालकों से मज़दूरों के मकान बनवाने के लिये सरकार को क़ानून बनाना चाहिये वरना हमारे यहां के मज़दूर हमेशा बिना मकान के ही रहेंगे। राज्यों ने भी १९५३-५४ में इस राशि का कम प्रयोग किया है। संभवतः इस का कारण राज्यों की वित्तीय कठिनाई है। परन्तु इस वजह से मज़दूरों को मकान न मिलना एक ग़लत बात होगी।

इसी प्रकार सहकारी समितियों ने भी कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है। कार्मिक संघों की सहकारी समितियां भी इस लिये कुछ नहीं कर रही हैं क्योंकि उन्हें सरकार मान्यता नहीं देती है। जब तक सरकार अपनी नीति नहीं बदलेगी तब तक कार्मिक संघों से इस दिशा में कुछ करने की आशा नहीं की जा सकती।

गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये राज्य सरकारों ने १६ करोड़ रुपये मांगे थे परन्तु उन्हें केवल एक करोड़ ही दिया गया है। यह स्वयं इस बात का प्रमाण है कि सरकार इस विषय में कितनी उदासीन है। जहां तक गांवों में गृह-व्यवस्था करने का संबंध है, न तो सरकार की और न ही योजना आयोग की इस बारे में कोई योजना है। दक्षिणी भारत में अनुसूचित जाति के लोग जिस हालत में रहते हैं वह वास्तव में शोचनीय है। पता नहीं सरकार इन लोगों का सहयोग प्राप्त करके इन की दशा सुधारने का प्रयत्न क्यों नहीं करती है।

मुझे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मज़दूरों के बारे में कुछ कहना है। पहली चीज़ तो यह है कि इस विभाग में छंटनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माननीय मंत्री ने कहा कि जब कोई निर्माण-कार्य समाप्त हो जाता है तो छंटनी करनी ही होती है। परन्तु इन अस्थायी रूप से रखे गये लोगों की तो मकान बनने के बाद ही आवश्यकता होती है जब उनकी देख-भाल और मरम्मत आदि करनी होती है।

मुझे बताया गया है कि कलकत्ते के सरकारी लेखन-सामग्री कार्यालय में श्रेणी

[श्री नम्बियार]

३ व ४ के लगभग ३० व्यक्तियों को पहली मार्च, १९५४ से छंटनी का नोटिस दे दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इन लोगों के लिये कुछ व्यवस्था करें और इन्हें अलग न करें।

इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है। जहां तक यात्रा भत्ता देने का प्रश्न है, इन के लिये एक विचित्र नियम है। जब उन का कहीं स्थानान्तरण होता है तो उन्हें रेल के किराये के बराबर ही यात्रा भत्ता मिलता है जब कि अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को किराये के अलावा कुछ और भी दिया जाता है। पता नहीं निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा संभरण मंत्रालय में यह विचित्र बात क्यों हो रही है।

जहां तक कर्मचारियों को स्थायी बनाने का प्रश्न है मुझे पता चला है कि राष्ट्रपति भवन के ऐसे मालियों को, जिन्हों ने २५ या ३० बर्स तक नौकरी की है, अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि इसका क्या कारण है। दूसरी चीज़ यह है कि जो मज़दूर और मिस्त्री मरम्मत आदि का काम करते हैं उन्हें अपने ही औज़ार इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सरकार द्वारा उन्हें औज़ार नहीं दिये जाते और उन्हें अपने पैसे से ख़रीदने होते हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्रालय इन बातों पर गौर करे और कर्मचारियों की उचित मांगों पर ध्यान दे। मैं यह नहीं कहता कि उन की हरेक मांग को एक दम पूरा कर दिया जाय। मैं सरकार की कठिनाइयों को समझता हूं, परन्तु उसे कम से कम उन की मांगों पर सहानुभूति से तो विचार करना चाहिये। उदाहरण के लिये हवाई अड्डों पर काम करने वाले कर्मचारियों को लीजिये। हवाई अड्डे बस्ती से दूर होते हैं और इन लोगों को अपने काम पर जाने में बड़ी कठिनाई होती है। इस लिये या तो इन को अपने रहने के लिये वहीं पास में मकान दे दिये जायें या फिर इन को आने जाने के लिये सुविधायें दी जायें।

अन्त में मैं माननीय मंत्री तथा सदस्यों का ध्यान प्राक्कलन समिति की १९५०-५१ की रिपोर्ट में की गई एक सिफारिश की ओर दिलाता हूं जिस में कहा गया है कि निर्माण, खान तथा विद्युत और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जाये जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय रूप से ही निर्माण कार्य करने की बात की जांच करे ताकि ठेकेदारों के मुनाफ़े से बचा जा सके। मुझे यह नहीं मालूम कि इस संबंध में क्या किया जा रहा है परन्तु ठेकेदारी प्रणाली अब भी चालू है और ये लोग खूब मुनाफ़ा उठा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि इस की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति की जाये।

मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार की "औद्योगिक गृह-निर्माण योजना" एक अच्छी योजना है, परन्तु इन से हमारी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकेंगी।

मेरा अन्त में यही निवेदन है कि अन्य लोगों के साथ साथ मज़दूरों की भलाई का भी ध्यान रखा जाये।

निर्माण आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : इस मंत्रालय के कार्यों तथा कार्य-संचालन में सुधार करने के लिये जो अनेकों सुझाव दिये गये हैं उन के लिये मैं सदन के सदस्यों का आभारी हूं। यह मंत्रालय निश्चय ही एक सेवा मंत्रालय है। इस रूप में वह विश्वास अथवा वह सन्तोष, जो यह उन व्यक्तियों में उत्पन्न करता है

जिन के लिये यह कार्य करता है, इस की कार्य-कुशलता अथवा कम से कम अपने उत्तरदायित्वों का पालन करने की क्षमता की जांच है। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि इस प्रकार के मंत्रालय के कार्यों पर टीका टिप्पणी होती है क्यों कि इसे बहुत बड़ा कार्य करना पड़ता है तथा अनेकों वर्गों के सैंकड़ों मनुष्यों को, कभी कभी विरोधी रुचि वाले मनुष्यों के, सम्पर्क में आना पड़ता है। वास्तव में, आश्चर्य तो यह है कि इस मंत्रालय के कार्यों की टीका टिप्पणी न तो इतनी तीव्र है और न ही इतनी तीक्ष्ण है। श्रीमान्, अपने थोड़े से समय में मैं बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये बहुत से प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

गृह निर्माण की योजना के सम्बन्ध में, बहुत से सुझाव दिये गये हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में उसकी आलोचना हुई है। यहां तक कि मेरे माननीय मित्र श्री नम्बियार ने कदाचित् बड़े ही अनमनेपन से, कहा था कि औद्योगिक गृह-निर्माण योजना एक ऐसी योजना है जिसकी अनुरूप योजना कहीं और नहीं बनाई गई है। उनकी शिकायत यह थी कि हम पर्याप्त कार्य नहीं कर रहे हैं। परन्तु मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इस औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत जो कार्य हुआ है वह चार हज़ार तथा कुछ और छोटे छोटे मकानों की छोटी संख्या से, जो माननीय सदस्य ने बताई है, कहीं अधिक है। वास्तव में, इन वर्षों में, केवल लगभग डेढ़ वर्ष प्रभावी कार्यात्मक भाग होने के कारण, समस्त देश में लगभग तीस हज़ार छोटे छोटे मकानों की अनुमति दी जा सकी है। जब यह याद आता है कि औद्योगिक गृह-निर्माण का विचार कुछ वर्षों तक वायु में ही उड़ता रहा है तो इस दृष्टि से यह कोई छोटी संख्या नहीं है और, यद्यपि यह एक दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के लागू होने तक एक भी मकान न बन सका था। आशा है कि उद्योगपति, मालिक लोग, राज्य सरकारें तथा औद्योगिक मज़दूरों की रुचि बढ़ती जायेगी तथा आगामी वर्ष उत्साह निश्चय ही अधिक होगा। इस प्रकार की योजना में, जिसमें निर्माण सन्निहित हो, बहुत से व्यक्ति भाग लेते हैं तथा कार्य देश भर में फैल जाता है। यह स्वभाविक है कि कार्य को यथोचित रूप प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा। परन्तु एक बार कार्य ठीक चालू हो जाने पर यह आशा है कि यह बढ़ता जायेगा और अन्त में इसका परिणाम अच्छा होगा।

मैं नहीं जानता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों को कहां से पता लगा है कि औद्योगिक मज़दूरों की किसी भी सरकारी संस्था ने इस औद्योगिक गृह-निर्माण योजना से लाभ नहीं उठाया है। अनेकों सहकारी संस्थाओं ने लाभ उठा लिया है तथा उनमें से बहुत सी संस्थाओं को अनुमति दी जा चुकी है। मैं यह सहर्ष घोषणा करता हूं कि अन्य सहकारी संस्थायें भी रुचि ले रही हैं, क्योंकि २५ प्रतिशत आर्थिक सहायता तथा ५० प्रतिशत ऋण के रूप में वैत्तिक सहायता, जो कि छोटी छोटी किस्तों में वापस लिया जायेगा, निश्चय ही आकर्षक है। मुझे विश्वास है कि सहकारी संस्थायें इसमें अधिक चि लेंगी। मैं उस माननीय सदस्य से जो मजूरी करने वाले वर्ग के कल्याण के लिये इतना शोर मचाते हैं, निवेदन करता हूं कि इस मामले में कुछ रचनात्मक ढंग अपनायें। वास्तव में उन्हें उन संस्थाओं को मनाना चाहिये तथा यदि उन्हें संगठित करने में किसी अगवाई अथवा सहायता की आवश्यकता है तो वह उसके लिये, केन्द्र की तथा राज्य संघों की सहायता पर निर्भर रह सकते हैं। यह सच है कि मालिकों ने इस योजना से इतना लाभ नहीं उठाया है जितना मैं समझता था कि वे उठायेंगे। कदाचित्

[सरदार स्वर्ण सिंह]

इसका कारण शायद यह है कि इस योजना की आकर्षक विशेषताओं की सराहना की कुछ कमी है । समय समय पर मालिकों तथा उद्योगपतियों को इस योजना की विशेषताएं बताने का प्रयत्न किया गया है । वाणिज्य मण्डल संघ के गत सत्र में बहुत से मालिकों से व्यक्तिगत रूप में, तथा एक प्रकार से सामूहिक रूप में भी, बातचीत करने तथा उन्हें इस योजना के अन्तर्गत छोटे छोटे मकान बनाने में आगे बढ़ने के औचित्य को समझाने का प्रयत्न किया गया था । अब वे कुछ रुचि ले रहे हैं, और जब मैं यह कहता हूं कि उन्होंने इतना लाभ नहीं उठाया है जितना कि उठाना चाहिये था, तो मेरे कहने का अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि उन्होंने औद्योगिक गृह-निर्माण की कोई भी योजना नहीं अपनाई है । वास्तविकता यह है कि देश के विभिन्न भागों में मालिकों को अनुमति दे दी गई है और वे निर्माण कार्य में आगे बढ़ रहे हैं । आशा है कि उनमें से और अधिक लोग अपनी योजना सहित आगे आयेंगे । जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, वे बहुत कुछ कर रही हैं । दो या तीन राज्य ऐसे हैं जो बहुत से कारणोंवश योजना को आगे बढ़ाने के लिये पर्याप्त क्षमता प्रदर्शित नहीं कर सके हैं । अब उनकी सहायता करने तथा उन्हें योजना का महत्व समझाने के लिये पग उठाये जा रहे हैं । यह वास्तव में ही लाभदायक योजना है, विशेष कर उस समय जबकि निर्माणकार्य राज्य सरकारें करती हैं । इसका कारण यह है कि उस स्थिति में आर्थिक सहायता ५० प्रतिशत होती है और अवशिष्ट ५० प्रतिशत भी प्रारम्भ में केन्द्रीय सरकार से ऋण रूप में प्राप्त हो जाता है और २५ वर्ष में लौटाना होता है ।

श्रीमान्, यह सच है कि अब तक ग्रामीण गृह-निर्माण के लिये प्रत्यक्ष सहायता के रूप में कुछ भी नहीं किया गया है । मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से यह स्मरण रखने की प्रार्थना करता हूं कि गृह-निर्माण का उत्तरदायित्व, विशेषकर गांवों में, संविधान के अनुसार निश्चय ही राज्य सरकारों का है । यह सच है कि उन सब मामलों में जहां राज्यों के साधन अपर्याप्त होते हैं, चाहे वे इस क्षेत्र में हों या किसी और में, केन्द्र सदैव ही उनकी सहायता करने को तैयार रहता है । परन्तु जितनी सहायता दी जा सकती है उसकी सदैव एक सीमा होती है । गांवों में मकान बनाने के मामले में, साधारण गृह-निर्माण या साधारण व्यक्ति के लिये मकान बनाना--इसे चाहे कोई भी संज्ञा दी जाये--निश्चय ही राज्यों का उत्तरदायित्व है । राज्य के आधार भी, इस प्रकार का काम, यदि निर्माण-कार्य प्रत्यक्षतः राज्य की कोई एजेंसी करती है, तो यह एक ऐसी बात है जिसका विचार, समस्या के आकार का तथा ऐसी परिस्थिति को सुलझाने के आवश्यक वैत्तिक साधनों का विचार रखते हुए, आसानी से नहीं किया जा सकता । किसी प्रकार की सहायता प्राप्त स्वयं-सहायता ही ऐसी बात है जिसका कि विचार आ सकता है । सामूहिक योजना प्रशासन पहिले से ही सीमित रूप में, सहायता प्राप्त स्वयं-सहायता की योजना की जांच कर रहा है ताकि गांवों में रहने की हालतों में कुछ सुधार किया जा सके । परन्तु इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत जितने औद्योगिक छोटे छोटे मकान बनते हैं उस सीमा तक साधारण जनसंख्या की मकान सम्बन्धी समस्या पर्याप्त रूप से सरल हो जाती है । यह केवल सैद्धान्तिक बात नहीं है । अपितु यह वह अनुभव है जो घने बसे औद्योगिक क्षेत्रों में, जैसे कानपुर बम्बई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बैंगलोर, मैसूर तथा कुछ अन्य स्थानों में भी, नई बस्तियां बनने से प्राप्त हुआ है ।

श्रीमान् मुझे प्रसन्नता है कि औद्योगिक गृह-निर्माण योजना को सहायता मिल गई है, और सस्ते मकानों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की सफलता ने गृह-निर्माण के इस महत्वपूर्ण पहलू को और भी अधिक सुदृढ़ बना दिया है। सीमित आय वाला साधारण व्यक्ति भी यह गम्भीरतापूर्ण विचार करने लगा है कि क्या वह अपना मकान बना सकता है। इस मकान प्रदर्शनी ने विभिन्न वर्गों, विभिन्न श्रेणियों, विभिन्न आय के वर्गों से आने वाले व्यक्तियों तथा गांवों, विभिन्न राज्यों अथवा विदेशों से आने वाले व्यक्तियों पर जो प्रभाव डाला है वह एक सी सराहना वाला है कि यह समस्या का क्रियात्मक हल है। कुछ व्यक्तियों ने मकानों को 'सस्ता' कुछ व्यक्तियों ने उन्हें 'मंहगा' बताया है और कुछ व्यक्ति कहते हैं कि वे बहुत बड़े हैं तथा कुछ कहते हैं कि वे बहुत छोटे हैं। इस प्रकार के व्यक्तिगत मामले में, विशेषकर मकान के मामले में, इस प्रकार की टीका टिप्पणी होना स्वाभाविक ही है और मैं किसी को दोष नहीं देता हूं। परन्तु मैं बहुत प्रसन्न हूं ध्यान देने योग्य विचार उत्पन्न किया गया है तथा लोग यह विचार करने लगे हैं कि मकानों की एक समस्या है। औसत श्रेणी के व्यक्ति के लिय भी जिसकी आय थोड़ी हो यह सम्भव है कि वह एक मकान बनाये जिसकी लागत बहुत अधिक न हो। इससे भी रहने की जगह, कमरों का प्रबन्ध तथा कुछ थोड़ी सी अन्य बातों के सम्बन्ध में कुछ युक्तियुक्त विचार उत्पन्न हुये हैं।

श्री नम्बियार : ज़मीन के मूल्य का क्या रहा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जमीन का मूल्य, लगभग ऐसी स्थिति में ५०० रुपये से लेकर १००० रुपये तक होगा। यदि आप इसको भी उस लागत में जोड़ते हैं तो भी यह उसे अत्यधिक नहीं बनाता है क्योंकि वे व्यक्ति, जिनकी हिमायत कुछ माननीय सदस्य कर रहे हैं, कनाट प्लेस में या ऐसे स्थान में, जहां ज़मीन का मूल्य अधिक है, ज़मीन लेने की बात नहीं करते होंगे।

श्री वी० पी० नायर (चिरायुन्किल) : कनाट प्लेस पी० डब्ल्यू० के ठेकेदारों के लिये है क्या यह बात नहीं है ?

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : कनाट प्लेस कलकत्ता की जमीन की अपेक्षा सस्ता है।

सरदार स्वर्ण सिंह : जहां तक कलकत्ता का सम्बन्ध है, इसकी सारी बड़ी तथा कठिन समस्याओं के होते हुये वहां ज़मीन की कमी की समस्या है।

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मकानों की कमी भी है।

सरदार स्वर्ण सिंह : मकानों की कमी भी जैसा कि माननीय वित्त उपमंत्री बताते हैं। उतने बड़े शहर में यह समस्या होना सर्वथा स्वाभाविक है। कलकत्ता में भी, कुछ योजनायें बनाई गई हैं तथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भी कुछ कर रहा है।

जहां तक अन्य कार्यवाहियों का, जिनके बारे में कुछ कहा गया है, सम्बन्ध है, मैं एक या दो का संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। सम्भरण के सम्बन्ध में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि क्रय नीति ऐसी हो जिससे देशीय उत्पादन को प्रोत्साहन मिले तथा हमारी समाहार नीति इतनी कठोर हो कि देश में यथासम्भव समाहार को और जहां तक विदेशों से हमारे समाहार का सम्बन्ध है वहां भारतीय माध्यम द्वारा समाहार को प्रोत्साहन मिले।

ये सिद्धान्त निश्चय ही बड़े अच्छे हैं। भंडार-क्रय-समिति, जिसके सभापति एक बड़े अनुभवी व्यवसायी और सार्वजनिक व्यक्ति हैं, तेजी से काम कर रही है और उसकी सिफारिशों के फलस्वरूप सरकार द्वारा मानी गई इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए कुछ

[सरदार स्वर्ण सिंह]

ठोस पग उठाना सम्भव हो जाएगा और सभी कमियां दूर की जा सकेंगी । इस सम्बन्ध में मैं अपने स्वर्गीय सहयोगी श्री बुरागोहिन का नाम अवश्य लूंगा जिन्होंने इसके विवरणों पर पूरा ध्यान दिया था और जो इस समिति के सभापति थे । वह इसी कार्य के लिए कलकत्ते गए थे, जहां वे बीमार हो गए और फिर चंगे न हो सके । सदन का प्रत्येक वर्ग इस बात में मेरे साथ सहमत होगा कि वह बड़े निःस्वार्थ भाव और लगन के साथ अपने कठिन कर्त्तव्य का पालन करते थे । संभरण विभाग की ओर वह बहुत अधिक कार्य करते थे और विभाग के कार्य में प्रत्यक्ष ही सुधार हो रहा था । यह सामान्य सफलता न थी, क्योंकि सदन के जागरूक सदस्यों ने १९४९ या १९५० के ही मामले उद्धृत किए हैं और बाद के समय में आलोचना का कोई कारण नहीं मिला है । भंडार-क्रय-समिति के साथ ही हमने वाशिंगटन स्थित भारतीय संभरण नियोजन और लन्दन स्थित भारतीय संभरण विभाग के कार्य की जांच करने के लिए छोटी छोटी समितियां बना दी हैं । इन विशेषज्ञ समितियों के प्रतिवेदन सरकार को मिल चुके हैं और उनके कार्य या संगठन के दोषों को दूर करने के लिए कार्यवाही भी की जा चुकी है । भंडार-क्रय समिति की अन्तिम सिफारिशें प्राप्त होने पर उनके प्रकाश में इन दोनों समितियों की सिफारिशों पर भी उचित विचार किया जाएगा । फिर समूची सिफारिशों के प्रकाश में सरकार अपनी निर्धारित नीति को कार्यान्वित करने के लिए कोई भी पग उठाने से न चकेगी ।

सरदार हुक्मसिंह ने भारतीय संभरण नियोजन के बढ़े हुए व्यय का उल्लेख करते हुए यह कहा था कि व्यय को समुचित सीमाओं में रखने के लिए हम विशेष जागरूक नहीं रहते । यह सच है कि कुछ वृद्धि हुई है, परन्तु ऐसे नियोजन के व्यय की वृद्धि ही इस बात का उचित पैमाना नहीं है, क्योंकि क्रय भी समय-समय पर कम अधिक होता रहता है । भंडार के स्वरूप और उसे प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले यत्नों को भी ध्यान में रखना पड़ता है । परन्तु मैं यह मानने वालों में नहीं हूं कि जो कुछ हो रहा है, ठीक है और सुधार की गुंजाइश नहीं है । अब चूंकि यह बात उठाई गई है, मैं निश्चय ही इस बात पर ध्यान दूंगा कि क्या काम की दृष्टि में इतना व्यय उचित है अथवा कर्मचारियों या ग्रेडों में कमी आदि करके ऐसे किसी वैज्ञानिक द्वारा उसे कम किया जा सकता है । सरकार अनिवार्यतः आवश्यक राशि से एक पाई अधिक व्यय न करेगी ।

एक माननीय सदस्य ने काम के लिए अस्थायी रूप से रखे गए (वर्क चार्जड) कर्मचारियों की बात उठाई है । इस संगठन विशेष का कुछ इतिहास है । उनके बारे में की गई छुट्टी के वेतन या यात्रा भत्ते आदि की सभी मांगों का सारांश यह है कि उनको नियमित या स्थायी कर्मचारियों के समकक्ष बनाया जाए । वास्तविक भेद यही है कि वे स्थायी नहीं, बल्कि अस्थायी कर्मचारी हैं । मैं मानता हूं कि यह उत्तर पूरा नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए कि कितना काम ऐसा है, जो कर्मचारियों की एक विशिष्ट संख्या को उचित ठहराए और फिर क्या उतने लोगों को स्थायी कर्मचारियों जितनी तो नहीं, पर अपेक्षतया कुछ अधिक सुविधाएं दी जाएं ? मांग सदैव घटती-बढ़ती रहती है और सदन का कोई भी वर्ग सरकार से यह मांग न करेगा कि अनिवार्यतः आवश्यक व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों को रखा जाए । सदैव ऐसी ही कोशिश की जाती है । हम डेढ़ हजार को स्थायी बना चुके हैं और अभी अन्य एक हजार को स्थायी बनाने का निश्चय किया

है । ये ढाई हजार हो जाते हैं । हम आगे फिर देखेंगे कि काम की दृष्टि में क्या और अधिक व्यक्तियों को स्थायी बनाया जा सकता है । जब तक यह नहीं हो जाता, तब तक हमारे पास बहुत से ऐसे अस्थायी व्यक्ति रहेंगे । हम सदैव ऐसी चेष्टा करते हैं कि समय-समय पर रखी गई उनकी मांगों के विषय में उनके साथ सदैव अच्छा व्यवहार किया जाए । उनमें से कुछ मान ली गई हैं और उनके प्रतिनिधियों से बात कर ली जाती है । एकाधिक बार मैं उनके शिष्टमंडलों से मिला हूं । कुछ बातों का निपटारा हो चुका है, और उधर वाले माननीय सदस्यों द्वारा कराए जाने वाले प्रदर्शनों के होते हुए भी हम उनकी मांगों पर सदैव उचित विचार करते रहे हैं । उनकी कठिनाइयों के साथ हमें पूरी सहानुभूति रही है, और उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों की भांति नारे ही न देकर हमने उनको अनेक रूपों में महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की हैं ।

छटनी के विषय में यद्यपि इस मंत्रालय के अधीन हजारों व्यक्ति काम करते हैं, मेरे मित्र ने लेखन सामग्री कार्यालय, कलकत्ता में ३० क्लर्कों की प्रायः सम्भावित छटनी का उल्लेख किया है । छटनी का प्रश्न एक सामान्य प्रश्न है और इस थोड़े से समय में उसके सिद्धान्त पक्ष की व्याख्या न करूंगा । वैज्ञानिकन और कार्यदक्षता में वृद्धि तो चलती ही रहती है और थोडे से वैज्ञानिकन से पता चलता है कि उस संगठन में व्यक्ति आवश्यकता से कुछ अधिक हैं । पर इस मंत्रालय में और सर्वत्र सरकार सदैव इस प्रश्न का समाधान सहानुभूतिपूर्वक खोजती रही है, और छटनी का प्रत्येक प्रस्ताव इस प्रकार कार्यान्वित किया जाता है कि कम से कम लोगों पर प्रभाव पड़े । कार्यक्षमता और वैज्ञानिकन के हित में जब हम देखते हैं कि संगठन विशेष में कुछ व्यक्ति अधिक हो गए हैं, तब उसी या किसी अन्य संगठन में उसी या किसी अन्य रूप में उनको खपाने की पूरी चेष्टा की जाती है ।

सार्वजनिक निर्माण संगठन की कार्य-प्रणाली का ही विशेष रूप में अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई कस्तूरबाई लालभाई समिति की कुछ सिफारिशों को मानने के स्वरूप छंटनी किए गए लोगों को साधारणतः किसी न किसी संगठन में खपा दिया गया था । इन ३० क्लर्कों के विषय में भी जांच के फलस्वरूप पता चला था कि ये हमारी आवश्यकता से अधिक हैं फिर भी उनको इसी या किसी अन्य रूप में खपाने की पूरी चेष्टा की जाएगी, और फिर भी यदि उनको जाना पड़ा, तो उनको उपदान (ग्रेच्युटी) आदि के सभी लाभ मिलेंगे और प्राथमिकता आदि आधारों पर पुनर्विचार किया जाएगा । मुझे यही कहना है कि छटनी की जिस बात के लिए इतनी आवाज उठाई गई थी, वह केवल ३० क्लर्कों का प्रश्न है, जिनको माननीय सदस्य के अनुसार कुछ हफ्ते पहले नोटिस दिया गया है । अतः यह इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसे सुलझाया न जा सके ।

श्री नम्बियार : छोटी सी समस्या है । उन्हें फिर नौकरी दे दीजिये ।

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे और कुछ नहीं कहना है । कुछ और बातें भी हैं, पर समयाभाव की दृष्टि में छोटे-मोटे विवरणों को न लेकर मैंने मुख्य बातों को ही लिया है ।

श्री आर० एन० सिंह (जिला गाजीपुर—पूर्व व जिला बलिया—दक्षिण पश्चिम) : मैं मिनिस्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं । उन्होंने फर्नीचर के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा । पांच छः आदमियों की एक कमेटी इसकी जांच करने के लिए बनाई गई थी । उसके सम्बन्ध में क्या हुआ ? यह कमेटी उस समय बनाई गई थी जिस समय एक कांग्रेस

[श्री आर० एन० सिंह]

के सदस्य ने आधे घंटे की चर्चा मांगी थी जो उन्हें मिली थी । परन्तु उन्होंने भवन में किसी कारण से बहस नहीं की ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक गैर सरकारी संकल्प है ।

सरदार स्वर्ण सिंह : संसद् सदस्यों के फर्नीचर के सम्बन्ध में एक छोटे से मामले पर—कुछ हज़ार रुपए इधर अथवा कुछ हज़ार रुपए उधर—मैं इस सदन का समय नहीं लेना चाहता था । इस मद्दे पर एक से अधिक बार विचार हो चुका है । माननीय अध्यक्ष ने स्वयं जाकर फर्नीचर देखा था । टेंडरों की जांच की गयी थी । सदन की एक समिति भी नियुक्त हुई थी और प्रत्येक का खयाल था कि वह टेंडर सबसे कम था । यदि बाद को हम मितव्ययता करने में समर्थ हुए—उन माननीय सदस्य के अनुसार अब हम ४० प्रतिशत कम दे रहे हैं—तो यह ऐसा अवसर नहीं है जिस पर कि वह हमारी आलोचना करें । राजपुर शरणार्थी बस्ती के सम्बन्ध में, पुनर्वास मंत्रालय कुछ आर्थिक सहायता दे रहा है और हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है । मूल्यों में भी कुछ सीमा तक कमी हुई है । इसलिए मैं समझता था कि इतने छोटे से मामले पर मुझे सदन का समय नहीं लेना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्तावों को सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शेष मांगें—मांग संख्या १०२, १०३, १०४, १०५, १०६ १३८, १३९ तथा १४०—मतदान के लिए प्रस्तुत की गयीं तथा स्वीकृत हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो सम्बन्धी समिति के पांचवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है, जो कि ३१ मार्च, १९५४ को सदन में प्रस्तुत किया गया था ।"

हमने श्री गुरुपादस्वामी के द्वितीय सदन को समाप्त किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के लिए ढाई घंटा निर्धारित किया था । पिछली बार आधा घंटा ले लिया गया था और आज के लिए दो घंटे शेष हैं ।

इसके बाद हम श्री एस० एन० दास का प्रस्ताव लेंगे जो कि केन्द्र में प्रशासनीय व्यवस्था की जांच के लिए एक समिति की स्थापना के सम्बन्ध में है । यह एक महत्वपूर्ण संकल्प है । अनेक माननीय सदस्य इसमें भाग लेना चाहते हैं और इसमें दिलचस्पी रखते हैं । इसलिए समिति ने इस के लिए चार घंटे निर्धारित किए हैं । मैं समझता हूं कि उपर्युक्त प्रस्ताव को सदन स्वीकार कर लेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान को रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

केन्द्र में द्वितीय सदन के सम्बन्ध में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी द्वारा १८ मार्च, १९५४ को प्रस्तुत किए गये निम्नलिखित संकल्प पर अग्रेतर विचार करेगा, नामत :

"इस सदन की राय है कि केन्द्र में द्वितीय सदन का होना बिल्कुल अनावश्यक है और

संविधान में आवश्यक संशोधन करने के लिए कार्यवाही की जाए ।"

इस संकल्प पर विचार किए जाने के लिए निर्धारित ढाई घंटों में से अब दो घंटे शेष हैं । चर्चा ७·१० पर समाप्त हो जायेगी और इसके बाद हम आज अगला संकल्प लेंगे ।

माननीय सदस्य अपना भाषण दस मिनट तक सीमित रक्खें ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता दक्षिण पूर्व) : पिछली बार मैं बता रहा था कि अधिकतर देशों में जो द्वितीय सदन विद्यमान हैं, वे दो वर्गों के मध्य संघर्ष का परिणाम हैं, प्रगतिशील वर्ग का प्रतिक्रियावादी वर्ग के प्रतिकार के विरुद्ध अपना हक ज़माना । इंग्लैण्ड की मिसाल इस बारे में बेजोड़ है जहां कि लोक सभा ने पहले तो लार्ड सभा के बराबर की स्थिति प्राप्त की और तत्पश्चात् उससे ऊंची । किन्तु प्रतिक्रियावादियों का विरोध इतना प्रबल था कि लोक-सभा को समझौता करना पड़ा तथा लार्ड सभा के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ा ।

दो अन्य देशों--अमरीका और रूस में द्वितीय सदन प्रगतिशीलवादियों का प्रतिनिधायक है । इनमें द्वितीय सदनों की स्थापना कुछ हितों की निरंकुश बहुमत से रक्षा करने को की गयी है । अमरीका में सेनेट के ज़रिये संघान्तरित राज्यों की स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तता की रक्षा करने का प्रयत्न किया गया है । रूस में द्वितीय सदन भूतपूर्व प्रपीड़ित जातियों की वृहत् रूसी राष्ट्रीयता से रक्षा करने के लिए बनाया गया है ।

लेकिन हमने विश्व में एक दूसरे ही प्रकार के द्वितीय सदन का निर्माण किया है । हमारा द्वितीय सदन न तो प्रगतिशील आधार पर निर्मित है, न राज्यों की स्वायत्तता की रक्षा करने के लिए है और न देश की विभिन्न जातियों की संस्कृतियों आदि की रक्षा करने के प्रयोजनार्थ है । तब हमें द्वितीय सदन--राज्य परिषद्-- की क्या आवश्यकता है ? अनिवार्य रूप से यह निदान निकलता है कि यह केवल जनता के प्रतिनिधियों --लोक सभा--की आवाज़ की अवहेलना करने के लिए, उसे कुंठित करने के लिए है । ब्रिटेन में द्वितीय सदन इसलिए वर्तमान स्थिति में है कि प्रगतिशील ताकतों ने प्रतिक्रिया के गढ़ में अपनी शक्ति स्थापित कर ली है । भारत में द्वितीय सदन, नामतः राज्य परिषद् आज इसलिए है कि प्रतिक्रियावादी ताकतों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में जिसकी कि प्रगतिशील परम्पराएं हैं, अपने पांव जमा लिए हैं । इसी कारण से राज्य परिषद् का सृजन हुआ है । मैं द्वितीय सदन के समर्थकों द्वारा दी जाने वाली इस दलील को नहीं स्वीकार करता कि यह जनमत के यकायक आने वाले अंधड़ों अथवा जनमत के गलत झोंकों से चौकसी करने के लिए है । हम दूसरी प्रकार के लोकतंत्र में विश्वास करते हैं । हम विश्वास करते हैं कि जब जनता के प्रतिनिधि कोई नीति तय करते हैं तो चाहे देश उसे पसन्द करे या नहीं उसका पालन करना ही है और किसी ऐसे सदन को इसकी उपेक्षा करने का अधिकार नहीं है जो कि जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता । हम द्वितीय सदन का विरोध इसी दृष्टिकोण से करते हैं ।

मेरा यह मत थोथा नहीं है । बार-बार यह चीज़ हमारी व्यवहारिक राजनीति में प्रदर्शित हो चुकी है । इसमें सन्देह नहीं कि केन्द्र में अथवा राज्यों में द्वितीय सदनों ने लोकप्रिय सदनों के जनता के प्रतिनिधियों से विमत होना अभी आवश्यक नहीं पाया है, किन्तु इसके साथ ही एक दूसरी प्रवृत्ति देखी

[श्री साधन गुप्त]

गयी है जो कि इस बात का परिचायक है कि ये द्वितीय सदन लोकतंत्र के लिए कितने खतरनाक हैं । मेरा आशय इस बात से है कि किस प्रकार ऐसे लोगों को पिछवाड़े से विधान-मण्डलों में ले लिया जाता है जो कि जनता द्वारा अस्वीकृत कर दिए गये हैं । बंगाल में दो मंत्री बुरी तरह हार गये थे किन्तु फिर भी जनता के मत की अवहेलना करते हुए उन्हें द्वितीय सदन में ले लिया गया । मद्रास में भी यही हुआ । एक व्यक्ति विशेष को द्वितीय सदन का सदस्य इसलिए नामनिर्देशित किया गया कि वह वहां का मुख्य मंत्री बन सके क्योंकि अन्य कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को वहां बनाए नहीं रख सकता था । केन्द्र में अभी तक तो यह बात नहीं हुई है । अभी तो अस्वीकृत व्यक्तियों को यहां से उप-राज्यपाल बना कर ही भेजा गया है । किन्तु इस बात की कोई गारण्टी नहीं है कि केन्द्र में भी वही बात नहीं होगी । इस सब से पता चलता है कि द्वितीय सदन हमारे देश में लोक-तंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है । मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे सदन को बनाए रखने की आवश्यकता क्यों है जो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता और जो जनमत की उपेक्षा करता है । मुझे आशा है कि यह सदन द्वितीय सदन को समाप्त करने वाले इस संकल्प को पारित कर देगा ।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मेरे माननीय मित्र श्री गुरुपादस्वामी ने कहा कि प्रत्येक युग की अपनी कुछ अंधश्रद्धाएं होती हैं । मैं उनसे सहमत हूं । उनकी दृष्टि में द्विसदनीय प्रणाली पुराने जमाने की अंधश्रद्धा है । मेरी राय में तीव्रता तथा उत्कट असहिष्णुता ये क्रांतिकारी जमाने की अंधश्रद्धाएं हैं । यदि ऐसे लोग भारत में अधिकारारूढ़ हो जाएं तो जल्दी ही यहां का लोकतंत्र लुप्त हो जाएगा । जार्ज वाशिंगटन ने दो सदनों का समर्थन करते हुए उन्हें प्याले और पिरिच की उपमा दी थी । प्याले की चाय गरम होती है किन्तु परिच में गिरने के बाद पीने लायक बन जाती है । इसी प्रकार प्रथम सदन की तीव्रता को द्वितीय सदन द्वारा मंद किया जाता है । अमरीका के संवैधानिक इतिहास को भी देखा जाए तो यही प्रतीत होता है कि द्वितीय सदन के विकास से लोक-तंत्र का विस्तार ही हुआ है न कि संकोच । फ्रांस तथा इंगलिस्तान का इतिहास भी इसी बात का साक्षी देता है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव *पीठासीन हुए]* ।

इतिहास यही दिखाता है कि द्वितीय सदन बाद में आया न कि पहले । आयरलैण्ड का संविधान तो इस नये जमाने में बना है । किन्तु वहां भी दो सदन हैं । मेरे एक माननीय मित्र ने बताया कि गत दो वर्षों में ऐसे केवल दो या तीन मौके आये जबकि राज्य परिषद् का हम से मतभेद हुआ । लेकिन अभी तो केवल दो वर्ष ही हुए हैं । इस समय दोनों सदनों के चुनाव एक साथ हुए थे । लेकिन इसके बाद नक्शा बदलता रहेगा । लोक-सभा में नये सदस्य आते रहेंगे और राज्य-परिषद् के सदस्य अधिक अनुभवी रहा करेंगे । मेरे माननीय मित्र ने आगे यह भी कहा कि इस सदन के कई सदस्य शिक्षित तथा पदवीधर हैं । किन्तु जैसा कि कहा गया है, 'न धर्मशास्त्रं पठतीति कारणम् ।', अर्थात कोई व्यक्ति शिक्षित है इसका मतलब यह नहीं होता कि वह सदाचारी है । मैं तो आगे चल कर यह भी कहूंगा कि 'न चापि मार्क्साध्ययनं हि तस्य ।'

संसदीय लोक-तंत्र का अर्थ है वाद-विवाद द्वारा शासन का नियंत्रण । अतः द्वितीय सदन में होने वाला वाद-विवाद भी लोक-तंत्र के लिए उपकारक होगा । कोई समर्थ सरकार

यदि जल्दबाजी से काम लेना चाहे तो उस पर इस द्वितीय सदन का मतपरिवर्तन करने की भी जिम्मेवारी रहेगी । द्वितीय सदन द्वारा प्रथम सदन का काम हल्का किया जा सकता है तथा उससे उथल पुथल चाहने वाले लोगों की तीव्रता को रोका जा सकता है ।

हो सकता है कि द्वितीय सदन की रचना उचित नहीं है । तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे बन्द कर दिया जाय । उसके विधान में परिवर्तन किया जा सकता है । लेकिन मैं तो चाहूंगा कि कुछ दिन तक के लिए हमें इसी प्रयोग को जारी रखना चाहिये ।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : इस संकल्प द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस पर गम्भीर विचार किया जाना चाहिये ।

यह बात तो नहीं है कि किसी क्षणिक उत्साह से प्रेरित होकर हमने संविधान में राज्य-परिषद को स्थान दे दिया है । हमारे संविधान के निर्माताओं ने पूरे तीन साल तक भारत तथा विश्व के इतिहास का अध्ययन किया और फिर यहां द्वितीय सदन रखने का निर्णय लिया । दुनिया के विभिन्न देशों की ओर देखिये, चाहे वहां का शासन एकात्मक हो या संघात्मक, आपको पता चलेगा कि अधिकतर देशों की केन्द्रीय विधान सभाओं के दो सदन होते हैं । अतः यदि शताब्दियों का यह अनुभव है कि लोक-तंत्र, सुराज्य तथा लोकराज्य के लिए दो सदनों का होना हितकर है, तो मैं कहूंगा कि हमने अभी अभी जो चीज बनायी है उसे मिटाने के पहले हमें बहुत सोच कर कदम उठाना चाहिये ।

किसी फ्रांसीसी राजनीतज्ञ शास्त्री ने कहा था कि द्वितीय सदन प्रत्येक दृष्टिकोण से बेकार होता है क्योंकि यदि वह प्रथम सदन से सहमत हो जाता है तो वह अनावश्यक है और यदि उसका विरोध करता है तो बाधक के रूप में हो जाता है । जनतन्त्र में निर्वाचित लोग बहुधा या तो बड़े लोगों की बात कहते हैं या सामयिक समस्याओं से भावावेश में आकर अपनी बात कहते हैं । संविधान में कुछ स्थायित्व लाने के लिये ही मौलिक अधिकारों को इसमें स्थान दिया गया है । यदि इन अधिकारों को साधारण विधि में सम्मिलित कर दिया गया होता तो कोई भी निर्वाचित व्यक्ति उनको भंग कर सकता था । इसीलिये इनकी रक्षा होनी आवश्यक है ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या जनता सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न नहीं है ?

श्री गाडगिल : जनता सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न तो है किन्तु यह सत्ता आज के लोगों की वास्तविक सत्ता नहीं है । हमें देखना यह है कि संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करने से इस जन-सत्ता पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े । बहुत से लिखित संविधानों में यही देखने में आया है । यदि हमारे निर्वाचित लोग भावावेश में आकर कोई ऐसा-वैसा प्रस्ताव पास कर लेते हैं, तो द्वितीय सदन की आवश्यकता पड़ जाती है । जिस प्रकार दूसरी बार के विचार अधिक अच्छे होते हैं इसी प्रकार जनता द्वारा चुने गये लोगों से पारित किये गये विधेयकों तथा प्रस्तावों पर पुनः गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिये भी व्यवस्था होनी आवश्यक है और यही कार्य द्वितीय सदन करता है । अतः द्वितीय सदन का होना अत्यन्तावश्यक है । लोक सभा का निर्माण देश के निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर किया गया है । आज यदि कोई यह कहे कि द्वितीय सदन अथवा राज्य परिषद के निर्माण का जो आधार इस समय है ऐसा न होकर विभिन्न कार्यों अथवा व्यवसायों का हो जाय, तो यह बात मेरी समझ में आ सकती है । इस समय लोक सभा तथा राज्य-परिषद में राज्यों के प्रतिनिधि हैं ।

[श्री गाडगिल

इसमें सम्पूर्ण राज्य को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जा सकता है ।

द्वितीय सदन की रचना में परिवर्तन करने के सुझाव पर विचार किया जा सकता है । आज बहुमत पार्टी की सम्मति ही द्वितीय सदन में मानी जाती है । दूसरी बात यह है कि इस सदन को ५ वर्ष के समय से पहले भी तोड़ा जा सकता है । इस प्रकार इसके निरन्तर चलने की बात कुछ कमज़ोर अवश्य पड़ जाती है । अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इस आधार पर कि पिछले दो वर्षों से इसने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है, क्या हम संघीय संविधानों की सुरक्षाओं को समाप्त कर सकते हैं, जो अन्य स्थानों में बहुत लाभदायक सिद्ध हुई हैं । मैं इस तर्क से अधिक सहमत नहीं हो सका हूं ।

इंग्लैण्ड के बारे में कहा गया है कि हाउस आव लार्डस ने बड़े लाभदायक कार्य किये हैं । कुछ लोगों के विचारों को अधिक महत्व देना ही पड़ता है क्योंकि वे अधिक परिपक्व होते हैं । यही कारण है कि इंग्लैण्ड में बहुत गम्भीर प्रश्नों को छोड़ कर वहां हाउस आव कामन्स ने हाउस आफ लार्ड्स के बहुत से संशोधनों को स्वीकार कर लिया है ।

द्वितीय सदन ने वास्तव में उतना कार्य किया है अथवा नहीं जितनी उससे आशा की जाती थी, इसका निर्णय करने के लिये हमें कुछ और समय देना पड़ेगा । इस सदन को कुछ और अधिकार मिलने चाहियें । इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं द्वितीय सदन का विरोधी हूं । किसी भी दशा में मैं यह नहीं समझता कि द्वितीय सदन बेकार है किन्तु हो सकता है कि उसके सदस्यों से जितनी हम आशा करते थे, उतना कार्य न कर सके हों । संघीय संविधान होने के कारण हमें एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो न केवल जनता के हितों का ही प्रतिनिधित्व करे वरन् सभी राज्यों के हितों का समान रूप से प्रतिनिधित्व करे । यह हो सकता है कि किसी मामले में दो समीपवर्ती राज्य सम्मिलित हों । तुंगभद्रा परियोजना में तीन राज्य चाव रखते हैं । मेरी सम्मति से ऐसे मामलों का प्रतिनिधित्व द्वितीय सदन में ही भली भांति हो सकता है । राज्य-परिषद की वर्तमान निर्वाचन-प्रणाली में परिवर्तन किया जा सकता है । यदि इस सदन में भी परिवर्तन करने के सुझाव रखे जायं तो उन पर विचार किया जा सकता है । किन्तु यदि सम्पूर्ण राज्य-परिषद समाप्त कर दी जाती है तब तो वह बहुत बड़ा परिवर्तन सम्पूर्ण संविधान में हो जायगा, जिसे बड़ी गम्भीरता से करने की आवश्यकता है ।

श्री एस० एस० मोरे : श्री गाडगिल कभी तो विरोध करने लगते हैं और कभी फिर अपने दल में ही जा सम्मिलित होते हैं । इस प्रकार वह दोहरा अभिनय कर रहे हैं । मैं जानता हूं कि इस देश के लोगों ने भावावेश में आकर ही कांग्रेस को अधिक मत दिये जो द्वितीय सदन का समर्थन आज कर रही है । हमारे संविधान के मूल तत्व के अनुसार हमें ठीक काम करने ही का नहीं वरन् गलती करने का भी अधिकार देता है । इंग्लैण्ड में सामन्तों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये ही हाउस आव लार्डस को जन्म दिया गया था । हाउस आव कामन्स जो जनता का प्रतिनिधित्व करता था, उसे हाउस आव लार्डस की हुकूमत तथा शक्ति से सतत युद्ध करना पड़ा था । प्रगतिवादियों के हाथ से वह शक्ति छीनना चाहते थे । विद्रोह होने ही वाला था और विद्रोह को रोकने के लिये ही उन्होंने द्वितीय सदन की स्थापना की थी । हमारे देश में भी १९१९ में द्वितीय सदन बना था । अंग्रेज़ सारी शक्ति लोगों के हाथ में नहीं

सौंपना चाहते थे । १९३५ में कुछ और सुधार हुआ किन्तु आज कांग्रेस प्रतिक्रियावादी हो रही है । १९१७ से लेकर १९३५ तक अनेक परिवर्तन हुए और गोलमेज़ कान्फ्रेन्स में गांधी जी भारत के एकमात्र प्रतिनिधि चुने गये थे । उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी के सम्मुख १७ सितम्बर, १९३१ को जो विचार प्रकट किये थे उनका सारांश यह था कि भारत संसार का सबसे गरीब देश है, अतः हम केवल एक सदन से ही कार्य चला सकते हैं । मैं यह मानने को तैयार नहीं कि यदि इस सदन के निर्णय पर पुनः विचार करने के लिये द्वितीय सदन नहीं होगा तो देश तबाह हो जायगा । उन्होंने यह भी पूर्व-घोषणा की थी कि कहीं लोकप्रिय सदन तथा उच्च सदन में झगड़ा न हो और आज उनकी भविष्यवाणी वास्तव में सही जान पड़ती है । कुछ भी हो यदि हम एक सदन से ही कार्य चला सकें तो यह बहुत अच्छा होगा ।

इतना ही नहीं १९३६ में कांग्रेस के सभापति के स्थान से पंडित जी ने भी द्वितीय सदन के विषय में कहा था कि ये सदन प्रतिक्रियावादी होंगे और गवर्नर निम्न सदन की कार्यवाहियों पर इसके द्वारा रोक लगायेगा ।

कुछ कांग्रेसी मित्रों अथवा नेताओं का कहना है कि तब स्थिति भिन्न थी उस समय केवल एक सदन की आवश्यकता थी किन्तु अब हमारे हाथ में राज्य-सत्ता है, तो द्वितीय सदन का होना आवश्यक है । आज हम जो भी कार्य करते हैं पहले यह देख लेते हैं कि यह हाउस आव लार्डस अथवा हाउस आव कामन्स में प्रचलित है या नहीं । मैं कांग्रेस को उसकी पुरानी घोषणाओं की याद दिलाना चाहता हूं, जो वह अब भूल गई है । मैं गांधी जी से कुछ बातों में भिन्नता रखते हुये भी इस विषय में पूर्ण सहमत हूं कि हमें अपनी लोक सभा पर विश्वास होना चाहिये तथा हमारा देश गरीब होने के कारण दो सदनों का भार नहीं सह सकता । दुर्भाग्यवश कांग्रेस मतलबी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है और प्रतिक्रियावादी हो रही है इसीलिये द्वितीय सदन का उपयोग उसको शक्तिशाली बनाने में किया जा रहा है । वे लोग इस क्रान्तिपूर्ण आन्दोलन से डरते हैं किन्तु एक न एक दिन ऐसा होकर ही रहेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : सभापति जी, अभी मोरे साहब कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत रीऐक्शनरी ढंग की हो रही है, मैं इस का बहुत ज़ोरों से विरोध करता हूं । मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस में लोग मोरेजी से कम क्रान्तिकारी हैं । यदि ज़रूरत पड़ेगी तो मोरेजी से कांग्रेस वाले बहुत आगे जाने को तैयार रहेंगे ।

एक माननीय सदस्य : कहां ?

श्री गिडवानी : गुफ्तन् करदन फ़र्क़े दारद ।

डा० राम सुभग सिंह : मुझे सबसे ज़्यादा दुःख इस बात का है कि जिन्होंने कांग्रेस को रीऐक्शनरी बनाया, वे आज कांग्रेस से बाहर निकल कर चले गये और आज वे ही कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस रीऐक्शनरी हो गयी है ।

मैं गाडगिल जी का या श्री आल्तेकर जी का समर्थन नहीं करूंगा कि काउन्सल आफ स्टेट्स को बनाये रखना चाहिये । दुनिया में जितने सैकिंड चैम्बर्स होते हैं उन सभी सैकिंड चैम्बर्स की जननी ब्रिटेन की पार्लियामेंट है । उसका इतिहास यह रहा है कि वह वहां पर बड़े बड़े वैस्टेड इंटरैस्ट्स को रिप्रेजेंट करती है और इसीलिये उसका निर्माण किया गया था कि बड़े बड़े ताल्लुक़ेदार, वहां के लैंडेड बैरन्स, उसमें रखे जायं । आगे चल कर जब वहां के लोगों ने देखा कि इस तबक़े की शक्ति को कम करना चाहिये तो उन लोगों ने उसकी शक्ति, हाउस आफ लार्ड्स की शक्ति के ख़िलाफ़

[डा० रामं सुभग सिंह]

आवाज़ उठाई और आज हाउस आफ लार्ड्स बिल्कुल शक्तिहीन हो गया है ।

मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि जिस तरह से हम लोगों ने अपने देश में और समस्याएं खड़ी कर दी हैं उसी तरह से काउन्सिल आफ स्टेट्स और हाउस आफ दी पीपुल की समस्या भी हम लोग खड़ी कर रहे हैं । इसमें केवल कांग्रेस वाले ही दोषी नहीं हैं, इसमें कांग्रेस वालों के साथ अपने को क्रान्तिकारी कहने वाले महाप्रभु भी दोषी हैं । काउन्सिल आफ स्टेट्स को पावर देने के लिये जब यहां सवाल आता है तो क्रान्तिकारी जमाअत की ओर से भी उसी तरह से उसका समर्थन किया जाता है जिस तरह से कि कांग्रेस की ओर से समर्थन किया जाता है, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी (जन लेखा समिति) की मैम्बरशिप (सदस्यता) के सवाल पर आपने देख लिया है ।

तो भी मैं कहूंगा कि देश की जो मौजूदा हालत है इसको देखते हुए कोई भी नहीं कह सकता कि हिन्दुस्तान के रेट पेयर्स का एक भी पैसा फिजूल खर्चे में लगाया जाय । आज जब जनता तबाह है उस समय में हम लोगों ने मेम्बरशिप बढ़ाई, जैसे कि काउन्सिल आफ स्टेट्स बनायी गयी । कांस्टीट्यूशन (संविधान) में यह सब प्रावीज़न्स (व्यवस्थायें) हैं । मैं कांस्टीट्यूशन की मुख़ालिफत नहीं करता, लेकिन आज जो हमारी स्थिति है, चाहे आर्थिक स्थिति चाहे सामाजिक स्थिति, इस स्थिति में मैं समझता हूं कि काउन्सिल आफ स्टेट्स बिल्कुल निरर्थक चीज़ है, क्योंकि वह किसी को रिप्रेजेंट नहीं करती ।

आल्तेकर साहब ने अभी कहा कि ग्रेजुएट्स के सिवा यहां कौन आता है और उन लोगों से जल्दबाजी में कुछ भी हो सकता है, वह कुछ भी कर दें । तो मैं नहीं समझता कि काउन्सिल आफ स्टेट्स में जो लोग हैं उन लोगों को कौन ज्यादा अनुभव हैं । यहां के ग्रेजुएट्स जो लोग यहां आए हैं, उन लोगों को उस डिग्री के अलावा जनता में रहने, जनता की ठोकरें खाने और लोगों को ठोकरें लगाने की क्षमता भी है और ऐसा वह कर चुके हैं । लेकिन काउन्सिल आफ स्टेट्स में तो आज ऐसे लोग भरे हैं कि जिन को जनता ने अस्वीकार कर दिया, जिनको हरा दिया । ऐसे राजे महाराजे वहां भरे हैं जो हार गये हाउस आफ दी पीपुल के इलैक्शन (निर्वाचन) में । वे लोग वहां काउन्सिल आफ स्टेट्स में चले गए । इसलिए मैं समझता हूं कि काउन्सिल आफ स्टेट्स को हिन्दुस्तान में नहीं रहना चाहिये ।

जैसा कुछ लोग कहते हैं, गाडगिल जी ने कहा कि यदि फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन (कार्य सम्बन्धी प्रतिनिधित्व) दिया जाय वहां तो यह समझने की चीज़ हो सकती है । लेकिन जो गांधीजी ने कल्पना की और कांग्रेस भी बराबर यह आवाज़ उठाती आई है कि हम लोगों को एक क्लासलैस सोसायटी का निर्माण करना चाहिये और हमारी आर्थिक व्यवस्था भी उसी तरह हो कि जिस में सब लोगों को बराबर की अपार्च्युनिटी मिल सके । लेकिन जिस वक्त जनता के द्वारा निर्वाचित मैम्बरों के भवन पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिये, चैक रखने के लिये, यदि किसी दूसरे हाउस की व्यवस्था की जाती है तो उसी वक्त हम लोग जनता के अधिकारों पर कुठाराघात करते हैं और इस चीज़ की मैं मुख़ालिफ़त करता हूं ।

इसलिए मैं चाहता हूं कि चाहे स्टेट्स में हो अथवा केन्द्र में कहीं भी इस सेकेंड चेम्बर की आवश्यकता नहीं है आज हम लोग बीसवीं सदी में रह रहे हैं और मुझे यह देख कर आश्चर्य

होता है कि हम लोग सैक्शन्स और नार्मनस के ज़माने की बात सोचते हैं कि हाउस आफ़ दी पीपुल को चेक करने के लिए एक कौंसिल आफ स्टेट हो । उस ज़माने में तो इसके लिये सोचा जा सकता था जबकि विलियम आफ नारमंडी सरीखे लोगों के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन होती थी और केवल उन्हीं लोगों से कर लिया जाता था क्योंकि वही उसको दे सकते थे, और जैसे कि आज यहां पर भी है, कहने को तो नाम को ज़मींदारी प्रथा इस देश से हट चुकी है, लेकिन आज भी हज़ारों एकड़ ज़मीन उन बड़े बड़े लोगों के हाथों में पड़ी हुई है, उस वक्त जनता का कोई सवाल तो था नहीं कि उससे ज्यादा कर मिल सकता है और चूंकि लैंडेड बैरन्स थे और उनसे कर लेने के लिये हाउस आफ़ दी लार्ड्स होता था, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स के सेफगार्ड के लिये यह सेकेन्ड चेम्बर होता था, लेकिन आज सर्वत्र परिस्थिति बदल गयी है । आज जनता से आप कर वसूलते हैं और जनता को दबाने के लिये यदि उसी से लिये हुए पैसे को एक ऐसी जमात क़ायम करने में प्रयोग करें जो जमात जनता के अधिकारों को हनन करने के लिये बनायी गयी है तो यह कहां तक उचित और न्यायसंगत होगा ? इस कारण आज की बदली हुई परिस्थिति में यह बिल्कुल अनावश्यक और जनता के साथ बेइंसाफी होगी कि यहां पर सेकेन्ड चेम्बर रक्खा जाय ।

अभी हमारे भाई श्री आल्तेकर ने सेकेन्ड चेम्बर के क़ायम रखने के पक्ष में और उसकी उपयोगिता के सबन्ध में अमरीका, कैनाडा और फ्रांस आदि देशों का हवाला दिया और न्यू जर्सी और ओहियो के बहुत से कोटेशन्स सेकेन्ड चेम्बर के पक्ष में दिये । अमरीका और फ्रांस की कल्पना की गयी, फ्रांस के विधान का हवाला दिया गया जहां आये दिन नये विधान बनते और बिगड़ते हैं, मैं समझता हूं कि आज हमारे लिये अमरीका और फ्रांस के विधानों को अपने सामने रखना और उनको कोट करना हमारे देश के लिये अपमानजनक चीज़ है । आज आपको २२ वीं सदी की बात सोचनी चाहिये जिससे जनता बढ़ सके, लेकिन जब आप सोचने लगते हैं प्राचीन काल की बात और फिर कहते हैं कि हम आगे क्रान्तिकारी क़दम उठाने को तैयार हैं तो मैं आपकी इस चीज़ को नहीं समझता कि आखिर आप कौन सा समाज जनता के सामने रखना चाहते हैं । आज हमको आज़ादी प्राप्त किये हुये पांच, छै वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और कांग्रेस ने जिस समय इस देश के करोड़ों नर नारी स्वतन्त्रता संग्राम में जुटे हुए थे तो उनके सामने एक कल्पना चित्र चित्रित किया था कि हम आज़ादी प्राप्त कर लेने के बाद एक क्लासलेस सोसाइटी क़ायम करेंगे, लेकिन आज जो हम क़दम उठा रहे हैं उससे तो यह स्पष्ट है कि हमारा क़दम प्रगतिशील न होकर उसमें पिछड़ापन नज़र आता है क्योंकि हम आगे जाने के बजाय पीछे की ओर चले जा रहे हैं । सन् १९५० के बाद से आप देख चुके हैं कि यहां पर एक प्राविज़नल पार्लियामेंट थी और उससे देश का सब काम चल जाता था तो मैं नहीं समझता कि १९५२ में ऐसा कौन सा वज्रपात हो गया जिसके कारण एक दूसरे हाउस का प्राविज़न कर दिया गया । सन् १९५०, ५१ में आपका काम बग़ैर कौंसिल आफ़ स्टेट के चल गया तो मैं पूछता हूं कि सन् ५२ से आपको क्या आवश्यकता आ पड़ी जो आपने कौंसिल आफ स्टेट को बना दिया । मैं आपको यहां पर यह भी बतला देना चाहता हूं कि हम लोगों में यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि कौंसिल आफ़ स्टेट को बराबरी के अधिकार दें, मेरी समझ में यह चीज़ न केवल इस हाउस की शान के खिलाफ़ होगी बल्कि यह जनता को उसके अधिकार से वंचित करना होगा । इसलिये मैं मंत्री महोदय और इस हाउस से निवेदन करूंगा कि कौंसिल आफ़ स्टेट को स्वप्न में भी बराबर

[डा० राम सुभग सिंह]

के अधिकार देने की बात मत सोचें। कौंसिल आफ स्टेट को और राज्यों में जो कौंसिलस हैं उनको आप जल्द से जल्द खत्म कर दें। मैं इसका भी विरोधी हूं कि कौंसिल आफ़ स्टेट में बैकडोर से किसी तरह से एक आदमी को लिया जाय और फिर उसको यहां मंत्री के रूप में रक्खा जाय, वैसे वह बहुत अच्छे हैं और हमारी उन पर हर तरह से श्रद्धा है, लेकिन मैं इस चीज़ की मुखालफ़त करता हूं कि उनको इस तरह से अंडरग्राउन्ड मेथड (गुप्त रीति) से या यों कहा जाय कि बैकडोर से (अनुचित मार्ग से) कौंसिल आफ स्टेट में लाकर उनको आप यहां मिनिस्टर बनायें, यह तरीक़ा उचित नहीं है और इससे इस हाउस का अपमान समझना चाहिये और जनता के अधिकारों का भी अपमान समझना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कौंसिल आफ स्टेट के भंग किये जाने की मांग का पूर्णतया समर्थन करता हूं।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : राज्य परिषद् की शक्ति तथा कार्य के मामले में दल भावना से विचार नहीं किया जाना चाहिये। मैंने यहां राज्य परिषद् की रचना, शक्ति तथा कार्य में बारह निश्चित दोष बताये हैं। राज्य परिषद् की रचना तथा इसकी शक्ति और कार्यों में संसार के अधिकांश देशों के विधान मण्डलों के द्वितीय सदन के दोष विद्यमान हैं और उसमें कार्य प्रणाली में कतिपय देशों की अच्छी बातें कम हैं। हमें राज्य परिषद् को अमेरिका की सीनेट विदेश सम्बन्ध समिति जैसे कार्य सौंप देने चाहियें। वहां सीनेट विदेश सम्बन्ध समिति राजदूतों को नियुक्त किये जाते समय उनकी छानबीन करती है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रत्येक राजदूत की नियुक्ति के लिये सीनेट का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि राज्य परिषद् को भी वही शक्ति मिल जाय। राज्य परिषद् में प्रति दो वर्ष बाद एक तिहाई सदस्यों के इसकी सदस्यता छोड़ने तथा उनके स्थानों पर नये सदस्य चुने जाने की प्रणाली है जबकि यह सदन पांच वर्ष तक रहेगा। कनाडा में सीनेट का सदस्य सदा ही उसका सदस्य रहता है। अभी हाल ही में राज्य परिषद् के लिये जो चुनाव हुए थे उनसे यह मालूम होता है सत्तारूढ़ दल अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। जो लोग चुनाव में हार गये थे उन्हें अनुचित रूप से इसका सदस्य बनाया गया। मैं इसे निन्दनीय बात समझता हूं।

मेरी तीसरी बात यह है कि हाउस आॅफ लॉर्डस में भी निदेश नहीं जारी किये जाते हैं। किन्तु यहां यह होता है कि कुछ दिन पूर्व जब सदन में विशेष विवाह विधेयक पर संयुक्त प्रवर समिति के बारे में मत विभाजन हुआ तब साम्यवादी दल ने सरकार का साथ दिया क्योंकि उसका नेतृत्व द्वितीय सदन से होता है। द्वितीय सदन में दल के निदेश जारी किये जाते हैं उसके सदस्यों का नियंत्रण भी दलों द्वारा किया जाता है। ऐसी प्रथा हाउस आॅफ लॉर्डस में नहीं है। मैं समझता हूं कि यह आपत्तिजनक बात है और इस पर भी विचार किया जाना चाहिये।

दुनिया में इस बात का कहीं और उदाहरण नहीं मिलता जहां द्वितीय सदन के मंत्री को प्रथम सदन में भाषण देने का अधिकार हो। हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि उन्हें इस सदन में भाषण देने का अधिकार क्यों हो। जैसा कि डा० राम सुभग सिंह ने कहा था कि ऐसा इसलिये है कि जिससे लोग जनता द्वारा बिना चुने हुए और चुनाव में जीते बिना ही सरकार के उच्च पदों पर आसीन हो सकें। यह बहुत अनुचित बात है और इसे बन्द किया जाना चाहिये। यह बात

भी शोभनीय नहीं मालूम देती कि प्रधान मंत्री जो वक्तव्य यहां दे वही वक्तव्य वह थोड़ी देर बाद जाकर द्वितीय सदन में दें। फिर राज्य-परिषद् के नेता का वहां क्या काम है ?

अब मैं राज्य-परिषद् के तथा कथित पुनरीक्षण कार्य की ओर ध्यान दिलाऊंगा। द्वितीय सदन ने अपने कार्यकाल में इस सदन द्वारा पारित विधेयकों में दो बार संशोधन किया। इसने संसद् के छै सत्रों में केवल ये दो ही संशोधन किये। इसके विपरीत, इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि राज्य-परिषद् को और अधिक शक्तियां दी जायें। द्वितीय सदन में आय-व्ययक पर इस सदन से पहिले चर्चा आरम्भ हुई। मैं जानना चाहता हूं कि द्वितीय सदन में चर्चा पहिले किस लिये आरम्भ हुई ? ऐसा दल के हित की भावना से किया जाता है।

दुनिया के प्रथम सदन तथा द्वितीय सदन के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसमें जो विधेयक प्रथम सदन में प्रस्तुत किया गया हो वही विधेयक द्वितीय सदन में प्रस्तुत कर दिया गया हो। आजकल इस सदन के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को प्रसर्पित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमारे दिमागों में लोक लेखा समिति वाला विवाद ताज़ा बना हुआ है तथा संयुक्त प्रवर समिति का विवाद भी हमें याद है। केवल राजनीतिक कारणों से ही द्वितीय सदन को ये अतिरिक्त कार्य सौंपे गये थे। किसी अन्य देश के द्वितीय सदन में प्रश्न काल की ऐसी व्यवस्था नहीं जैसी हमारे द्वितीय सदन में है। हाउस आफ लार्डस में सप्ताह में दो दिन केवल छै प्रश्न पूछने की अनुमति है। मैं चाहता हूं कि जिन मामलों पर यहां चर्चा हो चुकी हो राज्य-परिषद् केवल उन्हीं को न दुहरा कर अन्य सारवान् सुझाव दिया करे। यदि द्वितीय दन की पुनर्रचना कार्य आधार पर नहीं की जाती, यदि प्रथम तथा द्वितीय सदनों की शक्ति समान करने की अवांछनीय भावना बन्द नहीं की जाती और यदि द्वितीय सदन निर्धारित सीमाओं के अन्दर ही कार्य नहीं करता तो द्वितीय सदन को समाप्त करना ही एक विकल्प रह जायगा। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री सी० सी० शाह (गोहलवाड—सोरठ) : पूरी दुनिया के विशेषज्ञों में इस विषय पर मतभेद है कि द्वितीय सदन होना चाहिये या नहीं और सदा ही यह वाद विवाद होता रहेगा कि द्वितीय सदन की आवश्यकता है या नहीं। डा० लंका सुन्दरम् के भाषण से तो यही मालूम हुआ कि दोनों सदनों के बीच ऐसे सम्बन्ध नहीं होने चाहियें जैसे कि अब हैं। उन्होंने भी इस प्रश्न को नहीं लिया कि दूसरा सदन होना चाहिये या नहीं। हम इसी प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। संविधान सभा में संविधान बनाते समय हमने इस पर विचार किया था और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि द्वितीय सदन होना चाहिये। राज्य विधान मण्डलों में द्वितीय सदन की आवश्यकता तथा केन्द्र में द्वितीय सदन की आवश्यकता दो भिन्न बातें हैं। संविधान बनाते समय राज्यों के द्वितीय सदनों के मामले में विचार किया गया था और यह बात राज्यों पर छोड़ दी गई थी कि यदि वे द्वितीय सदन की आवश्यकता समझें तो इसे रख सकते हैं। केन्द्र का मामला भिन्न है क्योंकि यह संघानीय संविधान है। मुझे दुनिया के किसी भी ऐसे संघानीय संविधान का पता नहीं जिसमें द्वितीय सदन न हो। संघानीय संविधान में राज्यों को एक भिन्न दृष्टिकोण रखना पड़ता है। हाउस आफ लार्डस उत्तराधिकारवाद पर आधारित है जबकि राज्य परिषद् जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना गया निकाय है। इसलिये इन दोनों में मूल भेद है। ऐसा सम्भव है कि हम राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिये राज्य परिषद् में अच्छे व्यक्ति चुन सकते हैं।

[श्री सी० सी० शाह]

डा० लंका सुन्दरम ने कहा कि गत दो वर्षों में राज्य परिषद् इस सदन के अधिकारों को समर्पित करने का प्रयत्न करता रहा है। यह तो हमारा काम है कि हम उसको ऐसा करने से रोकें। किन्तु यह इस बात का कोई आधार नहीं है कि द्वितीय सदन नहीं होना चाहिये। डा० लंका सुन्दरम् ने द्वितीय सदन रखे जाने के बारे में कुछ अपने सुझाव दिये हैं। मैं उन्हें मानता हूं। गत दो वर्षों का समय इतना अधिक नहीं था जिसमें हम द्वितीय सदन की कार्यप्रणाली का पर्याप्त अनुभव कर सकते और इसलिये यह कहना ठीक नहीं कि राज्य परिषद् ने अपना कार्य सुचारु रूप से नहीं चलाया है। हमें संविधान में बहुत शीघ्र परिवर्तन नहीं करने चाहियें। संविधान के अन्तर्गत भी लोक-सभा सर्व शक्तिमान है। किन्तु राज्य-परिषद में भी योग्य सदस्य हैं जिनके अनुभव से हम लाभ उठा सकते हैं।

द्वितीय सदन रखने का अभिप्राय ही यह होता है कि जो अनुभवी, योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति चुनाव में न खड़े होना चाहें उन्हें द्वितीय सदन का सदस्य बनाया जा सके।

१९५० में न्यूज़ीलैण्ड में जो राष्ट्र मंडल संसदीय सम्मेलन हुआ था उसमें इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि द्वितीय सदन आवश्यक है या नहीं। उसमें भी यह कहा गया था कि द्वितीय सदन के सदस्य ऐसे हो सकते हैं जो चुनाव में तो खड़ा होना न चाहते हों किन्तु उनके उसका सदस्य हो जाने से उनके अनुभव से लाभ उठाया जा सकता है।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैंने एक संशोधन की सूचना दी है, जिसमें यह कहा है कि इस विषय में जनमत मालूम किया जाये कि क्या भविष्य में केन्द्र तथा राज्यों में द्वितीय सदन रखने की आवश्यकता है।

द्वितीय सदन बनाने का निर्णय संविधान सभा में किया गया था। किन्तु जैसा कि आप को ज्ञात है यह निर्णय सर्व सम्मति से नहीं किया गया था। चर्चा के दौरान में यह कहा गया था कि पहले सदन के कार्य पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए। केन्द्र में हम द्वितीय सदन का काम दो साल तक देख चुके हैं। क्या यह कहा जा सकता है कि द्वितीय सदन पर नियंत्रण रखता है? हम यह देख रहे हैं कि उस सदन में विधेयक पुरः स्थापित और पारित किये जा रहे हैं। वहां से पारित होने के बाद ये हमारे पास आते हैं और हम उन्हें पारित करके अधिनियमित कर देते हैं। तो इसमें नियन्त्रण कहां है? हमने सविधान में, जो कि एक पवित्र चीज़ है, दूसरे सदन के लिए व्यवस्था की है। इसलिए अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस बारे में मैं लोगों की राय मालूम करें कि क्या इन दो वर्षों में द्वितीय सदन ने कोई ऐसा काम किया है, जिसे देख कर यह कहा जाय कि भविष्य में इसका जारी रहना आवश्यक है। मेरे विचार में इस सदन संसद् या सरकार का निर्णय लेने की बजाये इस विषय में लोगों की राय मालूम करनी चाहिये। जहां तक प्रतिनिधित्व के प्रश्न का सम्बन्ध है, राष्ट्रपति ने साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा इत्यादि के १२ विशेषज्ञों को द्वितीय सदन का सदस्य मनोनीत किया है। मेरा सुझाव यह है कि इन व्यक्तियों को लोक-सभा का सदस्य मनोनीत किया जाये, ताकि एक द्वितीय सदन पर इतना खर्च करने की बजाये, हम लोक-सभा में ही इनके अनुभव और ज्ञान से लाभ उठा सकें।

गृह-कार्य तथा राज्य-मंत्री (डा० काटजू) हमने बहुत से भाषण सुने हैं। बहुत से सदस्यों का यह मत है कि द्वितीय सदन बेकार का

बोझ है और इससे कुछ लाभ नहीं होता। कुछ अन्य सदस्यों ने विपरीत राय प्रकट की है।

मैं सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि संविधान सभा ने पूरी जांच के बाद और सब प्रकार के दृष्टिकोणों को ध्यान में रख कर राज्य-परिषद को संविधान का अंग बनाने का निर्णय किया था। आपको याद रखना चाहिए कि यह हमारे प्रजातंत्रात्मक ढांचे का एक अंग है। संविधान के अनुच्छेद ७९ में कहा गया है कि संसद में राष्ट्रपति के अतिरिक्त दो सदन—लोक-सभा और राज्य-परिषद—होंगे। संविधान २६ जनवरी १९५० से लागू हुआ था और इस संसद को बने अब दो वर्ष हो चुके हैं। इसका रिकार्ड क्या है? क्या आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे यह प्रकट होता हो कि राज्य-परिषद काम में बाधा डालती रही है और हमने विधियों को पारित नहीं होने दिया? ऐसी कितनी संयुक्त बैठकें हुई हैं, जिनमें लोक-सभा को वरिष्ठ सदन होते हुए बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ा है? राज्य परिषद् ने कैसा व्यवहार किया है? क्या कोई ऐसा उदाहरण दिया जा सकता है जिसमें विधियों को पारित करने में किसी प्रकार की बाधा डाली गई हो या विलम्ब किया गया हो? एक माननीय मित्र ने कहा है कि उस सदन में काम को व्यर्थ में दुहराया जाता है। मैं उन्हें कुछ जानकारी देना चाहूंगा। हमने इस सदन में निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक पर ६ दिन लगाये थे किन्तु दूसरे सदन में केवल पांच दिन लगे। प्रेस आपत्तिजनक विषय संशोधन विधेयक पर हमने लगभग १६ घंटे लिये थे किन्तु दूसरे सदन में केवल १३ घंटे लिए। वहां के सदस्यों को भी बोलने का अधिकार है। किन्तु इसका परिणाम क्या है?

समय के पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें जनता को इस बात का निर्णय करने के लिए कि क्या इस महत्वपूर्ण विषय में सारी संसद् का ढांचा बदलना चाहिए, समय देना चाहिए।

एक और बात पर मैं विशेष रूप से ज़ोर देना चाहता हूं। गत बारह मासों से एक शोचनीय प्रवृत्ति प्रकट होती रही है। यह सदन कहता है कि हम वरिष्ठ हैं, द्वितीय सदन कहता है कि हम आपके बराबर हैं। यह प्रश्न कई बार उठाया गया है। मेरे माननीय मित्र ने प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में एक मामले का उल्लेख किया है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जब मूल नियम प्रारूपित किये गये थे, तो हमने यह सुझाव दिया था कि लार्ड सभा की तरह राज्य-परिषद् को भी महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देना चाहिए, किन्तु वहां के सब सदस्यों ने प्रश्न पूछने के लिए किसी अवसर या विशेषाधिकार की मांग की थी। अन्त में हम ने कहा था कि हम एक रियायत देने के लिए तैयार हैं, वह यह कि राज्य-परिषद् में प्रश्न सप्ताह में चार दिन पूछे जायेंगे। लोक-सभा में ये सप्ताह में पांच दिन पूछे जाते हैं। धन विधेयकों, आय-व्ययक आदि को छोड़ कर, अन्य सब मामलों में राज्य-परिषद यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसका दर्जा बराबर नहीं है।

हम द्वितीय सदन के पक्ष में या विपक्ष में तर्क तो दे रहे हैं किन्तु हमने इस बात पर विचार नहीं किया कि कोई परिवर्तन करने से पहले एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान संविधान के अनुच्छेद ३६८ की ओर दिलाना चाहता हूं। संविधान में संशोधन करने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है? आपको स्मरण रखना चाहिए कि संशोधन अधिनियमित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करने की आज्ञा नहीं है। इसे प्रत्येक सदन द्वारा पृथक पृथक रूप से पारित करना आवश्यक है।

[डा० काटजू]

यह प्रश्न कि संसद के दो सदन होने चाहिएं, जैसे कि इस समय हैं, अथवा केवल एक ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर हमें शान्तभाव से विचार करना होगा तथा किसी पर कटाक्षादि करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने के लिए प्रत्येक सदन की सहमति अनिवार्य है। मेरे माननीय मित्र ने हमें वर्तमान घटनाओं की सूची दी है। क्या आप यह समझते हैं कि जब तक इस विषय पर मित्रतापूर्ण वातावरण में चर्चा नहीं होगी और इस बात पर बल नहीं दिया जाएगा कि यह एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचारने का विषय है, कभी माना जा सकता है कि राज्य परिषद् हाराकारी (आत्म हत्या) करने को तैयार हो जाएगी ? **(अन्तर्बाधा)** यदि आप कभी राज्य परिषद् में जाएं तो आप देखेंगे कि जब कभी लोकसभा सम्बन्धी किसी विषय पर बात आ जाती है तो वह सदन एकमत जान पड़ता है। उनमें पूर्ण एकता होती है जो लोक सभा में ऐसे अवसरों पर देखने को नहीं मिलती। अतः आपको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इस विषय में आप जो कुछ इच्छा प्रकट करेंगे उसके सामने वे चुपचाप नतमस्तक हो जाएंगे। मेरे माननीय मित्रों, डा० राम सुभग सिंह और डा० लंका सुन्दरम् ने इस चर्चा को जो रंगत दे दी है और जिस प्रकार का वातावरण पैदा कर दिया है उसका मुझे दुःख है। वे ऐसा समझते हैं कि मानो यह कोई बड़े महत्व की बात ही नहीं है, मानों हमारे एक इशारे से ही राज्य परिषद् के अस्तित्व का अन्त हो सकता है। किन्तु ऐसा नहीं है। यह एक बड़े महत्व का विषय है। इस पर संविधान सभा में खुल कर चर्चा हो चुकी है। कुछ भी हो वर्तमान संविधान के उपबन्ध हमारे सामने हैं : संसद् का तात्पर्य दो सदन, दोनों समान-समान सम्मान के अधिकारी। फिर कटाक्ष, आक्षेप और व्यंग में क्या रखा है ?

डा० रामसुभग सिंह : इसमें कटाक्ष का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने तथ्य बताए हैं। यदि मंत्री महोदय इन्हें यथार्थ नहीं समझते हैं तो वे इन्हें असत्य सिद्ध कर सकते हैं।

डा० काटजू : मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा हूं। आप साम्यवादी दल को ही लें। इनके सदस्य उधर भी हैं और इधर भी। क्या कोई यह बात कह सकता है कि साम्यवादी दल का वह सदस्य जो निर्वाचन द्वारा इस सदन में आया है उस दूसरे सदस्य से अधिक उत्तम प्रकार का व्यक्ति है जो एक विधान सभा के मतदान द्वारा दूसरे सदन में जा पहुंचा है? मेरे माननीय मित्र श्री सुन्दरय्या वहां हैं। क्या उनका मान, दल की दृष्टि में, उनके यहां के नेता से कुछ कम है? यह कहना व्यर्थ सा है कि हम निर्वाचन द्वारा यहां आए हैं, अतः हम विशिष्ट हैं और जो उधर गए हैं वे हम से घटिया प्रकार के हैं। जहां तक कांग्रेस, पी० एस० सी० तथा साम्यवादी दलों का सम्बन्ध है यह सभी लोग समान महत्व रखते हैं। जनता भी उनका मान करती है। किसी सज्जन ने भाई-भतीजावाद तथा पक्षपात इत्यादि की बात कही है। मैं समझता हूं कि इस चर्चा में इस प्रकार की धारणा का प्रवेश वांछनीय नहीं है।

डा० लंका सुन्दरम् : तथ्यों के बारे में क्या होगा ?

डा० काटजू: इससे चर्चा के लिए समुचित वातावरण नहीं बन सकता।

अतएव मैं आपसे अपने निवेदन को इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में कहता हूं। सर्वप्रथम हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे संविधान के वर्तमान रूप का मूलभूत आधार

यह है कि दो सदन होंगे । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप इस बात से सैद्धान्तिक मतभेद रखें । परन्तु मूल ढांचा अर्थात् आधार यही है । एक निर्देश विभिन्न राज्यों के विधान परिषदों की ओर किया गया था । उस समय स्वयं संसद् में ऐसा अनुभव किया गया था कि यह कम महत्व का मामला है क्योंकि, श्रीमान्, आपको यह स्मरण होगा कि अनुच्छेद १६९ के अनुसार यदि किसी राज्य की विधान सभा कोई संकल्प पारित कर दे तो संसद् अपनी सामान्य संयुक्त प्रक्रिया से संसदीय विधान द्वारा इसे पारित कर देगा । परन्तु जहां तक राज्य परिषद का सम्बन्ध है, संविधान के संशोधन के लिए दी गई सामान्य शक्ति के अतिरिक्त, स्वयं संविधान में तनिक भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे इसे एक मामूली मामला समझा जाय । यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है । निश्चय ही मैं यह कहूंगा कि हम ऐसा करते हुए खिलवाड़ ही करेंगे । जिन मित्रों ने यहां अपना मत व्यक्त किया है, उनसे मेरा यह कहना है कि इस ढांचे में इतनी शीघ्रता से गड़बड़ करना हमारे लिए उचित नहीं होगा । हमें इस प्रश्न को कम से कम पांच वर्ष देने चाहियें । जब आगामी साधारण चुनाव आयें तो आप अपने कार्यक्रम में इस बात को रख सकते हैं तथा कह सकते हैं.....

डा० लंका सुदरम् : क्या आप अपने कार्यक्रम में इस बात को रखेंगे ।

डा० काटजू :.....कि यदि हम चुने जायेंगे तो हम इस विधान का समर्थन करेंगे । हमने निर्वाचकों से ऐसी अनुज्ञा प्राप्त नहीं की है । मैं समझता हूं कि कांग्रेस या किसी अन्य राजनैतिक दल ने अपने चुनाव आन्दोलन के दिनों में इस बात को नहीं उठाया था । किसी ने भी ऐसा नहीं किया था । हम सबने यही सोचा था कि हम दो सदन बनायेंगे । अतएव मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हमें अगले चुनावों के हो चुकने तक इस प्रश्न को नहीं उठाना चाहिये अथवा उस समय तक नहीं उठाना चाहिये जब तक कि भारतीय जनता से उचित रीति से परामर्श न कर लिया जाय । यदि राजनैतिक दल ऐसा चाहें तो इस मामले को सोचा जा सकता है ।

श्री एस० एस० मोरे : आप जनमत प्राप्त करें ।

डा० काटजू : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ऐसा मामला है जिसके बारे में बड़े मैत्रीपूर्ण ढंग से चर्चा की जानी चाहिये । मैं नहीं चाहता कि दोनों सदन आपस में उलझते रहें । कारण यह है कि मानवीय प्रकृति का विचार करते हुए यह वांछनीय नहीं है कि निन्दा या कटुता की कोई बात इसमें शामिल नहीं की जाय । उस दृष्टिकोण से मैंने सदन के ध्यान में अनुच्छेद ३६८ का लाना आवश्यक समझा । जहां तक प्रश्न के गुणावगुणों का सम्बन्ध है, मैं किसी मत को व्यक्त नहीं करना चाहता हूं क्योंकि जब तक जनता की आज्ञा प्राप्त न हो, हमें इसकी जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिये । जब यह संविधान बनाया गया था तो सभापति जी आपको यह विदित है कि तीन वर्ष तक इसके सारे पहलुओं पर विचार किया गया था, अतः हमें इसे यथावत रहने देना चाहिये ।

मैं उठाई गई छोटी छोटी बातों का उत्तर नहीं देना चाहता हूं । इन सब बातों को परस्पर सहमति से ठीक किया जा सकता है ।

डा० लंका सुन्दरम् : आप उन्हें अभी से आरम्भ करें ।

डा० काटजू : अतएव मैं इस संकल्प को स्वीकार नहीं कर सकता हूं । जहां तक सदन के मत का सम्बन्ध है, यद्यपि भाषणों की संख्या अधिक न भी हो, जितने संशोधनों को प्रस्तुत किया गया है तथा जो एक दूसरे की

[डा० काटजू]

नितान्त विपरीत दिशा में जाते हैं, उनसे पता चलता है कि यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। इस मामले में जनमत लें, जैसा कि इसे सदन में व्यक्त किया गया है, अत्यधिक अन्तर है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : श्रीमान्, मुझे माननीय मंत्री से इस संकल्प के स्वीकार कर लेने की तो नहीं, अपितु अच्छे उत्तर की अवश्य आशा थी। संकल्प को प्रस्तुत करते हुए मुझे यह बात सुविदित थी कि संविधान में हल्केपन से कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। माननीय मंत्री ने कहा है कि दूसरे सदन का मत लिया जाय, परन्तु यदि कांग्रेस दल जिसकी दोनों सदनों में बहुसंख्या है, इसे इस सदन में स्वीकार कर ले तो संविधान के संशोधन में अधिक कठिनाई नहीं होगी।

माननीय डा० काटजू का कहना है कि संविधान को भारत के लोगों ने बनाया था, परन्तु क्या उनके प्रतिनिधियों को वयस्क मताधिकार पर चुना गया था ? संविधान कुछ इने गिने व्यक्तियों द्वारा बनाया गया था ? जो लोगों का वास्तव में प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। सिवाय कंट्रोल के सभी राजनैतिक दल संविधान को एक पुराना दस्तावेज़ समझते हैं तथा इसे संशोधित करना चाहते हैं। संविधान की पवित्रता की दुहाई से ही काम नहीं चल सकता है।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : श्रीमान्, मरा एक औचित्य प्रश्न है। माननीय सदस्य ने यह कहा है कि संविधान के बनाने वाले जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। यह स्वयं संविधान का अपमान है। माननीय सदस्य ने इस सदन में शपथ ग्रहण की है, अतः वह यह नहीं कह सकते हैं कि संविधान को जनता के प्रतिनिधियों ने नहीं बनाया है।

सभापति महोदय : इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। स्वयं संविधान में उसके संशोधन की व्यवस्था की गई है तथा प्रत्येक सदस्य ऐसा कर सकता है। ऐसा कहना नियमों तथा वैधानिक सिद्धान्तों के विपरीत नहीं है।

डा० सुरेशचन्द्र : श्रीमान्, मेरा औचित्य प्रश्न यह नहीं है। मेरा औचित्य प्रश्न तो यह है कि उन्होंने संविधान बनाने वालों का अपमान किया है।

सभापति महोदय : मैं अपने विनिर्देश को बदलने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे मतानुसार माननीय सदस्य ने संविधान बनाने वालों का अपमान नहीं किया है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं अपने वाक्यों को फिर दोहराना चाहता हूँ कि संविधान की त्रुटियों को दूर करने तथा इस अभिप्राय के संविधान में संशोधन करने का हमें अधिकार है। यदि आप द्वितीय सदन की राजनैतिक आकृति पर विचार करें तो आप को यह पूर्व युग का कोई राजनैतिक अवशेष ही जान पड़ेगा। उसमें १७२ तो वकील लोग हैं। ६२ किसान हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को ये युक्तियां अपने प्रस्ताव के प्रस्तुत करते समय देनी चाहिये थीं। वह इससे विरोध में दी गई युक्तियों का खण्डन करने की अपेक्षा नई युक्तियां दे रहे हैं। वह माननीय मंत्री तथा अन्य सदस्यों की बातों का उत्तर दें।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : माननीय मंत्री ने कोई युक्तियां नहीं दी हैं। मेरा यह कहना है कि यह सदन सभी प्रकार के विधान बनाने में सक्षम है तथा द्वितीय सदन फालतू है। अस्तु, द्वितीय सदन में समस्त हितों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। किसानों की संख्या ६२

है, ४९ व्यापारी हैं, ३२ शिक्षा विशेषज्ञ हैं, ३३ पत्रकार हैं। २८ सेवानिवृत्त असैनिक तथा सैनिक कर्मचारी हैं तथा सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं की संख्या ८४ है। यदि आप सदस्यों की आयु को देखें तो १९ सदस्य २५ से ३०, ५१, ३० से ३५; ६३, ३५ से ४०; ६७, ४० से ४५; ७८ ४५ से ५० तथा १०३ सदस्य ५० से ५५ तक की आयु के हैं। शेष सदस्य इससे अधिक आयु के हैं।

आयु तथा प्रतिनिधिक रूप के विचार से यह सदन सभी प्रकार के विधान बनाने में सक्षम है तथा द्वितीय सदन अनावश्यक है।

श्रीमान् मैंने इस संकल्प को बिना सोचे समझे प्रस्तुत नहीं किया है। हम सबका यह विश्वास है कि द्वितीय सदन केवल काम को दोहराता है। उस सदन की स्थापना से हमारा सदन केवल पुनर्विवर्तन निकाय बन कर रह गया है। यह एक दुर्भाग्य की बात है। सिवाय वित्तीय मामलों के दोनों सदनों को एक जैसे अधिकार दिये गये हैं, परन्तु सभी महत्वपूर्ण विधान द्वितीय सदन में पुरः स्थापित किये जाते हैं। इस सदन के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गये हैं जिस कारण इस सदन को अधिक सम्मान मिलना चाहिये। इससे अभी तक जो व्यवहार किया गया है वह इसकी प्रतिष्ठा तथा गरिमा से संगत नहीं है। मैं द्वितीय सदन की तत्काल समाप्ति नहीं चाहता हूं। आप चाहें तो इस संकल्प को परिचालित कर सकते हैं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि इस दिशा में प्रयत्न किये जायें।

यह संकल्प बिल्कुल साधारण तथा हानि रहित है जिसे माननीय मंत्री को स्वयं देश के हित में स्वीकार कर लेना चाहिये।

इसके पश्चात् सभापति महोदय ने तीन संशोधन मतदान के लिये रखे तथा वे अस्वीकृत हुए।

केन्द्र में प्रशासन तंत्र तथा कार्य प्रणाली के विषय में संकल्प

श्री एस० एन० दास (दरभंगा मध्य) : सभापति जी, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव सभा के सामने पेश करता हूं। मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है :

"This House is of opinion that a Commission be soon appointed to inquire into the working of the existing administrative machinery and methods at the Centre, covering particularly the following aspects with a view to suggesting comprehensive measures for reforming and reorganising the administrative set-up, namely :—

(a) adequacy or otherwise of the existing enactments, rules and regulations regarding recruitment, training and conditions of services; adequacy or otherwise of the existing All-India Services including the necessity and desirability of establishing an All-India Economic Service and Social Service;

(c) adequacy or otherwise of the existing rules, regulations and procedure regarding disciplinary action against Government employees;

(d) the existing trends of deterioration in the administration, the causes underlying them and possible short-term remedies to arrest further deterioration and

[श्री एस० एन० दास]

long-term and urgent measures to stop the rot; and

(e) necessity and desirability of suitably changing the existing constitutional provisions with regard to the various safeguards provided for the existing Services."

["सदन की राय है कि केन्द्र के वर्तमान शासन तंत्र तथा कार्य प्रणाली की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाय जो प्रशासन तंत्र का सुधार करने तथा उसे पुनर्संगठित करने के लिये विशेष रूप से निम्न बातों के बारे में भी पूर्ण उपायों की सलाह दे।

(क) कर्मचारियों की भर्ती, उनके प्रशिक्षण तथा उनकी सेवाशर्तों सम्बन्धी वर्तमान अधिनियम, नियम और विनियमनों की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता;

(ख) वर्तमान अखिल भारतीय सेवाओं की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता तथा अखिल भारतीय आर्थिक सेवा और सामाजिक सेवा की स्थापना की आवश्यकता तथा वांछनीयता;

(ग) सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही करने सम्बन्धी वर्तमान नियमों, विनियमनों और प्रक्रिया की की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता;

(घ) प्रशासन के खराब होने की वर्तमान प्रवृत्ति, उसके कारण और इस खराबी को रोकने के लिये अल्पकालीन उपाय तथा इसे दूर करने के लिये दीर्घकालीन आवश्यक उपाय; और

(ङ) वर्तमान सेवाओं के लिये उपबन्धित विभिन्न परित्राणों के सम्बन्ध में रखे गये संवैधानिक उपबन्ध तथा उनमें उचित परिवर्तन करने की आवश्यकता तथा वांछनीयता"।

इस प्रस्ताव पर कुछ कहने के पहले में यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर जो विचार विमर्श होगा या जो समालोचना होगी वह किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह विशेष या किसी वर्ग विशेष के खिलाफ़ नहीं होगी। इस प्रस्ताव का आशय यह है कि हमारा जो शासन यन्त्र है या प्रशासन प्रणाली है, वह प्रणाली हमारे मौजूदा राज्य के लिये, जिसने अपने ऊपर न केवल देश में अमन चैन रखने की जिम्मेवारी ली है, वरन् इस देशमें एक ऐसा समाज क़ायम करने का निर्णय किया है जिस समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको उपलब्ध होंगे उपयुक्त नहीं हैं। साथ ही साथ हमने अपने ऊपर यह जिम्मेवारी भी ली है कि समाज के कल्याण के लिये जितने भी आवश्यक काम हैं, चाहे वे आर्थिक हों, चाहे व्यावसायिक हों, चाहे व्यापार सम्बन्धी हों, हम उनको धीरे धीरे राज्य के हाथ में दे देंगे। और उन कामों के लिये हमारा मौजूदा प्रशासन यंत्र पर्याप्त नहीं है। इसलिये इस प्रस्ताव का आशय यह न समझा जाय जबकि हम कुछ इस के ऊपर बोलते हुए कटु आलोचना या तीखी आलोचना करें या कुछ दूसरे सदस्य तीखी आलोचना करें तो वह आलोचना किसी संस्था विशेष, किसी व्यक्ति विशेष या जो मौजूदा सरकार में काम करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ़ है।

सभापति जी, आज जो हमारे प्रशासन यंत्र हैं उन की कल्पना उस समय में हुई थी जिस समय कि हिन्दुस्तान गुलाम था। जिन लोगों ने इस यन्त्र की कल्पना की, जिन के ज़रिए इस तरह के यन्त्र की स्थापना की गयी, उन लोगों का आशय था हिन्दुस्तान में अपने

सामाज्य को सदा के लिये क़ायम रखना । इसी विचार से अंग्रेज़ी शासकों ने हमारे देश में दो पद्धतियों का, शिक्षा पद्धति और शासन पद्धति का, निर्माण इसलिये किया कि उनका राज्य हिन्दुस्तान में सदा के लिये अमर रहे । अगर हिन्दुस्तान में क्रान्ति हुई होती, शान्तिमय क्रान्ति हुई लेकिन अगर हम ऐसा परिवर्तन अपने देश में किये होते कि जिससे अंग्रेज लोग जो शासन अपने आप से दे गये अगर उन्होंने नहीं किया होता,—और क्रान्ति से अपने देश की स्वतन्त्रता हमने हासिल की होती तो आज जो शासन पद्धति हमारे देश में क़ायम है वह शासन पद्धति क़ायम नहीं रहती । जिस विधान का हमने अपने मुल्क के लिये निर्माण किया, विधान में जो राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक आदर्श हमने अपने सामने रखे, उन आदर्शों को सामने रखते हुए हम अपने शासन के ढांचे को, शासन के यंत्र को तुरन्त विधान बनाते हुए बदल देते, लेकिन हमने अब तक उसको चलने दिया । चूंकि शान्तिमय क्रान्ति हमारे देश में हुई और अंग्रेज़ों ने अपनी हालत को देखते हुए या हमारे आन्दोलन को देखते हुए, इस देश का शासन हमारे हाथ में दे दिया इसलिये आज जो हमारे मुल्क में शासन पद्धति है या जो शासन का तरीक़ा है, हमें उस समय उसे ज्यों का त्यों ले लेना पड़ा, जिस तरह से कि किसी व्यापारी को कोई रनिंग कनसर्न मिलता है । किसी व्यापारी के हाथ में कोई चालू कनसर्न अगर हाथ में आता है तो एकाएक वह उसमें विषम परिवर्तन नहीं करता है । वह उसको लेता है, कुछ समय के लिये काम चला कर देखता है, उसकी पद्धति को देखता है ,और फिर अपने अनुभव के आधार पर उसमें परिवर्तन करता है । हमें मालूम है कि जब हमारा देश स्वतन्त्र हुआ तो शासन के सामने कई कठिनाइयां आईं, कई महत्वपूर्ण समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो गईं और विधान बनाने में भी अत्यधिक समय हमारा लगा, इसलिये हम शासन यन्त्र के सुधार की ओर उनका ध्यान नहीं दे सके जितना कि हमें देना चाहिये था । इसलिये अब यह समय आ गया है कि जब हम को देखना होगा कि हमने अपने सामने जो आदर्श रखे हैं उन आदर्शों की पूर्ति के लिये यह हमारा शासन यन्त्र, यह हमारी शासन प्रणाली या काम करने का तरीक़ा, चाहे व्यक्तियों की भर्ती करने के सम्बन्ध में हों, चाहे उनकी नौकरियों के सम्बन्ध में हों, चाहे दूसरी बातों के सम्बन्ध में हों, वे हमारे लिये अब उपयोगी हैं या नहीं । इसीलिये यह प्रस्ताव जो आज मुझे इस सभा के सामने रखने का मौक़ा मिला है, इसकी आवश्यकता को साबित करने के लिये विशेष दलील देने की ज़रूरत बहुत कम है ।

प्रेस में, प्लैटफार्म पर, पब्लिक में, पोलीटीशीयन्स में, हर जगह इस बात की चर्चा है । चाहे आप देहात में जाइये, चाहे आप शहर में देखिये, चाहे अखबार के पन्ने को उलटिये, चाहे राजपुरुषों की पुस्तकों को और व्याख्यानों को पढ़िये, जिस तरह से शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में हर तरफ़ से टीका टिप्पणी आती है कि शिक्षा पद्धति हमारे देश की संस्कृति के उपयुक्त नहीं है, उसी प्रकार से शासन पद्धति के बारे में भी आम विचार है कि ये हमारे लिये उपयुक्त नहीं है । जनता से लेकर जो राजपुरुष हैं उन तक सभी की राय है कि यह पद्धति हमारी नयी जिम्मेदारी के लिये, नये उत्तरदायित्व के लिये काफी नहीं है । इसीलिये इस बात की आवश्यकता है कि हम जल्द से जल्द ऐसा कमीशन नियुक्त करें और उस कमीशन के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट आने के बाद ऐसी पद्धति का अपने देश में निर्माण करें कि जिसके ज़रिए से हम अपने नये काम को, बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी को और जो नये उत्तरदायित्व हमारे सामने आए हैं, उनको हम अच्छी तरह से निभा सकें ।

[श्री एस० एन० दास]

सभापति जी इस मौक़े पर यह देखना होगा कि हमारी जो वर्तमान शासन पद्धति है और उसमें जो त्रुटियां हैं वह किस तरह दूर की जा सकती हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस पद्धति का निर्माण उस समय में हुआ था कि जिस समय में केवल सरकार का काम यह था कि देश में शान्ति और व्यवस्था को क़ायम रक्खें और अंग्रेज़ी राज्य को क़ायम रक्खें, इसलिए जो व्यक्ति इस पद्धति में नियुक्त हुए उनके सामने आदर्श यह नहीं था कि वह जनता की सेवा अधिक से अधिक कैसे कर सकेंगे, उनका आदर्श था कि हमारे मालिक अंग्रेज़ हमसे कैसे खुश हो सकेंगे। इसलिये कोई बड़ा अवगुण जो इस पद्धति में है वह यह है कि इसकी जो परम्परा है, ट्रेडीशंस हैं वे बहुत ही बुरी हैं। जिस पद्धति या यंत्र के सामने पुलिस स्टेट का आदर्श हो उस यंत्र से सर्वोदय समाज की स्थापना का आदर्श चल नहीं सकता और पुराना सर्वथा अनुपयुक्त है।

डा० रामसुभग सिंह : (शाहाबाद दक्षिण) वेलफेयर स्टेट का आदर्श है जिसके मानी कल्याणकारी राज्य के हैं।

श्री एस० एन० दास : सर्वोदय समाज ही कल्याणकारी राज्य है इसलिये ज़रूरत इस बात की है कि वर्तमान पद्धति की जो पुरानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसमें हम क्रान्तिकारी परिवर्त्तन करें। क्रान्तिकारी परिवर्त्तन करने के लिये विचार की आवश्यकता होती है, बिना विचार किये हुए अगर हम आज इस थोड़े समय में ऐसे परिवर्त्तनों की तरफ़ सभा का ध्यान खींचें तो यह न तो सम्भव ही है और न उचित ही है, इसलिये मैंने पार्लियामेंट में इस तरह का प्रस्ताव पेश किया है कि इसके लिये एक कमीशन की नियुक्ति होनी चाहिये।

सभापति जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब से हिन्दुस्तान के हाथ में अपने देश का राज्य आया है, तब से इस सम्बन्ध की चर्चा थोड़ी बहुत होती रही है। मुझे स्मरण है कि सन् ४७ या ४८ में केन्द्रीय सेक्रेटरियट का संगठन या पुनर्संगठन करने के लिये हमारे पूज्य मंत्री श्री गोपाल स्वामी आयंगर के जिम्मे यह काम सुपुर्द किया गया था और इस सम्बन्ध में उन्होंने एक रिपोर्ट भी पेश की थी। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक़ जो थोड़े से परिवर्त्तन हुए वह ऐसे परिवर्त्तन थे कि जिन परिवर्त्तनों से विचारधारा का परिवर्त्तन नहीं हुआ, परम्परा का परिवर्त्तन नहीं हुआ, वे परिवर्त्तन तो उसी प्रकार के थे जैसे किसी बड़े मकान में थोड़ी और छोटी मरम्मत कर दी जाय, मरम्मत के समान यह चीज़ हुई। बाद में इस सम्बन्ध में श्री ए० डी० गोरवाल जो रिटायर्ड आई० सी० एस० हैं और जो उद्योगपतियों के साथ काम करते हैं उन्होंने भी कुछ किताबें लिखीं और प्लैनिंग कमीशन के कहने पर प्रशासन सम्बन्धी एक रिपोर्ट भी उन्होंने तैयार की है।

श्री बंसल : उद्योगपतियों के साथ काम नहीं करते हैं।

श्री एस० एन० दास : इसके साथ ही साथ अमरीका के फोर्ड फाउन्डेशन के एक विशेषज्ञ श्री ऐप्लि बी ने भी सरकार के कहने से इस शासन के सम्बन्ध में एक सर्वे करके एक किताब लिखी है। प्लानिंग कमीशन ने भी अपनी अन्तिम रिपोर्ट में प्रशासन के सम्बन्ध में बहुत सी रायें दी हैं, इन सब की विवेचना करने के बाद, इन सब को पढने और थोड़ा बहुत मनन करने के बाद मैं, इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सब की यह राय है कि वर्त्तमान शासन पद्धति हमारे वर्त्तमान कर्त्तव्य और जवाबदेही के लायक़ नहीं है।

कांग्रेस की राय भी कुछ इसी रूप में प्रकट हुई है। वर्किंग कमेटी में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके देखने से पता चलता है कि वहां भी यह कहा गया कि वर्त्तमान शासन प्रणाली में परिवर्त्तन करना चाहिये और वर्किंग कमेटी ने इसकी आवश्यकता महसूस की और हमारी कांग्रेस कमेटी के माननीय मंत्री श्री एस० एन० अग्रवाल जो यहां पर मौजूद हैं इन्होंने अखबारों में जो लेख लिखे हैं और भाषण दिये हैं, उन सबका भी सारांश यही है कि इस शासन पद्धति में परिवर्त्तन करने की आवश्यकता है। यहां पर मैं यह बतला दूं कि जितनी रिपोर्ट अभी तक इस सम्बन्ध में आई हैं वह सब अधूरी हैं, हर दृष्टि से उनमें विचार नहीं किया गया है, हर बात की जानकारी हासिल नहीं की गयी है, जैसे सेक्रेटेरियेट में कैसी पद्धति क़ायम की जाय, इसमें नहीं जाया गया है, दूसरे सर्विसेज़ के रिक्रूटमेंट की पद्धति क्या हो, इसका विचार नहीं किया गया है, तीसरे सर्विसेज़ के अनुशासन सम्बन्धी नियम कैसे हों इसकी चर्चा नहीं हुई। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सन् १९५१ में हम लोगों ने उस संसद् में आल इंडिया सर्विसेज ऐक्ट नाम का एक क़ानून पास किया था और उस क़ानून में यह अधिकार सरकार को दिया गया था कि रिक्रूटमेंट के सम्बन्ध में और टर्म्स एण्ड कंडीशन्स आफ सर्विसेज के सम्बन्ध में और कर्मचारियों के जो काम के तरीक़े होंगे के सम्बन्ध में और कर्मचारियों के जो काम के तरीक़े होंगे उनके सम्बन्ध में क्या नियम, शर्तें और क़ानून होंगे इन सब चीज़ों के लिये नियम बना करके संसद् के सामने उन्हें पेश करें, लेकिन मुझे जहां तक मालूम है अभी तक वह रूल्स और रेगुलेशन्स सरकार ने संसद् के सामने पेश नहीं किये हैं। यह सब बताता है कि हम जितनी बड़ी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेकर चले हैं, हमें अपने शासन यंत्र की तरफ जितना ध्यान देना चाहिये, उतना ध्यान हम उस ओर नहीं दे सके हैं और जो कुछ भी जांच पड़ताल अभी तक हुई है यह ठीक है कि उनके आधार पर हमने कुछ परिवर्त्तन किये हैं इधर उधर घर में तबदीली की है, लेकिन पुराने घर का ढांचा और बुनियाद अभी भी क़ायम है और मैं कहना चाहता हूं कि यह ऐसा घर नहीं है जिसमें हम हिन्दुस्तान की वैलफेयर स्टेट को सुरक्षित रख सकते हैं इसलिये हमने यह प्रस्ताव किया है कि इसके लिये एक यह आयोग अथवा कमीशन बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है और उस आयोग को वे सभी काम सौंपे जायें जिनका विवरण मैंने अपने प्रस्ताव में दिया है ताकि वह अयोग हर एक बात को विवरण में जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने जैसे जैसे वे तैयार होती जायें भेजता जाय और सरकार उसको कार्यान्वित करती। यहां मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह उद्योगों के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये कमीशन नियुक्त है सरकार प्रशासन के सम्बन्ध में परामर्श प्राप्त करने के लिये एक कमीशन की स्थापना करे शासन यंत्र में परिवर्त्तन करने और सुधार करने की ज़रूरत अनुभव के आधार पर हुआ करती है, सरकारी, अनुभव का अध्ययन करके कमीशन इसके सम्बन्ध में बराबर परामर्श दिया करेगा। सरकार के पास इतना समय नहीं है, सरकार के मंत्रियों के पास इतना समय नहीं है कि वह विवरण में जाकर सारी बातों को देख कर समय समय पर उसके मुताबिक़ परिवर्त्तन करें और हम लोग जो जनता के प्रतिनिधि बन कर आते हैं उन लोगों के पास सिवाय समालोचना करने के इतना समय नहीं है कि हम कोई एक विवरणात्मक सुझाव उनको दे सकें, इसलिये ज़रूरत इस बात की है कि एक स्थायी आयोग इस काम के लिये बनाया जाय जो कि समय समय पर शासन पद्धति को देख कर और हर तरीक़े को देख कर बराबर सरकार को उनके

[श्री एस० एन० दास]

सम्बन्ध में परामर्श देता रहे और सरकार संसद् की राय लेकर उसके अनुसार समय समय पर परिवर्त्तन करती रहे।

सभापति जी, मैं आपसे कह रहा था कि यह जो प्रशासन है, इसकी विशालता का अन्दाज़ इसी बात से किया जा सकता है कि पिछली मर्दुमशुमारी के मुताबिक तीस लाख से भी अधिक लोग इस देश के सार्वजनिक सेवाओं में लगे हुए हैं। व्यक्तिगत उद्योग जितने हमारे सारे देश भर में चलते हैं और उनमें जितने लोग काम करते हैं उनसे कहीं अधिक इस प्रशासन में काम करते हैं, लेकिन इनकी भरती के और इनकी सेवा के जो नियम चालू हैं वह वही १८५७ या १८८५ कहिये या उसके बाद जो सन् १९३५ ई० में का गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट है, उस ऐक्ट के अन्दर जो रूल्स और रेगुलेशन्स आदि बने हुए हैं वे ही क़ानून और नियम अभी तक जारी हैं। कांस्टीट्यूशन के अन्दर संसद् को बहुत से अधिकार दिये गये हैं जो संसद् के सदस्य कर सकते हैं। परन्तु संसद् अभी तक उन विषयों के सम्बन्ध में कानून नहीं बना पायी है। संविधान में कहा गया है कि जब तक संसद् में क़ानूनों के ज़रिये इन बातों का निर्णय न हो तब तक राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार से बीच वाले समय में उन्हीं क़ानूनों को अथवा उनमें कुछ थोड़ा बहुत अदल बदल करके जारी कर सकते हैं.....

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य कुछ समय और बोलना चाहेंगे ?

श्री एस० एन० दास : जी हां।

सभापति महोदय : अब सभा की बैठक सोमवार ५ अप्रैल, १९५४ के दो बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात सभा की बैठक सोमवार, ५ अप्रैल १९५४ के दो बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

GIPD—HS—7 PSD—6--954 285